मंगलवार,
४ मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

विषय-सूची

अंक ३—२४ अप्रैल से २१ मई १९५४

पृष्ठ भाग

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २८८३–२९२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९२४–२९२८

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९२९–२९६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर २९६६–२९७२

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर २९७३–३०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०१८–३०२४

सोमवार, ३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०२५–३०६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३०६४–३०६८

मंगलवार, ४ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३०६९–३११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३११५–३१२२

पृष्ठ भाग

बुधवार, ५ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१२३–३१७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३१७३–३१८२

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३१८३–३२१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२१९–३२२२

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२२३–३२६८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३२६८–३२८०

सोमवार, १० मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३२८१–३३२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३२४–३३४०

मंगलवार, ११ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३४१–३३८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३३८६–३३९८

पृष्ठ भाग

बुधवार, १२ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३३९९–३४४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३४४६–३४७०

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३४७१–३५१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३५१७–३५४२

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ३५४३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४९१ से २४९५, २४९७ से २५०८, २५१० से २५११ और २५१३ से २५२१ ३५४३–३५९२

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३ ३५९२–३५९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४९६ से २५१२ और २५२२ से २५२६ ३५९७–३६०१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ५८९, ५९१ और ५९२ ३६०१–३६१०

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६११

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १४ ३६११–३६१४

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १५ से १७ ३६१५–३६२४

लोक सभा

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अचल निष्क्रांत सम्पत्ति

*२२०२. **श्री डी० सी० शर्मा :** (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को विदित है कि पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्री ने पाकिस्तान संसद् में हाल में बताया है कि पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के शहरी क्षेत्रों में स्थित निष्क्रांत-संपत्ति के का अर्द्धस्थायी नियतन करने के लिये एक योजना बनाने का निश्चय किया है ?

(ख) इस से भारत में विस्थापित व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(ग) सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग). अचल निष्क्रांत संपत्ति तथा अन्य संबद्ध बातों को निपटाने के विषय में हाल में पाकिस्तान के साथ हुई बातचीत के सम्बन्ध में मैं यथासंभव शीघ्र सदन में एक वक्तव्य देना चाहता हूं । यह बात भी उस वक्तव्य में आ जाएगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : अच्छा हो, माननीय सदस्य उस वक्तव्य की प्रतीक्षा कर लें ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, मैं वक्तव्य का स्वागत करता हूं, पर वह कब दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ से दो-तीन दिनों में ।

श्री ए० पी० जैन : हां, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : लगभग तीन दिनों में ।

सरदार हुक्म सिंह : एक मेरा भी प्रश्न उस दिन इसी आधार पर स्थगित कर दिया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह भी इसी बारे में था ?

सरदार हुक्म सिंह : ऐसा ही एक प्रश्न मैं ने पहले रखा था, जो इसी आधार पर स्थगित कर दिया गया कि सदन में एक पूर्ण वक्तव्य दिया जाने वाला है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप उस प्रश्न की याद दिलाएं, तो मैं ध्यान दूंगा । यह वक्तव्य कितना लम्बा होगा ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान् लगभग ४-५ पृष्ठ का होगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसे सदन पटल पर रखना और सदस्यों में परिचालित करना संभव होगा ?

श्री ए० पी० जैन : मैं इसे सदन पटल पर रख दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन पटल पर रखने से पहले परिचालन की बात सोच रहा था, जिससे सदस्यगण प्रश्न पूछ सकते ।

श्री ए० पी० जैन : हां, मैं इसे परिचालित कर दूंगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या हम उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सुझा रहा था कि वक्तव्य सदन पटल पर रखा जाता है कह कर प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही वह परिचालित कर दिया जाए । यद्यपि वह वस्तुतः उत्तर न होगा, पर मैं उस पर अनुपूरक प्रश्न पूछने दूंगा ।

सरदार हुकम सिंह : पर तब कोई प्रश्न ही न होगा ।

अध्यक्ष महोदय : जब वक्तव्य सदन पटल पर रखा जाएगा, मैं प्रश्न पूछने की अनुमति दे दूंगा ।

भारत में विदेशी फर्में

*२२०३. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार देश की प्रबन्ध अभिकरण फर्मों समेत सभी विदेशी फर्मों में लगे हुए भारतीयों और अभारतीयों की संख्या के बारे में पूरे तथ्य और आंकड़े प्राप्त कर सकी है ; तथा

(ख) यदि कर सकी है, तो क्या सरकार वह जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) संबंधित विवरण प्राप्त हो चुके हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है ।

(ख) हां, यथा समय ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी फर्म ने अब तक सूचना नहीं भेजी है और अब हेलना की है ?

श्री करमरकर : अभी विवरण आ रहे हैं, अतः अवहेलना की बात करना समय से पूर्व है ।

श्री एस० एन० दास : क्या माननीय मंत्री सदन पटल पर एक वक्तव्य रख सकेंगे ?

श्री करमरकर : मैं ऐसा कहने की स्थिति में नहीं हूं, पर शायद अगले सत्र में मैं यह बता सकूं ।

श्री एन० बी० चौधरी : समयावधि १५ अप्रैल को समाप्त हो गई थी उसे आगे क्यों बढ़ाया गया ? क्या इन फर्मों ने समय बढ़ाने की मांग की थी ?

श्री करमरकर : मुझे कारण याद नहीं हैं । पर शायद एक कारण यह होगा कि दिया गया समय पर्याप्त न था ।

श्री एस० एन० दास : इस बारे में रिपोर्ट भेजने के लिये कितना समय दिया गया था ?

श्री करमरकर : अंतिम दिन १५ अप्रैल था ।

कोक-कोयला खानें

*२२०४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकर कोयला बोर्ड द्वारा कोक-कोयला खानों में थाक जमाने के लिये दी गई सहायता को बढ़ाना चाहतीं है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो विद्यमान अनुदान में कितनी वृद्धि की जाएगी ; तथा

(ग) विभिन्न कोक-कोयला खानों को किस आधार पर वर्द्धित अनुदान दिए जाएंगे ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) से (ग). कोयला बोर्ड ने कोक-कोयले के संरक्षण के लिये थाक जमाने का काम करने वाली कोयला खानों को संवर्द्धित सहायता देने के लिये कुछ प्रस्ताव भेजे हैं । प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार का कार्य करने वाली कोयला खानों में उत्पादन वृद्धि की दृष्टि से किस प्रकार के प्रतिफल निकले हैं और क्या सरकार इस सहायता को बढ़ाया चाहती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : थाक जमाने के लिये सहायता देने का मुख्य उद्देश्य उत्पादन वृद्धि नहीं है । इसका लक्ष्य सुरक्षिततायी है । सरकार की नीति कोक-कोयला जैसे धातुकार्मिक कोयलों के उत्पादन को सीमित करने की भी है । वह थाक जमाने वाली सहायता सुरक्षितता के सामान्य प्रयोजन से दी जा रही है ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं जान सकता हूं कि क्या थाक जमाने के लिये पृथक् रूप से दी जाने वाली सहायता को भी हाल में बढ़ाया गया है और क्या सरकार का विचार है कि और सहायता देने के लिये उत्पादन-लागत की जांच की जाए ?

श्री के० सी० रेड्डी: सहायता का प्रश्न नहीं है । सहायता नहीं दी जाती । थाक जमाने का काम करते समय उसकी लागत का कुछ अंश सरकार कोयला-खानों को दे देती है ।

श्री पी० सी० बोस: सरकार धातु-कार्मिक कोयले के उत्पादन को नियंत्रित रख रही है । क्या सरकार कोक-कोयले के उत्पादन को और सीमित कर देना चाहती है ?

श्री के० सी० रेड्डी: यह बिलकुल पृथक् प्रश्न है ।

भारत-पाकिस्तान व्यापार

*२२०५. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि आयातकों के प्रतिनिधियों को, जिनको प्रति दिन माल लाने ले जाने के लिये अगरताला से अखौरा जाना पड़ता है । सामान्यत: 'क' श्रेणी के दृष्टांक पर पाकिस्तान में प्रविष्ट होने दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के अगरताला स्थित दृष्टांक पदाधिकारियों ने आयातकों को 'क' श्रेणी का दृष्टांक देना बंद कर दिया है ; तथा

(ग) यदि सच है, तो सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) जिन लोगों के पास पहले से ही 'क' श्रेणी के दृष्टांक हैं, उनको पाकिस्तानी अधिकारी उनके आधार पर अखौरा जाने देते हैं ।

(ख) तथा (ग). पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय आयातकों को अब आगे से 'क' श्रेणी के दृष्टांक देना बन्द कर दिया है और उनके स्थान पर 'ङ' श्रेणी का दृष्टांक देना निश्चित किया है । 'ङ' दृष्टांक उपयुक्त रहेंगे या नहीं, इस प्रश्न पर त्रिपुरा सरकार से बात की जा रही है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह: क्या यह सच है कि कलकत्ता से अखौरा होकर उपभोग वस्तुओं को लाने वाले व्यापारियों को 'क' श्रेणी के दृष्टांकों का दिया जाना बन्द हो जाने से त्रिपुरा के लोगों को उपभोग-वस्तुओं के अभाव के कारण परेशानी हो रही है ? यदि सच है, तो त्रिपुरा के लोगों को उपभोग

वस्तुओं के अभाव के कारण होने वाले कष्ट को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : त्रिपुरा में उपभोग-वस्तुओं के अभाव की कोई सूचना हमें नहीं मिली है, पर 'क' दृष्टांक न मिलने से कुछ व्यापारियों को परेशानी हो रही है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या यह सच है कि दोनों बंगालों के मुख्य मंत्रियों ने हाल में दृष्टांक-प्रणाली में सुधार करने के बारे में बातचीत की है, और यदि सच है, तो क्या क्या प्रयोगात्मक निर्णय किए गए हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : कलकत्ते में दोनों मुख्य मंत्रियों के मिलने का वृत्तांत हम ने समाचार-पत्रों में पढ़ा है, पर अब तक हमें इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह बात सच है कि जब कि पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान से पान की आमदरफ्त बन्द कर दी है, हमारी ट्रेंवे से ढाका की तरफ से पान के डिब्बे पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, और अगर यह सच है तो सरकार क्या कदम उठा रही है कि पान का आयात खुलासा हो जाए ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ; एक पृथक् प्रश्न रखा जा सकता है ।

सोवियत रूस के साथ व्यापारिक समझौता

***२२०६. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत रूस के साथ हुए व्यापारिक समझौते के अंतर्गत क्या भारत ने अब तक रूस से कोई टेकनीकल सहायता ली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी नहीं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : उस दिन माननीय मंत्री जी ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि जापान, यूगोस्लाविया तथा अन्य देशों से हुए अधिकतर व्यापारिक समझौतों में सम्मिलित वस्तुओं में से अभ्रक भी एक है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस समझौते में अभ्रक को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया है ?

श्री करमरकर : सम्भवतः इसलिये कि दोनों पक्षों में अभ्रक के लिये तय नहीं हुआ था ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का सम्बन्ध टेकनीकल सहायता से है । मैं नहीं समझता कि इस में अभ्रक किस प्रकार आती है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समझौते के अंतर्गत अब तक कोई मशीनें आयात की गयी हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से नहीं उठता ।

डा० सुरेश चन्द्र : माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारत ने कोई टेकनीकल सहायता नहीं ली है । क्या मैं जान सकता हूं कि सोवियत रूस द्वारा कोई टेकनीकल सहायता प्रस्तुत की गयी है ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि पिछले 'ईकेफे' सम्मेलन में सोवियत रूस के प्रतिनिधि ने टेकनीकल सहायता देने का प्रस्ताव किया था और उसने यह भी कहा था कि समझौते में भी इसकी व्यवस्था है । हमने कहा था कि यदि इसकी आवश्यकता हुई तो हम कहेंगे ।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत ने रूस को किसी प्रकार की टेकनीकल सहायता दी है ?

श्री करमरकर : जी नहीं ।

श्री साधन गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने सोवियत सरकार

से इस समझौते के अंतर्गत टेकनीकल सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में पूछताछ की है ?

श्री करमरकर : भारत तथा सोवियत रूस के मध्य हुए पत्रव्यवहार के अनुसार रूसी सरकार निम्नलिखित के बारे में टेकनीकल सहायता देने को बिलकुल प्रस्तुत थी :

(१) व्यापारिक समझौते के अंतर्गत भेजे जाने वाले यंत्रों की प्रतिस्थापना तथा संचालन ; और

(२) भारत की विभिन्न परियोजनाओं की कार्यान्वित का शीघ्रता से संपादन करना ।

उपर्युक्त सहायता मांगना अभी आवश्यक नहीं समझा गया है । इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

*२२०७. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ में पूर्वी पाकिस्तान से कुल कितने विस्थापित व्यक्ति भारत आए ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : लगभग ७३,००० ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि पूर्वी बंगाल से प्रव्रजन प्रमाणपत्र दिए जाने का कार्य असंतोषजनक था और क्या गरीब लोगों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ीं ?

श्री ए० पी० जैन : मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग प्रव्रजन करके भारत आगये थे वे अब वहां नया मंत्रीमंडल बन जाने के परिणामस्वरूप पुनः वापस लौट रहे हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे सूचना मिली है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों में से कुछ अब वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन में से कितने परिवार कृषि वर्ग के हैं ?

श्री ए० पी० जन : वर्गानुसार आंकड़े मैं इस समय नहीं दे सकता ।

उड़ीसा में नहरें

*२२०८. **श्री संगण्णा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रवार सब डिवीजन (उड़ीसा) में मौजूदा नहरों को सुधारने तथा हीराकुड बांध परियोजना की उपयुक्त नई नहरों की खुदाई करने के लिये सरकार द्वारा कोई पड़ताल की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). केन्द्रपार नहर व्यवस्था महानदी डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई योजना का एक अंग है जिसके बारे में पड़ताल पूरी हो चुकी है । उक्त योजना का प्रतिवेदन भारत सरकार के विचराधीन है जो इस पर योजना आयोग के परामर्श के साथ विचार कर रही है ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि अंतिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

श्री हाथी : इसमें कुछ समय लगेगा । केन्द्रीय जल विद्युत आयोग द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।

श्री संगण्णा : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय किए जाने से पूर्व उड़ीसा सरकार से परामर्श लिया जाएगा ?

श्री हाथी : उससे परामर्श किया जा चुका है ।

मध्य-पूर्वी देशों में प्रचार कार्य

*२२१०. **श्री इब्राहीम :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३-५४ में मध्य-पूर्वी देशों में प्रचार-कार्य में कितना रुपया व्यय किया गया ;

(ख) हज के दिनों में मक्का में प्रचार कार्य के लिये क्या व्यवस्था की जाती है ; और

(ग) क्या भूतकाल में मध्य पूर्वी देशों को कोई सद्भावना मण्डल गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) लगभग ९,४९,८०० रु.

(ख) काहिरा में भारतीय राजदूत के अंतर्गत जेद्दा स्थित भारतीय दूतालय के हाथ में यह प्रचार कार्य है। हज के दिनों में भारतीय दूतालय का एक अधिकारी विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है और वह जेद्दा, मक्का तथा मदीना जाता है।

यात्रा के दिनों में जेद्दा, मक्का तथा मदीना के यात्रियों को भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अरबी भाषा में लिखी विशेष पुस्तिकाएं वितरित की जाती हैं। सन १९५३ में उर्दू में "तुफ्फतुल हज" नामक पुस्तिका की ५,००० प्रतियां पत्तन हज समिति, बम्बई तथा वाणिज्य दूतालय, जेद्दा द्वारा वितरित की गयी थीं।

कभी-कभी काहिरा और बगदाद के मुख्य अखबार भारत पर विशेष हज अंक या परिशिष्ट निकालते हैं तथा ये भी हज क्षेत्र में वितरित किए जाते हैं।

(ग) जी हां।

श्री इब्राहीम : क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन जरियों से और किस तरीके से वहां पर प्रोपेगेंडा किया जाता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इसका उत्तर मेरे ऊपर के उत्तर में आ जाता है।

श्री इब्राहीम : क्या हज के मौके पर वहां कोई मैडीकल एड वगैरा भेजी जाती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां, वहां के यात्रियों के लिए हमारे वाणिज्य दूतालय द्वारा इसका प्रबन्ध किया जाता है।

श्री इब्राहीम : क्या मैं जान सकता हूं कि वहां पर जो पाकिस्तान का गलत प्रोपेगेंडा होता है उसको दफा करने का ख्याल किया जाता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हम दूसरे देशों के बारे में नहीं कहते ; हम अपने बारे में कहते हैं। हम इस देश के बारे में तथ्य बतलाते हैं।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या यह वाकया है कि मिडिल ईस्ट में जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वह नाकाफी है, और जो गुडविल मिशन वहां पर भेजा गया था उसके क्या नतायज हुए हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : अपने मत की बात है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि मध्य-पूर्वी देशों में किस प्रकार का प्रचार कार्य किया जाता है और क्या इसका प्रभाव सरकार के लिये संतोषजनक रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

दक्षिणी कोरिया से व्यापार

*२२११. **श्री वोडयार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत ने दक्षिणी कोरिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया है ; और

(ख) सन् १९५३-५४ में उस देश के साथ कुल कितने रुपए का व्यापार हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) दक्षिणी कोरिया के साथ व्यापारिक सम्बन्ध की स्थापना का वस्तुतः कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि भारत तथा कोरियाई प्रायद्वीप के मध्य सदा ही व्यापार चलता रहा है। केवल दक्षिण तथा दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के साथ लगायी गयी रोक के अतिरिक्त, भारत का विदेशी व्यापार बहुपक्षीय तथा भेदभाव रहित आधार पर चलता है।

(ख) दक्षिणी कोरिया के साथ सन् १९५३-५४ (अप्रैल से फरवरी) हुआ व्यापार लगभग ५७ लाख रुपए के मूल्य का था, मुख्यतः कोयले का।

श्री वोडयार: क्या मैं जान सकता हूं कि यह समझौता किन शर्तों पर हुआ है?

श्री करमरकर: दक्षिणी कोरिया के और हमारे मध्य कोई समझौता नहीं है।

तिब्बत को निर्यात

*२२१२. **श्री विश्वनाथ रॉय:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या १९५३-५४ में १९५२-५३ की अपेक्षा तिब्बत को अधिक निर्यात हुआ था; तथा

(ख) क्या उस देश को होने वाले निर्यात में वृद्धि करने के लिये कुछ विशेष उपायों पर विचार किया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) हां, श्रीमान।

(ख) विशेष उपाय करने का कोई विचार नहीं है। आशा है कि २९ अप्रैल को भारत तथा चीन की सरकारों के बीच हुये समझौते से व्यापार में सुविधा प्राप्त होगी।

श्री विश्वनाथ रॉय: क्या यह सच है कि गत वर्ष तिब्बत में कुछ भारतीय व्यापारियों को परेशान किया गया था, तथा उसके परिणामस्वरूप तिब्बत को होने वाले भारतीय निर्यात पर प्रभाव पड़ा?

श्री करमरकर: निर्यात के सम्बन्ध में, आंकड़े २० टन प्रति दिन से बढ़कर ३० टन प्रति दिन तक हो गये थे। हमारे व्यापारियों की तथाकथित परेशानी के सम्बन्ध में, मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

श्री विश्वनाथ रॉय: क्या तिब्बत को जाने में परिवहन कठिनाइयों की समाप्ति का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री करमरकर: इस बारे में मझे कोई ज्ञान नहीं है। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि हाल में ही हमने चीन से एक समझौता किया है। मेरा विचार है कि समझौते से हमारी बहुत सी कठिनाइयां समाप्त हो जायेंगी।

श्री गणपति राम: क्या मैं जान सकता हूं कि तिब्बत में भारत से कौन कौन सा सामान निर्यात होता है?

श्री करमरकर: सूत, सूती कपड़े, रंग, लोहा, चाय तथा चाय-पात्र, आदि।

श्री केलप्पन: १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में हुए कुल निर्यात का मूल्य क्या था?

श्री करमरकर: १९५२-५३ में हुए निर्यात का मूल्य २,२६,७६,००० रुपये था, और १९५३-५४ में (अप्रैल से फरवरी तक) हुये निर्यात का मूल्य १,८५,८५,००० रुपये था।

कांस्टिट्यूशन क्लब

*२२१३. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद:** (क) **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कंस्टिट्यूशन क्लब के संधारण पर सरकार को ८००० रु० प्रति वर्ष व्यय करने पड़ते हैं?

(ख) क्या यह सच है कि क्लब से ६००० रु० प्रति वर्ष किराया लिया जाता है ?

(ग) क्या यह सच है कि क्लब पर किराये का भुगतान अवशेष है ?

(घ) क्या यह सच है कि क्लब ने आरम्भ से ही किराये का भुगतान नहीं किया है ?

(ङ) क्या यह सच है कि अब भवन को रिक्त कराने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान। धनराशि लगभग २,००० रु० है।

(ख) से (घ) तक। मैं सदन पटल पर एक विवरण रखता हूं जिस में स्थिति का स्पष्टीकरण किया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३२]**

(ङ) नहीं, श्रीमान् ; यद्यपि क्लब प्राधिकारियों से इस बात पर विचार करने के लिये कहा गया है कि क्या क्लब को उन हालों में से एक में ले जाना सम्भव होगा जो नार्थ तथा साउथ अवेन्यूज़ में संसन्सदस्यों के प्रयोग के लिये बनाये जा रहे हैं।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : क्या १०० रु० प्रति मास का नाममात्र किराया प्राप्त किया जा रहा है या नहीं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यही तो हम प्राप्त करना चाहते हैं। हमें आशा है कि क्लब यह किराया दे सकेगा।

खादी

*२२१४. **श्री राधा रमण** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में भारत में खादी का वार्षिक उत्पादन कितना था ?

(ख) पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत खादी का प्रत्याशित उत्पादन क्या है ?

(ग) योजना के अन्तर्गत इसकी उन्नति के लिये सरकार क्या वित्तीय दायित्व अपने ऊपर ले रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३३]**

(ख) आशा है कि पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग १५ करोड़ रुपये के मूल्य की खादी का उत्पादन होगा।

(ग) १९५३-५४ में खादी उद्योग के विकास के लिये १९७ लाख रुपये स्वीकार किये गये थे।

१९५४-५५ के लिये, आयव्ययक में २६० लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

१९५५-५६ में, पंच वर्षीय योजना के अंत्तिम वर्ष में, खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की कार्यवाहियों के लिये वित्त की व्यवस्था का फिर उपबन्ध किया जायेगा।

श्री राधा रमण : जो विवरण सदन पटल पर रखा गया है उससे विदित होता है कि १९४९-५० से १९५३ तक खादी के उत्पादन में अधिक वृद्धि नहीं हुई है। १९५२ में, वास्तव में, इसमें पर्याप्त कमी हो गई है। इस कमी के क्या कारण हैं तथा इन वर्षों में खादी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री करमरकर : जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है कि खादी की उन्नति के लिये हमने केवल गत वर्ष में ही गम्भीर कार्यवाही की थी, तथा तब से खादी का विक्रय बढ़ गया है। उसमें लगभग ९ प्रति शत वृद्धि हुई है। मैं पहिले के वर्षों के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि यह कार्य अधिकतर अखिल भारतीय चर्खा संघ द्वारा किया गया था।

श्री राधा रमण : खादी बोर्ड की स्थापना के पश्चात् क्या पग उठाये गये हैं तथा उत्पादन

में वृद्धि करने के लिये कौन कौन से उपाय विचाराधीन हैं ?

श्री करमरकर : हम संगतमय सूचना एक पुस्तिका में दे चुके हैं जो पहिले ही सदस्यों में परिचालित की जा चुकी है। यदि माननीय सदस्य मुझे से किसी विशेष बात पर प्रकाश डलवाना चाहते हैं तथा मेरे पास सूचना है, तो मैं सूचना दूंगा।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की एक योजना है जिसके अनुसार आगामी पांच वर्षों में वे २५ करोड़ रु० के मूल्य की खादी का उत्पादन करना चाहते हैं। यदि हां, तो विक्रय सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार के समक्ष क्या क्या प्रस्ताव हैं? क्या तीन आने की छूट देने का विचार है ?

श्री करमरकर : प्रथम, यह सच है कि २५ करोड़ रु० के मूल्य की खादी का उत्पादन करने का उनका कार्यक्रम है। द्वितीय बात, सरकार उन्हें सम्पूर्ण सामान्य सहायता देगी—जो सहायता दी गई है वह विस्तृत रूप में पहिले बताई जा चुकी है। तृतीय बात, विक्रय सुविधाओं के सम्बन्ध में, भारत सरकार यथा-सम्भव खादी के क्रय को प्रोत्साहित कर रही है। अन्य उपायों के बारे में, खादी बोर्ड ने खादी के प्रचार तथा गवेषणा केन्द्रों की स्थापना आदि के लिये कुछ उपाय खोजे हैं। तीन आने की आर्थिक सहायता भी उपायों में से एक है। हम दूर भविष्य के बारे में नहीं कह सकते हैं, परन्तु आगामी वर्ष क लिए हम न उस आधार पर खादी को आर्थिक सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : क्या यह सच है कि बहुत से खादी भण्डारों में खादी बड़ी मात्रा में बिना बिकी पड़ी है; यदि हां तो केवल उत्पादन में वृद्धि करने के पूर्व, सरकार वहां पड़ी हुई वस्तुओं के विक्रय के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री करमरकर : प्रत्यक्षत: हम स्टाक में पड़ी खादी के विक्रेता नहीं हैं। प्रसन्नता की बात है कि बिना बिकी खादी आहिस्ता आहिस्ता परन्तु निरन्तर रूप में निकल रही है।

श्री बंसल : विवरण से मुझे विदित होता है कि ठीक अन्तिम इकाई तक की सूचना दी गई है, अर्थात् १९५१-५२ में उत्पादन का मूल्य १,७७,४०,८२१ रु० बताया गया है। इस अत्यंत शुद्ध सूचना का सूत्र क्या है ?

श्री करमरकर : वास्तविकता यह है कि प्रत्यक्ष रूप में आनों तथा पाइयों को छोड़ दिया गया है। हमारे पास आंकड़े प्राप्य हैं। हमें विवरण प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर ये आंकड़े दिए जाते हैं।

श्री केलप्पन : विगत दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने कुल कितनी खादी का क्रय किया है ?

श्री करमरकर : इस संबंध में निश्चित जानकारी प्राप्त किये बिना मैं कोई आंकड़े नहीं देना चाहता।

बेकारी

*२२१५. **श्री रूप नारायण** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेकारी दूर करने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख)। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल में रोजगार में बढ़ि करने की दृष्टि से बहुत सी विकास योजनायें प्रस्तुत की हैं। इन योजनाओं का एक विवरण, जो विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के विचाराधीन है, सदन पटल पर रखा

जाता है । [देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ३४].

श्री एच० एस० प्रसाद : उत्तर प्रदेश राज्य में बेकार व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

श्री नन्दा : इसका कोई ठीक आंकन नहीं किया जा सकता है ।

श्री एच० एस० प्रसाद : क्या शिक्षित व्यक्तियों में बढ़ती हुई बेकारी को रोका जायेगा तथा क्या बनाई गई योजना से सारे शिक्षित व्यक्तियों को रोज़गार दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नन्दा : इन योजनाओं के द्वारा कुछ बेकार व्यक्तियों को रोज़गार दिया जायेगा । मैं यह बताने में असमर्थ हूं कि उनमें से सब को रोज़गार मिल जायेगा या नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इन योजनाओं पर कुल कितना खर्चा लगेगा और केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देने की योजना कर रही है ?

श्री नन्दा : कुल जितनी योजनाएं आई हैं उन पर यू० पी० गवर्नमेंट का अन्दाज़ा है कि ४८ करोड़ रुपये का खर्चा होगा और इन स्कीमों में से कुछ पर तो फ़ैसला हो चुका है और बाकी स्कीमों पर विचार हो रहा है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन स्कीमों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ़ैसला कर लिया है, वह कौन कौन सी हैं ?

श्री नन्दा : उनमें सबसे ज़रूरी तो रोड्स के बारे में है, कोई २ करोड़, ५० लाख रुपये की ग्रान्ट उत्तर प्रदेश के रोड्स प्रोग्राम के वास्ते देने का फ़ैसला हो चुका है ।

चाय की पेटियां

*२२१६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चाय की पेटियों पिटारों के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो अभी कितनी पेटियों का आयात किया जाता है ;

(ग) क्या भारत में बनने वाली पेटियां वैसे ही बनती हैं जैसे कि चाय उद्योग के लिए आवश्यक होती हैं ; तथा

(घ) चाय की पेटियों को बनाने वालों के लिये कच्चे माल का अखंड सम्भरण सुनिश्चित करने के हेतु क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अब भारत में चाय की उतनी पेटियां बनाई जा रही हैं जितनी कि वर्तमान मांग को लगभग पूरा करती हैं ।

(ख) ५ प्रतिशत के प्रतीकात्मक आयात अभ्यंश की अनुमति दी जाती है ।

(ग) जी हां । वे भारतीय प्रमाप संस्था के दिए हुए विशेष विवरणों के अनुसार बनाए जाते हैं ।

(घ) कच्चे माल में लकड़ी तथा केसीन ये ही दो वस्तुएं प्रमुख हैं । लकड़ी तो देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और अंडमान से भी प्राप्त होती है । जहां तक केसीन का संबंध है, हमने उसे खुली सामान्य अनुज्ञप्ति में रखा है और उसका अनिर्बंध आयात किया जा सकता है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : इस बात को देखते हुए कि चाय की पेटियां बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी की अधिकतर मात्रा अंडमान से आयात की जाती है, क्या अंडमान में ही चाय की पेटियां बनाने का कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री करमरकर : हमारी विद्यमान क्षमता पर्याप्त है । जब तक इस स्थिति का सन्तुलन करने के प्रबल कारण दिखाई नहीं देते, तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि कोई विशेष कारण हो तो, हम विचार करेंगे ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या वन्य वस्तुओं के उपयोग के संबंध में सरकार को मंत्रणा देने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अभी अभी ऐसा कोई प्रस्ताव रखा था ?

श्री करमरकर : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि कुछ समय पहले इंगलिस्तान में चाय की टूटी-फूटी पेटियों के, जो कि भारत से वहां पहुंचे थे, छायाचित्र प्रकाशित हुए थे जिन से यह प्रकट होता था कि भारत में बनी पेटियां हल्की किस्म की होती हैं ? यदि हां, तो इनकी किस्म सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या सरकार को अब सूचना मिली है कि किस्म में सुधार हो गया है ?

श्री करमरकर : पर्याप्त उपाय किये गये हैं । अब हमने चाय की पेटियों का निरीक्षण करने वाला कार्यालय स्थापित किया है जो स्थानीय उत्पादन के लगभग २५ प्रतिशत का निरीक्षण करता है । स्पष्टतः, ये छायाचित्र सन्निहित हितों द्वारा ही प्रकाशित किये गए होंगे ।

श्री साधन गुप्त : भारत में चाय की पेटियां बनाने वाले कारखानों में कितनी विदेशी पूंजी लगी हुई है और वह किन किन राष्ट्रों की है ?

श्री करमरकर : मुझे विदेशी पूंजी की कोई खबर नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या देहरादून की वन गवेषणा संस्था में चाय की पेटियों की किस्म सुधारने के बारे में कोई गवेषणा-कार्य हो रहा है ?

श्री करमरकर : चाय की पेटियों पर खास कोई कार्य नहीं हो रहा है । सभा को विदित ही है कि देहरादून की संस्था में लकड़ी के बारे में गवेषणा हुआ करती है । इस विषय में भी कुछ गवेषणा कराने का विचार है । चाय के पिटारों के प्लायवूड के निर्माताओं से कुछ स्वेच्छाधारित उपकर लिया जा रहा है जिसे गवेषणा तथा विकास के काम में लगाया जाएगा ।

भाखड़ा नंगल से बिजली

*२२१८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा उसके आस पास की बस्तियों के बीच बिजली से रेल गाड़ियां चलाने के लिए भाखड़ा-नंगल परियोजना से बिजली मिल सकेगी ; और

(ख) क्या दिल्ली राज्य की सरकार ने इस संबंध में कोई सुझाव भेजा है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): (क) इस समय दिल्ली में बिजली से चलने वाली उपनगर रेल गाड़ियां शुरू करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । किन्तु ऐसी किसी योजना के बनने पर पंजाब सरकार को उम्मीद है कि भाखड़ा-नंगल से बिजली की आवश्यक मात्रा दी जा सकेगी, यदि तब तक वहां उत्पन्न होने वाली सारी बिजली किसी दूसरे काम में न लगाई गई हो ।

(ख) जी नहीं ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता कि भाखड़ा-नंगल योजना से दिल्ली राज्य को कितनी बिजली मिलेगी और यह कब तक प्राप्त हो जायगी ।

श्री हाथी : इस समय तो दिल्ली को २०,००० किलोवाट मिलते रहेंगे ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इससे ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे उद्योग धंधों के लिए कितनी बिजली दी जायगी और उसकी दर क्या होगी ।

श्री हाथी : बिजली दिल्ली राज्य को दी जाएगी । उसके वितरण का काम राज्य सरकार का होगा ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या भाखड़ा में और एक बिजली घर बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ? यदि हां, तो उसकी सिफारिश क्या है ?

जी हाथी : : अभी उन्होंने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

श्री बंसल : क्या भाखड़ा-नंगल की बिजली के वितरण में पंजाब के उन पिछड़े हुए क्षेत्रों का दिल्ली से अधिक ख्याल किया जाएगा, जिन्हें अब तक पंच वर्षीय योजना से कोई भी लाभ नहीं हुआ है ?

श्री हाथी : ऐसा होना चाहिये; किन्तु वस्तुतः यह तो पंजाब सरकार का काम है ।

दामोदर घाटी परियोजना

***२२१९. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने वर्षों के बाद दामोदर घाटी परियोजनाओं से आय की आशा की जाती है और सहभागी सरकारों के बीच वह आय कैसे बांटी जाएगी ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : दामोदर घाटी निगम को निर्माण-कार्य के लिए बनाए गए बिजली-घर से तथा उस के बाद तिलैया तथा बोकारो के बिजली घरों से अतिरिक्त बिजली की बिक्री से १९५० के प्रारंभ में आय होने लगी है । इस आय का उपयोग दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा ३० के अनुसार लागत पूंजी को घटाने के लिए किया जा रहा है । आशा की जाती है कि १९६३-६४ में इस परियोजना का संपूर्ण विकास हो जायेगा जब कि शुद्ध आय व्यय से अधिक हो जायेगी । सहभागी सरकारों में निगम के लाभों तथा हानियों का वितरण दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा ३७ के अनुसार होगा :

श्री के० सी० सोधिया : क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना के संपूर्णतया विकसित हो जाने पर उस में लगी हुई पूंजी पर कितने प्रतिशत ब्याज पाने की आशा है ?

श्री हाथी : अस्थायी वित्तीय विश्लेषण के अनुसार खदानों तथा रज्जुमार्गों के अलावा अन्य कामों में लगी हुई पूंजी पर ४.७९ प्रतिशत शुद्ध आय होगी । लगी हुई पूंजी तथा निर्माण की अवधि के ब्याज को मिलाने पर शुद्ध आय ४.२९ प्रतिशत होगी ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस योजना में सिंचाई का भी कोई प्रबंध है ?

श्री हाथी : जी हां ।

श्री बी० के० दास : अब तक कुल आय कितनी हुई ?

श्री हाथी : १,०२,५५,००० रुपए ।

श्री बी० के० दास : क्या इस में सिंचाई के फलस्वरूप मिलने वाली राशि भी सम्मिलित है ?

श्री हाथी : नहीं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस योजना के बोकारो तापविद्युत विभाग से कोई आय हो रही है और यदि है, तो उसका आय की कुल क्षमता से क्या अनुपात है ?

श्री हाथी : उससे आय अवश्य हो रही है परन्तु उसके बारे में मेरे पास प्रलग आंकड़े नही हैं ।

काफी

*२२२०. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ में कॉफी का कुल उत्पादन कितना था, और उक्त अवधि में कितनी मात्रा निर्यात की गई थी ; और

(ख) १९५३-५४ में कॉफी की फसल की क्या स्थिति है, और क्या भविष्य में अधिक मात्रा में कॉफी का निर्यात होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५२-५३ की फसल से लगभग २३,५०० टन कॉफ़ी मिली थी । इस में से ३००० टन निर्यात के लिए रखी गई ।

(ख) अन्दाज़ा लगाया गया है कि १९५३-५४ की फसल से २७,५०० टन कॉफ़ी मिलेगी । इस फ़सल में से ५,००० टन निर्यात के लिए रखी गई है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या कॉफ़ी के के व्यापार में विदेशी पूंजी घटती या बढ़ती जा रही है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या भारतीय कॉफ़ी का मूल्य अन्य देशों की कॉफ़ी के निर्यात-मूल्य की प्रतिद्वंद्विता में उतर सकता है ?

श्री करमरकर : हां, श्रीमान्, इसीलिए हमारी कॉफ़ी का निर्यात होता है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : कॉफ़ी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री करमरकर : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है । माननीय सदस्य कॉफ़ी बोर्ड के प्रकाशनों का अध्ययन करें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किसी विशेष बात के सम्बन्ध में प्रश्न पूछें, इतने विशद रूप से पूछे गये प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या कॉफ़ी के निर्यात के लिए विशेष सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री करमरकर : विशेष सुविधा यही है कि निर्यात के लिए अभ्यंश निर्धारित किया गया है ।

श्री ए० एम० टामस : इस समय कॉफ़ी का स्टॉक कितना है, और क्या देशी आवश्यकताओं का अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता ; और यदि अन्दाज़ा नहीं लगाया जा सकता तो क्या सरकार यहां की आवश्यकताओं के लिए एक विशेष स्टॉक निर्धारित कर के शेष मात्रा के निर्यात की आज्ञा नहीं दे सकती ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि प्रत्यक्षतः ऐसा विचार उचित है, किन्तु हमें पर्याप्त स्टॉक रखना पड़ेगा । १९५२-५३ के उत्पादन में से लगभग ४५८ टन, और १९५३-५४ के उत्पादन में से लगभग २४,२६७ टन बचते हैं । इस समय की यही स्थिति है । हम इसी ताक में हैं कि स्थिति क्या रहेगी ।

श्री ए० एम० टामस : क्या देशी आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है ? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

दरियां

*२२२१. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति वर्ष कितनीं दरियां बनती हैं ; और

(ख) क्या यह देश की मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त होती हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) । जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रखी जाएगी ।

श्री जी० एल० चौधरी : क्या यह सच है कि उक्त उद्योग उत्तर प्रदेश में डाँवाडोल हो रहा है क्योंकि वहां की सरकार इस पर विक्रय-कर लगा रही है ?

श्री करमरकर : इस में दो प्रश्न समाये हैं, एक केन्द्र के सम्बन्ध में है और दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य के विषय में है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कार्य-कारण का सम्बन्ध है । क्या विक्रय-कर के कारण व्यापार पर प्रभाव पड़ता है ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, मेरा ऐसा विचार नहीं है ।

मलाया स्थित भारतीय

*२२२२. **श्री एन० श्रीकान्तन नायर**: (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगापुर, मलाया और बोर्नियो में अब कितने भारतीय राष्ट्रजन रहते हैं ?

(ख) इन में से कितने बेकार हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) अन्दाज़ा लगाया जाता है कि सिंगापुर, मलाया और बोर्नियो में रहने वाले भारतीयों की संख्या क्रमशः ८१,४००, ६,१५,००० और १,३०० है ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है । स्थानीय सरकारों के पास भी आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सिंगापुर स्थित भारतीय हाई कमिश्नर ने काम करने वालों की बोर्नियो बागानों में भेजने के सम्बन्ध में कोई बातचीत की थी, और यदि की थी तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री अनिल के० चन्दा : सिंगापुर में यहां का कोई भी हाई कमिश्नर नहीं है । वहां भारत सरकार का एक प्रतिनिधि है, और जहां तक मुझे मालूम है इस प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं हुई है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: क्या सरकार को मालूम है कि सिंगापुर में हज़ारों कमकर बेकार हैं और बोर्नियो जाने के लिए अशान्त हो उठे हैं, किन्तु भूतकाल में भारत सरकार के पदाधिकारियों द्वारा पैदा की गई अड़चनों के कारण उन पर रोक लग गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : क़तई नहीं, क्योंकि बोर्नियो की सरकार बिना आज्ञापत्र के वहां किसी को भी काम करने के लिए जाने नहीं देती । कोई भी व्यक्ति—वह चाहे बेकार हो या काम में—बिना आज्ञा-पत्र प्राप्त किए बोर्नियो नहीं जा सकता ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : क्या भारत सरकार का एजेन्ट हमारे बेकार राष्ट्रजनों को वहां नौकरी ढूंढ़ने में सहायता करता है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह तो स्पष्ट है कि यदि कोई बेकार भारतीय राष्ट्रजन हमारे प्रतिनिधि से सहायता मांगेगा तो वह ऐसा करने का यथासंभव प्रयत्न करेगा ।

तीर्थ यात्री

*२२२३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी से ३० अप्रैल, १९५४ तक कितने पाकिस्तानी तीर्थयात्री भारत आये और कितने भारतीय तीर्थयात्री पाकिस्तान गए ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : १ जनवरी से ३० अप्रैल, १९५४ तक ४७८ पाकिस्तानी तीर्थ यात्री भारत

आये और ३९७ भारतीय तीर्थ यात्री पाकिस्तान गए ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि उन में हिन्दू और सिख यात्रियों की तादाद क्या थी ?

अध्यक्ष महोदय : इन तीर्थ यात्रियों में हिन्दू कितने थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, मेरे पास जातिवार ब्यौरा नहीं है, किन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां के सभी तीर्थ सिख धर्मावलम्बियों के हैं, मैं यही बता सकता हूं कि वे सभी सिख होंगे ।

श्री एन० एल० जोशी : पाकिस्तान में किन महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों की यात्रा हुई ?

श्री अनिल के० चन्दा : जिन तीर्थस्थानों की यात्रा की आज्ञा दी गई थी, उनके नाम इस प्रकार हैं : झंग स्थित गुरुद्वारा भाई खान चन्द, गुरुद्वारा भाई हामजी और गुरुद्वारा नानकसर; ज़िला मंटगुमरी स्थित विपालपुर में श्री बाबा लालू जुआ बाई का मन्दिर; ज़िला लायलपुर स्थित चक सं० ११२ आर० बी० तहसील में गुरुद्वारा साहिब एस० दलीप सिंह । मैं अन्य नाम भी पढ़ कर सुना सकता हूं ।

जूट जांच आयोग

*२२२४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जूट जांच आयोग ने, जिसकी नियुक्ति जूट उद्योग की जांच पड़ताल करने के लिये की गई थी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या इसके तथ्यों एवं सिफारिशों की सरकार ने जांच करली है ;

(घ) क्या सरकार इस प्रतिवेदन को अन्य संकल्पों सहित छापेगी; तथा

(ङ) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ङ)। जूट जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन २६ मार्च, १९५४ को सरकार को प्रस्तुत किया था । उसकी एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है ; [पुस्तकालय में रखी है, देखिये संख्या एस–१४०/५४] । प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या यह तथ्य है कि बंगाल तथा बिहार राज्य में सात हजार रेटिंग तालाब खोदे गये हैं और उनका निर्माण व्यय केन्द्रीय सरकार देगी ?

श्री करमरकर : इस आयोग के प्रतिवेदन से तो ऐसा प्रतीत होता है ।

अध्यक्ष महोदय : संभवतः

श्री करमरकर : इस प्रतिवेदन को मैं सावधानी से पढ़ना चाहता हूं और माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह भी ध्यानपूर्वक पढ़ें ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जूट की खेती करने के लिये वे एक विशेष प्रकार के तालाब हैं ।

श्री करमरकर : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या केन्द्रीय सरकार ने बंगाल तथा बिहार सरकारों से अच्छी किस्म के जूट के बीजों की वृद्धि करने के लिये फार्म खोलने के लिये कहा है, और क्या उसके लिये कोई आर्थिक सहायता देने के लिये वे तैयार हैं ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये वस्तुतः मैं तैयार नहीं हूं, प्रतिवेदन विषयक प्रश्नों के लिये मैं तैयार हूं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह तथ्य है कि इस जूट जांच आयोग ने जूट के विषय के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं, यदि हां तो क्या उसे स्वीकार करने की सम्भावना है ?

श्री करमरकर : यह प्रश्न उनके सामने भी रखा गया था किन्तु उनकी सिफारिशों के बारे में हमारा क्या निर्णय होगा, यह अभी नहीं बताया जा सकता ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या भारतीय पटसन मिल संघ ने जो मिशन अमरीका भेजा है वह इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही गया है ?

श्री करमरकर : नहीं । यह तो स्वतंत्र मिशन है ।

निवेली लिगनाइट खदान

*२२२५. **श्री रघुरामय्या** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पदाधिकारियों के उस दल ने जिसे सरकार ने निवेली में लिगनाइट खदान परियोजना के प्रथम कार्य का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; तथा

(ख) यदि हां तो क्या उस प्रति वेदन की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जायेगी ?

उत्पादन-मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) केवल प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

(ख) चूंकि यह प्रारम्भिक प्रतिवेदन है अतः इसे सदन पटल पर रखना उचित नहीं समझा गया ।

श्री रघुरामय्या : क्या प्रारम्भिक प्रतिवेदन में उन्होंने यह कहा है कि प्रारम्भिक कार्य में सफलता मिली है, इसे पूरा करना चाहिये, और सरकार को या तो खदान का कार्य अपने हाथ में ले लेना चाहिये अथवा इसे प्रोत्साहन देना चाहिये ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां । अन्य बहुत सी बातों का भी उन्होंने उल्लेख किया है । उन्होंने कहा है कि कुछ अतिरिक्त मशीनें एवं अतिरिक्त पुर्जे इत्यादि बढ़ा कर प्रारम्भिक कार्य को छः महीने के भीतर शीघ्रता से करना चाहिये ; कर्मचारियों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में बहुत सी विस्तृत बातों का भी उन्होंने उल्लेख किया है ।

श्री रघुरामय्या : क्या लिगनाइट खदान से कृत्रिम तेल या अन्य रसायन निकालने की संम्भावना के सम्बन्ध में, इस दल ने कोई जांच की है ?

श्री के० सी० रेड्डी : दल ने इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या दामोदर घाटी निगम के आधार पर सरकार ने कोई एकीकृत बहुसूत्रीय योजना दक्षिण अरकाट तथा सलीम जिलों के लिये वहां प्राप्त लिगनाइट, ब्यूक्साइट तथा अन्य खनिजों का पता लगाने के लिये बनाई गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह प्रश्न तो बिल्कुल ही दूसरा है । जहां तक मुझे ज्ञात है ऐसा कोई बहुसूत्रीय कार्यक्रम नहीं है ।

सीमा पर होने वाले आक्रमण

*२२२६. **श्री एम० एल० अग्रवाल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि अभी हाल में जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कुछ सशस्त्र पाकिस्तानियों ने युद्ध विराम पंक्ति पार करके मूलूचक, जगतूचक, तथा कोतली भगवान सिंह गांवों पर आक्रमण किया था ;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन आक्रमणों में गोलियां भी चलाई गई थीं ;

(ग) प्रत्येक आक्रमण कब तथा किस तिथि को हुये और फलस्वरूप भारतियों के जीवन एवं सम्पत्ति की क्षति का विस्तृत विवरण ; तथा

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग) । मूलूचक तथा जगतूचक गांवों पर हुये आक्रमण के सम्बन्ध में तो समाचार मिले हैं किन्तु कोतली भगवान सिंह ग्राम पर कोई आक्रमण हुआ है इस सम्बन्ध में कोई समाचार नहीं मिला है ।

मूलूचक तथा जगतूचक गांवों पर आक्रमण का विस्तृत विवरण निम्न है :–

(i) **मूलूचक** –१ अप्रैल, १९५४ को प्रात: १ बजे के लगभग मूलूचक गांव की ओर गोलियों की आवाज सुनी गई । निकटवर्ती चौकी से भारतीय सैनिक गांव की ओर दौड़े किन्तु आक्रमण कारियों को पकड़ने में असमर्थ रहे । ग्राम बासियों ने बताया कि १५ पाकिस्तानी नागरिकों ने आक्रमण किया था और वे दो जानवर लेकर चलते बने हैं । एक स्त्री की हत्या भी उन्होंने कर दी है । जांच का कार्य प्रगति से हो रहा है ।

(ii) **जगतूचक**—४ अप्रैल, १९५४ को प्रात: एक बजे के लगभग कुछ सशस्त्र पाकिस्तानियों ने जगतूचक ग्राम पर आक्रमण किया । हमारे किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई है ।

(घ) निम्न लिखित कार्यवाहियां की गई हैं :—

(i) इस प्रकार छुपकर आने वालों को रोकने के लिये सीमा पर फौजें तथा सशस्त्र पुलिस को तैनात कर दिया है । विभिन्न चौकियों के बीच फौज के ये सिपाही आक्रमणों तथा अन्य प्रकार के उल्लंघनों को रोकेंगें ।

(ii) जगतूचक गांव पर सशस्त्र पाकिस्तानियों के आक्रमण की सूचना जम्मू स्थिति संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय पर्यवेक्षण दल को दे दी है और वे इस की जांच पड़ताल कर रहे हैं । मूलूचक आक्रमण के बारे में भारतीय पदाधिकारियों द्वारा जांच कार्य पूरा हो जाने के बाद उस दल को सूचना दे दी जायगी ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : सन् १९५३ के शुरू से अब तक जम्मू तथा काश्मीर राज्य में युद्ध विराम पंक्ति को पार कर के पाकिस्तानियों ने ऐसे कितने आक्रमण किये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : १९५३ में इस प्रकार के उल्लंघन १५ हुये और १९५२ में ७४ ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : भारतीय राज्यक्षेत्र में पाकिस्तानी इस प्रकार के आक्रमण फिर न करें क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय पर्यवेक्षक दल वहां है हम तो इनके बारे में केवल उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या उनका ध्यान आकर्षित किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय उपमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय पर्यवेक्षक दल को जो प्रतिवेदन भेजा है क्या उस प्रतिवेदन को उस दल के अमरीकी पर्यवेक्षक भी देखेंगे ?

श्री अनिल के० चन्दा : दल तो दल ही है विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्ति भी सदस्य हो सकते हैं ।

विजयवाड़ा आकाशवाणी केन्द्र

*२२२७. **डा० रामा राव :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में विजयवाड़ा आकाशवाणी केन्द्र पर कितना कितना धन व्यय किया गया है तथा १९५४-५५ के आय-व्ययक में कितने धन की व्यवस्था की गई है ;

(ख) आंध्र तथा हैदराबाद के तेलंगाना क्षेत्र में अनुमानतः कितने रेडियो हैं ; तथा

(ग) इन रेडियो की अनुज्ञप्ति शुल्क से कितनी आय हुई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग)। विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या ३५]**

डा० रामा राव : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इनमें से बहुत से रेडियों पर विजयवाड़ा से प्रसारित कार्यक्रम सुनाई नहीं देते ?

डा० केसकर : जी हां। किन्तु माननीय सदस्य को सम्भवतः ध्यान होगा कि प्रारम्भ में तेलगू कार्यक्रम केवल विजयवाड़ा से ही नहीं आता था अपितु मद्रास और विजयवाड़ा दोनों ही स्थानों से आता था क्योंकि उस समय ये दोनों स्थान एक ही राज्य में थे।

डा० रामा राव : क्या ट्रांसमीटर को अधिक शक्तिशाली बनाने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय कर लिया है ?

डा० केसकर : सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है किन्तु आंध्र क्षेत्र के लिये अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर बनाने के लिये हम बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं और आशा है कि इस के बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय कर लेंगे।

श्री रघुरामय्या : इस तथ्य को दृष्टिगत रख कर कि वहां सुधार करना आवश्यक है, जिसमें अधिक शक्ति वाले ट्रांसमीटर का लगाना भी सम्मिलित है फिर भी १९५४-५५ के आय-व्ययक में १९५२-५३ की अपेक्षा कम धन की व्यवस्था क्यों की गई है ?

डा० केसकर : अन्तर बहुत थोड़ा है और वह भी कुछ सैकड़ों का। वास्तव में इस आय व्ययक काल में स्टूडियो तथा ट्रांसमीटर इसी स्थिति में रहेंगे। आंध्र क्षेत्र के लिये शक्ति की बृद्धि करने की जो योजना है वह पंच वर्षीय योजना में पूरा करने का विचार है ; इस आय-व्ययक वर्ष में निश्चय ही यह पूरी नहीं होगी। हो सकता है कि यह कार्य अगले वर्ष में भी चालू रहे।

चलचित्र विभाग

*२२२८. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में सिनेमाघरों को उधार दिये गये चलचित्रों पर लिये गये किराये से चलचित्र विभाग को कितनी आय हुई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : ३२,३०,०३४ रुपये।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस राशि में विदेशों से प्राप्त किराया भी सम्मिलित है और यदि हां, तो वह कितना ?

डा० केसकर : श्रीमान्, समुद्र पार के व्यावसायिक वितरण का किराया इसमें सम्मिलित नहीं है। मुझे खेद है कि मैं वह संख्या नहीं बतला सकता।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस वर्ष विदेशों में हमारे चलचित्रों के व्यावसायिक वितरण के सम्बन्ध में कोई ऋण दिया जा सका है ?

डा० केसकर : हां, श्रीमान्। हम विदेशों में अपने चलचित्रों के व्यवसायिक वितरण को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हम यूरोप

महाद्वीप में विभिन्न वितरण अभिकरणों के साथ प्रबन्ध कर चुके हैं और हमें आशा है कि हम बाहर अपने चलचित्रों के वितरण सम्बन्धी जाल को और फैला सकेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : १९५३ में किन किन देशों में हमारे चलचित्र दिखाये गये ?

डा० केसकर : निम्नलिखित देशों में :—

ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, आयर, आइल आफ मैन, चैनल द्वीप समूह, माल्टा, जिब्राल्टर, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पश्चिमी अफ्रीका, हांकांग, सम्पूर्ण पश्चिमी यूरोप, इटली, जंजीबार, केनिया, युगाण्डा, टांगानिका, इथोपिया, उत्तरी तथा दक्षिणी रोडेशिया, पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका, बेल्जियम कांगो, मारिशस, मैडागास्कर, मैगाडिस्सियो तथा री-यूनियन, ट्रिनिडाड, ब्रिटिश गायना, जमैका, इन्डोनेशिया, फिजी द्वीपसमूह, अदन, बहरीन, पांडिचेरी, गोआ, ड्यू और नेपाल ।

श्री कासलीवाल : क्या सरकार का इन चलचित्रों को उन स्थानों में दिखाने का है इरादा है जहां प्रदर्शनियां हो रहीं हैं जहां सभी देशों की वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है ?

डा० केसकर : भारत की प्रदर्शनियों में या बाहर की प्रदर्शनियों में ?

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य भारत की प्रदर्शनियों के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं या बाहर की ?

श्री कासलीवाल : मेरा अभिप्राय लीपत्सिग तथा अन्य स्थानों में होने वाली प्रदर्शनियों से है ।

डा० केसकर : हम निश्चय ही ऐसा करना पसन्द करेंगे और मैं समझता हूं कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय का प्रचार विभाग यह कार्य कर रहा है । मैं यह सुझाव अपने माननीय सहयोगी के पास भेज दूंगा ।

कोसी परियोजना

*२२२९. **श्री एस० एन० दास :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कोसी परियोजना को क्रियान्वित करने का काम सौंपने के लिये सरकार ने हाल ही में जिस प्रकार के संगठन का अनुमोदन किया है क्या उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ;

(ग) क्या परियोजना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में नैपाल सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई है ; और

(घ) कार्य के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). बिहार सरकार, एक नियंत्रण बोर्ड की सहायता से , जिसका संगठन शीघ्र ही बिहार सरकार द्वारा किया जायेगा , कोसी परियोजना को क्रियान्वित करेगी ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) बिहार सरकार प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर चुकी है ।

श्री एस० एन० दास : हाल ही में भारत तथा नैपाल के बीच जो करार सम्पन्न हुआ है उस में जिस समायोजन समिति का विचार किया गया था क्या वह बना दी गई है ?

श्री नन्दा : करार हो चुका है । इस के सदस्य नियत किये जाने वाले हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या यह सत्य है कि बिहार सरकार को इस परियोजना के लिये कोई उपयुक्त मुख्य इंजीनियर ढूंढ़ने में बड़ी कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस विषय में किस प्रकार सहायता करेगी ?

श्री नन्दा : केन्द्रीय सरकार सहायता करने का प्रयत्न कर रही है । मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही कोई उपयुक्त पदाधिकारी ढूंढ़ लेंगे ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ समय पूर्व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने यह सुझाव दिया था कि कोसी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये भाखड़ा-नंगल और हीराकुद परियोजनाओं के नमूने पर व्यवस्था की जायेगी, मैं जान सकता हूं कि क्या कोसी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये कोई नई प्रकार की व्यवस्था की जायेगी और किसी इंजीनियर को इसका अध्यक्ष बनाने की अपेक्षा किसी अन्य को अध्यक्ष बनाया जायेगा ? क्या इस योजना को भारत सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त है ?

श्री नन्दा : जो कुछ भी किया जायेगा वह बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच अच्छी प्रकार सलाह करके किया जायेगा । भाखड़ा नियंत्रण बोर्ड तथा हीराकुद बोर्ड का उल्लेख किया गया है । कोसी परियोजना के लिये जो नियंत्रण बोर्ड बनाया जायेगा वह बहुत कुछ उनके समान ही होगा ; किन्तु उसमें कुछ अन्तर होना स्वाभाविक है क्योंकि वहां की परिस्थितियां कुछ भिन्न हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : बिहार सरकार जो संगठन बनायेगी क्या उस के ऊपर केन्द्रीय सरकार के कोई नियंत्रण होगा ?

श्री नन्दा : नियंत्रण बोर्ड पर केन्द्रीय सरकार के कुछ प्रतिनिधि होंगे ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और क्या इसे केन्द्रीय सरकार उठायेगी अथवा केन्द्रीय सरकार तथा बिहार सरकार दोनों ही इस में हिस्सा बटायेंगी ?

श्री नन्दा : इस की लागत लगभग ३८ करोड़ रुपये होगी ।

अध्यक्ष महोदय : क्या संयुक्त नियंत्रण होगा ?

श्री नन्दा : नेपाल और बिहार के मध्य संयुक्त नियंत्रण का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

एशिया तथा सुदूर-पूर्व का आर्थिक आयोग

*२२३०. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या एशिया तथा सुदूर पूर्व के आर्थिक आयोग का दसवां सत्र हाल ही में कैंडी में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस में भारत के प्रतिनिधि थे; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने चर्चा के लिये कौन कौन सी समस्यायें प्रस्तुत की थीं ;

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने चर्चा के लिये कोई विशेष समस्या नहीं प्रस्तुत की ।

मैं इतना और बता देना चाहता हूं कि वहां जो भी प्रश्न उठाये गये थे उन सब में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने सक्रिय रूप से भाग लिया था ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस आयोग की सदस्यता से भारत को कुल लाभ क्या है ?

श्री करमरकर : : यह एक प्रादेशिक आयोग है और जैसे हमें अपने देश के विकास में रुचि है वैसे ही इस क्षेत्र के विकास में भी बहुत रुचि है । आपस में विचार विनिमय

होता है और कभी कभी प्रौद्योगिक कर्मचारियों की अदला-बदली भी हो जाती है । इस प्रदेश से सम्बन्धित देशों के लिये अपने विचारों को प्रकट करने के लिये यह बहुत ही उपयोगी गोष्ठी है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस आयोग के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है और क्या इसके कुछ प्रतिनिधि बहुत समय से चले आ रहे हैं ?

श्री करमरकर : ये प्रतिनिधि उस देश की सरकार के प्रतिनिधि होते हैं जो आयोग का सदस्य या सहायक-सदस्य है । इस बार हमारे मुख्य प्रतिनिधि श्री लंका में भारत के उच्चायुक्त श्री सी० सी० देसाई थे और उन के साथ कुछ अन्य सहयोगी भी थे ।

श्री डी० सी० शर्मा : भारत सरकार को इस आयोग को चन्दे या किसी और रूप में कितना धन देना पड़ता है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

पाकिस्तान को बिजली का सम्भरण

*२२३१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भाखड़ा-नंगल परियोजना से बिजली देने के लिये एक दीर्घकालीन करार करने का विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : हां, श्रीमान्, गत फरवरी में पंजाब सरकार (पाकिस्तान) तथा पंजाब सरकार (भारत) के प्रतिनिधियों के बीच इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक बातचीत हुई थी, किन्तु किसी की ओर से अन्तिम रूप से कोई वचन नहीं दिया गया ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या भाखड़ा-नंगल परियोजना से उत्पादित बिजली पंजाब तथा अन्य भारतीय राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी ?

श्री हाथी : यह भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रस्तावित करार के अन्तर्गत पाकिस्तान को अनुमानतः कितनी बिजली दी जायेगी ?

श्री हाथी : अभी तक इस विषय में कोई पक्का वचन नहीं दिया गया है या प्रस्ताव नहीं किया गया है । उन्होंने सम्भवतः १०,००० किलोवाट की मांग की है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या आगामी करार के अनुसार पाकिस्तान को दी जाने वाली बिजली की मूल दरें भारतीय राज्यों की दरों के समान ही होंगी ?

श्री हाथी : दरें अभी निश्चित नहीं की गई हैं । इस विषय में बातचीत हो रही है ।

डा० राम सुभग सिंह उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । सरदार हुक्म सिंह ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या बातचीत यह मान कर की गई थी कि हमारे पास फालतू बिजली होगी, जिसे भारत में प्रयोग नहीं किया जा सकेगा अथवा क्या यह समझ कर की गई थी कि हमें कुछ देशी मांग को अतृप्त रहने देना होगा ?

श्री हाथी : देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् जो बिजली फालतू बचेगी केवल उतनी ही पाकिस्तान को दी जायेगी ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी के अस्पताल

*२२३२ **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेंसी म आधारभूत अस्पताल खोलने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां तो ऐसे आधारभूत अस्पतालों की संख्या ;

(ग) अभी तक इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; तथा

(घ) इन अस्पतालों से एजेंसी की जनता की आवश्यकतायें कहां तक पूरी हो सकती हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) हां ।

(ख) २ ।

(ग) स्यांग सीमान्त डिवीज़न में पासीघाट में खोले जाने वाले आधारभूत अस्पताल की योजनायें तथा प्राक्कलन तय्यार कर लिये गये हैं तथा उनकी जांच की जा रही है । त्यूनसांग में खोले जाने वाले अस्पताल की योजनायें तथा प्राक्कलन अभी तय्यार किये जा रहे हैं।

(घ) हो सकता है कि इन दो अस्पतालों से सारी ऐजेन्सी की जतना की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके। परन्तु विचार यह है कि धीरे धीरे ऐजंसी के छै डिवीज़नों में से प्रत्येक में एक अस्पताल खोल दिया जाये। तब तक यह दो अस्पताल इन दो डिवीज़नों की जनता के लिये अतिरिक्त डाक्टरी तथा चीर फाड़ सम्बन्धी सुविधाओं का प्रबन्ध करते रहेंगे।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : अभी कितने अस्पताल बनाये गये हैं तथा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने अस्पताल बनाने का विचार किया जाता है ?

श्री हजारिका : पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत ८ औषधालय तथा १३ घुमन्तू स्वास्थ्य एकक कार्य कर रहे हैं । पंच-वर्षीय योजना के अंतर्गत, पासीघाट तथा त्यूनसांग के दो आधारभूत अस्पतालों के अतिरिक्त, हमने पांच और अस्पताल तथा तीस औषधालय स्थापित किये हैं । इसके अतिरिक्त पांच वर्ष में बाईस घुमन्तू स्वास्थ्य एकक भी स्थापित किये जायेंगे ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : प्रत्येक आधारभूत अस्पताल में रोगियों के लिये कितनी खाटों का प्रबन्ध किया गया है ?

श्री हाजारिक : पासीघाट के आधार-भूत अस्पतालों में पचास खाटों का प्रबन्ध किया जायेगा ।

कोयले की खानें

*२२३३. **श्री संगण्णा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उड़ीसा राज्य की कोयले की खानों में, कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षित) अधिनियम, १९५२ लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो क्रमशः १९५२ तथा १९५३ में कितना उपकर एकत्रित किया गया है; तथा

(ग) यदि नहीं तो इस का कारण ।

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) हां।

(ख) जब कोयला भेजा जाता है तो रेलवे उस पर उपकर वसूल कर लेती है । ठीक ठीक कितना उपकर वसूल होता है इसके अलग अलग राज्यों के अलग अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। उड़ीसा से जो कोयला भेजा गया है उसके आंकड़ों से अनुमान लगाया जाता है कि इस उपकर

का प्राप्ति १९५२ में लगभग १,६३,२४३ रुपया तथा १९५३ में लगभग १,६८,७३८ रुपया हुई होगी ।

(ग) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री संगण्णा : यह उपकर किस एजेंसी के द्वारा वसूल किया जा रहा है ?

श्री आर० जी० दुबे : उपकर रेलवे महसूल के साथ वसूल कर लिया जाता है ।

श्री संगण्णा : यह उपकर किस प्रयोजन के लिये वसूल किया जाता है ?

श्री आर० जी० दुबे : इस का प्रयोजन है संरक्षण तथा स्टोर करना जैसा कि मेरे साथी माननीय मंत्री ने बताया है ।

श्री संगण्णा : इस उपकर की शेष धन राशि कितनी है ?

श्री आर० जी० दुबे : इसके आंकड़े मुझे यहां दिखाई नहीं देते हैं ।

नमक विभाग

*२२३४. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नमक मंत्रणा समिति ने सिफ़ारिश की थी कि नमक विभाग को विकास विभाग के रूप में फिर से संगठित करना तथा चलाया जाना चाहिये ?

(ख) यदि हां तो किस विचार से ऐसी सिफ़ारिश की गई ?

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय किया है; यदि हां तो क्या ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) हां ।

(ख) ऐसी सिफ़ारिश करने का विचार यह था कि नमक विभाग, विकास विभाग का कार्य करे तथा वह नमक बनाने वालों को उत्पादन के तरीकों में सुधार करने तथा अच्छे किस्म का नमक तैयार करने में सहयता दे और गवेषणा प्रयोग शालाओं अथवा माडेल फ़ारमों के संस्थापन का उत्तरदायित्व तथा उद्योग विकास से सम्बन्धित अन्य कार्यों का कार्यभार ग्रहण करे ।

(ग) सरकार ने समिति की सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या अब तक नमक विभाग का संचालन उस रीति से नहीं किया जाता था जिस की कि अब इस समिति ने सिफ़ारिश की है ?

श्री आर० जी० दुबे : इसके तीन पहल हैं। नमक मंत्रणा समिति ने न्यूनाधिक उसी आधार पर सिफ़ारिशें की हैं जिस आधार पर कि नमक विशेषज्ञ समिति ने सिफ़ारिशें की हैं। हम भी निश्चय ही उसी आधार पर कार्य कर रहे हैं जिस आधार पर कि समिति ने सिफ़ारिशें की हैं। प्राक्कलन समिति ने कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे जो इन सिफ़ारिशों के विरूद्ध थे। जहां तक बचत करने का पहलू था, नमक विभाग ने प्राक्कलन समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार कुछ बचत करने वाले उपाय किये हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इस समिति की सिफ़ारिशों के कारण, कुछ अतिरिक्त व्यय होने की आशंका है ?

श्री आर० जी० दुबे : कदापि नहीं। इसके विपरीत, पुनर्संगठन निकाय की रचना के पश्चात् नमक विभाग ने तीन लाख रुपये की बचत की है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सिफ़ारिशों का पालन किया गया है तथा क्या सिफ़ारिशों के अनुसार कोई गवेषणा विभाग स्थापित किया गया है या उसके स्थापित करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री आर० जी० दुबे: अभी तो एक माडेल फ़ारम वडाला में है। इस के अतिरिक्त तीन जांच की प्रयोगशालायें हैं। दक्षिण भारत में नई प्रयोगशालायें खोलने का विचार है। अभी हाल में भावनगर में प्रधान मंत्री द्वारा एक नमक गवेषणा केन्द्र का उद्घाटन किया गया था। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के लिये विस्तृत विकास कार्यक्रम तय्यार किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

टैकनालिजी की संस्थायें

*२२०९. **श्री माधव रेड्डी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये टेकनालिजी की बहुप्रयोजनीय संस्थायें स्थापित करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): फ़ोर्ड प्रतिष्ठान के तत्वावधान में ग्रामोद्योग तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक दल अभी हाल में भारत आया था। उस दल ने इस प्रकार का एक सुझाव दिया है।

रेडियो सेट

*२२१७. **श्री मुनिस्वामी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी सूक्ष्म उपकरण कारखाने में रेडियो सेट बनाने का कार्य आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो कारखाने की अनुमानित लागत तथा उत्पादन का अनुमान;

(ग) कारखाने के कार्य आरम्भ करने की कब तक आशा की जाती है; तथा

(घ) जो रेडियो सेट वहां तय्यार किया जायेगा उस का अनुमानित मूल्य कितना होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) ऐसा एक सुझाव था।

(ख) से (घ) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

अलीपुर का सरकारी जांच घर

*२२३५. **सरदार हुक्म सिंह:** (क) क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में अलीपुर के सरकारी जांच घर द्वारा किये जाने वाले सामग्रियों के विश्लेषणों तथा जांचों की संख्या कितनी है ?

(ख) गैर सरकारी समवायों अथवा सरकारी निकायों के लिये की गई जांचों की संख्या कितनी है ?

(ग) शुल्क के रूप में कितना धन प्राप्त हुआ ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) १८००२।

(ख) ५,९८२ गैर सरकारी समवायों के लिये तथा ५३३ सरकारी निकायों के लिये ;

(ग)

वास्तविक	३·७५ लाख
सांकेतिक	३·१७ लाख
कुल	६·९२ लाख

इन्डिया सप्लाई मिशन वाशिंगटन

*२२६६. **श्री डी० सी० शर्मा:**
श्री राधा रमण:

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वाशिंगटन में, इण्डिया सप्लाई मिशन के लिये, सरकार द्वारा एक नये भवन का निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां तो उस की लागत क्या है; तथा

(ग) उस भवन का किस प्रकार प्रयोग किया जायेगा ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां ।

(ख) ११,९७,००० रुपये ।

(ग) इस भवन में, इण्डिया सप्लाई मिशन तथा भारतीय दूतावास से सम्बद्ध लेखा परीक्षण के कार्यालय खोले गये हैं।

फ्रेंच इण्डिया पुलिस द्वारा अनधिकार प्रवेश

*२२३७. **श्री एस० एन० दास** :
श्री बोगावत :
श्री रघुरामय्या :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सच है कि १२ अप्रैल १९५४ को फ्रेंच इण्डिया सशस्त्र पुलिस ने भारतीय संघ के प्रदेश में अनधिकार प्रवेष किया तथा भारतीय ग्रामों में गोली चलाई जिस के परिणामस्वरूप 'अनेक व्यक्ति घायल हो गये ;

(ख) यदि हां तो यह घटना किन परिस्थितियों में हुई ; तथा

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां ।

(ख) यह घटना पिल्लई चावाड़ी नाम के भारतीय ग्राम में हुई । १२ अप्रैल को भारतीय पुलिसमैन वहां इस शिकायत की जांच करने के लिये गये थे कि फ्रेंच इण्डियन गुण्डे भारतीय प्रदेश के फलवाले बागों को बरबाद कर रहे हैं। उस वक्त फ्रेंच क्षेत्र से लगभग १०० गुन्डे, जिन के साथ फ्रेंच इण्डियन पुलिस का एक दल था, सीमा पार कर के भारतीय प्रदेश में आ गया तथा फल के वृक्षों को बरबाद करने लगा। उन्होंने कुछ फ्रांसीसी भारतीयों को, जिन्होंने भारतीय प्रदेश में शरण ली थी ज़बर्दस्ती पकड़ ले जाने का भी प्रयत्न किया। शीघ्र ही मद्रास की विशेष पुलिस के दल, स्थल पर भेजे गये। तभी फ्रेंच इण्डियन पुलिस ने गोली वर्षा आरम्भ कर दी। गोली वर्षा भारतीय क्षेत्र के अन्दर की गई। ८ फ्रेंच इण्डियन शरणार्थियों के चोटें लगीं। उन में से तीन के सख्त चोटें आईं। टिण्डीवानम के भारतीय अस्पताल में उनका उपचार किया गया।

(ग) पाण्डिचेरी स्थित फ्रांसीसी आयुक्त के पास तथा नई दिल्ली के फ्रांसीसी राजदूत के पास जोरदार विरोध पत्र भेजे गये । फ्रांसीसी प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के तात्कालिक उपाय करें, अपराधियों को दण्ड दें तथा जिन व्यक्तियों को सम्पत्ति की क्षति उठानी पड़ी है तथा चोटें आई हैं उन को क्षतिपूर्ति अदा करें ।

गैर सरकारी क्षेत्र में धन लगाना

४७१. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : (क) क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में उद्योगों के गैर सरकारी क्षेत्र में कल कितना धन लगा हुआ है ?

(ख) इस में कितना देशी और कितना विदेशी धन है ?

(ग) कितना विदेशी धन भारतीय पूंजी के साथ भागीदारी में है ?

(घ) विदेशी और देशी पूंजी ने पृथक पृथक कितना लाभांश प्राप्त किया है, और १९४८ से उन्होंने रक्षित निधि में कितना रखा है ?

(ङ) इन वर्षों में पृथक पृथक लाभ में से विदेशी और देशी पूंजी ने कितना धन लगाया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) ३० जून १९४८ को भारत में ३२० करोड़ रुपये विदेशी पूंजी लगी हुई थी ।

(ग) भारतीय पूंजी की भागीदारी में १०८ करोड़ रुपये विदेशी पूंजी लगी हुई थी ।

(घ) तथा (ङ). जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

कई (आयात)

४७२. **श्री सूर्य्य प्रसाद :**
श्री जी० एल० चौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बढ़िया तथा बहुत बढिया कपड़ा बनाने के लिये १९५३-५४ में कितनी रुई विदेशों से मंगाई गई ; और

(ख) यह रुई किन किन देशों से मंगाई गई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ६६७,४८० गांठें मंगवाई गई थीं। यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि यह रुई पूर्णतया बढ़िया और बहुत बढ़िया कपड़ा बनाने के लिये प्रयोग में लाई गई थी ।

(ख) पूर्वी अफ़्रीका, सूडान, मिश्र और अमरीका ।

चाय क्षेत्र

४७३. **श्री के० पी० सिन्हा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५१, १९५२ और १९५३ में चाय की खेती का कुल क्षेत्र बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : विवरण पत्र संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३६]**

राजस्थान सीमा पर धावे

४७४. **श्री शोभा राम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में राजस्थान सीमा पर कितने धावे हुए हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पहली जनवरी १९५३ से २८ फरवरी १९५४ तक राजस्थान सीमा पर, पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा कुल २३९ धावे किये गय थे ।

शक्ति चालित करघे

४७५. **श्रीगाडिंलिगन गौड़** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (आद्यान्त) १९५३ और १९५४ के अन्तर्गत, राज्यशः देश में शक्ति चालित करघे लगाने के लिये कितनी अनुज्ञप्तियां दी गई थीं ?

(ख) अनुज्ञप्ति देने की क्या प्रक्रिया है ?

(ग) १९५३ और १९५४ में अनुज्ञप्तियों के लिये आन्ध्र राज्य से कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त किये गये थे ?

(घ) कितनी अनुज्ञप्तियां दी गई थीं ?

(ङ) कितनी अस्वीकृत की गई थीं और अस्वीकृति के क्या कारण थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क)

राज्य	१९५३	१९५४ (३०-४-५४ तक)
आन्ध्र	१	–
मद्रास	–	२
बम्बई	–	२
पश्चिमी बंगाल	–	१

(ख) औद्योगिक उपक्रमों को अनुज्ञप्तियां देने की प्रक्रिया, औद्योगिक उपक्रम पंजीयन तथा अनुज्ञापन नियम, १९५२ के

१०, १३ और १५ नियमों में दी गई हैं। **[नियमों की प्रति सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है]**

(ग)	१९५३	२
	१९५४	शून्य
(घ)	१९५३	१
	१९५४	शून्य

(ङ) १९५३—एक। सूती वस्त्र जांच समिति द्वारा सूती वस्त्र उद्योग के सब पहलुओं सम्बन्धी जांच पूरी होने तक, भारत सरकार, करघों को बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रही है, केवल उन मामलों को छोड़ कर, जिनमें पहले निर्णय किया गया था।

समाचार चलचित्र

४७६. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ के अन्दर और अप्रैल १९५४ तक कितने समाचार चलचित्र तैयार किये गये थे ;

(ख) क्या इन चलचित्रों के प्रदर्शन के लिये कोई निश्चित किराया नियत किया गया है ; और

(ग) क्या प्रदर्शनकर्ता को इन चलचित्रों को चलाना अनिवार्य है ।

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) विदेशी संस्करणों को छोड़ कर १९५३ के अन्तर्गत चलचित्र विभाग द्वारा ५२ समाचार चलचित्र तैयार किय गये थे। १९५४ में ३० अप्रैल तक १९ समाचार चलचित्र चलाये गये हैं ।

(ख) मान्य चलचित्रों के लिये जिनके समाचार चलचित्र एक भाग होते हैं, प्रत्येक प्रदर्शनकर्ता द्वारा दिया जाने वाला किराया पिछले वर्ष की ३० जून को समाप्त होने वाले १२ महीनों के औसतन साप्ताहिक संग्रह के आधार पर नियत किया जाता है। यह न्यूनतम ५ रुपये और अधिकतम १५० रुपये प्रति सप्ताह होता है । दर, मनोरंजन कर को छोड़कर संग्रह का १ से २ प्रतिशत होते हैं ।

(ग) प्रदर्शनकर्ता को दी गई अनुज्ञप्तियों की शर्तों के अनुसार, उसे निश्चित लम्बाई में मान्य चलचित्रों को दिखाना अनिवार्य है, जिनका समाचार चलचित्र एक भाग होता है ।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
४ मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४—१७ अप्रैल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
त्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९–३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३–३४४५
अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २६–वित्त मंत्रालय	३४४६–३४८७
मांग संख्या २७–सीमा शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २८–संघ उत्पादन शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २९–निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३०–अफीम	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३१–स्टाम्प्स	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३२–अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३३–लेखा-परीक्षा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३४–मुद्रा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३५–टकसाल	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३७–वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३८–वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३९–राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४०–संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४१–असाधारण भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४२–विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११५–भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६–३४८७

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६—मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६—३
मांग संख्या ११७—टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६—३४
मांग संख्या ११८—निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६—३४८७
मांग संख्या ११९—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२०—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२१—केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६—३४८७
मांग संख्या ७०—विधि मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७१—चाय-व्यवस्था	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७३—भारतीय भूपरिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७४—वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७५—प्राणकीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७६—भूतत्वीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७७—खानें	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७८—वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ८०—संसद् कार्य विभाग	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०७—संसद्	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १३१—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७—३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८—३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९—३४९०
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय में संकल्प—असमाप्त	३४९०—३५३८
सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९—३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२—३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३—३६१६

	पृष्ठ भाग
मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	३६१७–३६१८
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन	३६१७
वित्त विधेयक—असमाप्त	३६१८–३६८८
बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४	
राज्य परिषद् से सन्देश—	
शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया	३६८९
हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया	३६८९
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य	३६९०
"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज	३६९०
वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत	३६९०–३७६२
बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४	
याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन	३७६३
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें	३७६३–३७६४
वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित	३७६४–३८६८
शुक्रवार, २३ अप्रैल, १९५४	
सदन का कार्य	३८६९–३८७०
सरकारी विधेयकों का क्रम	३८७०–३८७२
न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	३८७२–३८८४
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित	३८८४–३९०४
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३९०४
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित	३९०५–३९२०
खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित	३९२०–३९३०
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश ३९४७–३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य ३९४८–३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९५६–३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९७३–४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक––पारित ४०४०–४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक– विचार करने का प्रस्ताव––असमाप्त ४०४२–४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र— ४०४५–४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुनर्वितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण ४०४६–४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक––पारित ४०५४–४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना ––

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी ४०५२–४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित ४०६९–४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक–– पारित ४१०५–४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक––पारित ४१०९–४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४११९

याचिका-समिति––द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें ४१२०–४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित करने के लिये प्रस्ताव–– असमाप्त ४१२२–४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक–– परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करनें का प्रस्ताव—असमाप्त ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—

सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४२६१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—

माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--अस्वीकृत ४३६६–४३९१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३९१–४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १९ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३–४४०९

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०–४४९६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१–५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ ४४९७

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४९७–४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१–४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७ ४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

लोक सभा

मंगलवार, ४ मई १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिय भाग १)

९.१६ म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १०

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ की धारा ९ की उपधारा (२ के अन्तर्गत परिसीमन आयोग भारत के अन्तिम आदेश संख्या १०, दिनांक ५ अप्रैल, १९५४ की एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—१३९/५४]

दण्ड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : सदन अब दण्ड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के सम्बन्ध में डा० काटजू के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगा।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): कल मैंने अपने न्यायालयों में कूट साक्ष्य के विषय में तथा इसे विधायिनी प्रक्रिया और जनमत के ज़ोर से यथासम्भव रोकने की आवश्यकता के बारे में कुछ कहा था। जहां तक विधायिनी प्रक्रिया का सम्बन्ध है, अनुभव से यह पता चलता है कि केन्द्रीकृत न्याय-प्रशासन से इस मामले पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ा है। यदि गवाहों से सह-निवासियों के सामने जिरह की जाय तो झूठे बयानों के न देने की मनोवृत्ति देखने में आती है। इस पर जनमत एक रोक का काम करता है। हमारी पुरानी कृषि अर्थ-व्यवस्था के दिनों में, जब किसी स्थान पर केन्द्रीकृत न्यायालय नहीं होते थे, तो सभी विवादों का फ़ैसला या तो पंचायतें करती थीं अथवा ग्रामों या क़स्बों में स्थानीय न्यायालय इन्हें निपटाते थे। ब्रिटिश शासन के आने पर हमारे यहां केन्द्रीकृत न्यायालयों की स्थापना हुई तथा गवाहों को गवाही देने के लिए दर्जनों तथा सैंकड़ों मील दूर जाना पड़ने लगा तथा वह अपनी इच्छानुसार काम करने लगे। इस समय कोई मजिस्ट्रेट विधि के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार में कहीं भी कचहरी लगा सकता है। मेरा विश्वास है कि मजिस्ट्रेट अपराधों की सुनवाई के लिये जहां भी व्यावहारिक हो, चलती फिरती कचहरी लगा सकते हैं। विधि के अन्तर्गत ऐसा करने की अनुमति

[डा० काटजू]

है तथा इस सम्बन्ध में केवल उच्च न्यायालयों अथवा राज्य सरकारों की कार्यपालिका-निदेश की ही आवश्यकता है।

इस समय विधि के अन्तर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी कचहरी केवल सत्र डिवीज़न के प्रधान-कार्यालय में ही लगा सकता है। सत्र डिवीज़न काफ़ी बड़े हो सकते हैं, कभी कभी तो इसमें दो ज़िले तक होते हैं। इस विधेयक में हम सत्र न्यायाधीश को इस बात की अनुमति देते हैं कि सम्बन्धित पक्षों के अपने अपने दृष्टिकोणों को रखने के बाद वह अपनी कचहरी अपनी सत्र-डिवीज़न के प्रधान-कार्यालय के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र भी लगा सके। यदि सम्भव समझा जाय तथा यदि कटघरे में अभियुक्त के लाने के लिए सुविधाजनक प्रबन्ध हो सकें तथा यदि सुरक्षा के प्रबन्ध पर्याप्त समझे जायं तो वह अपने सत्र डिवीज़न के किसी भी बड़े कस्बे या उपविभागीय प्रधान कार्यालय अथवा अन्यत्र कहीं भी अपनी कचहरी लगा सकता है ताकि अभियुक्त को अपने निवास-स्थान से निकटतम जगह पर न्याय मिल सके तथा न्यायालय में उपस्थित होने वाले गवाह अपने सह-निवासियों की उपस्थिति में ही गवाही दे सकें।

इस विधेयक में हमने एक और रोक यह लगाई है कि न्यायालय संक्षिप्त दण्ड दे सकते हैं। यह एक महत्व का विषय है। जब कोई गवाह साक्ष्य देता है तो सम्भव है कि वह सम्बन्धित मामले के विषय में कहे। तब उससे उन बातों के सम्बन्ध में तथा उसकी विश्वसनीयता और सामान्य सत्यता पर जिरह की जाती है। अब जहां तक उस संबन्धित मामले का विषय है, न्यायालय उस बात पर समस्त संगत साक्ष्य को सुन कर तथा समस्त बारीकियों की जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई फैसला कर सकता है तथा यह आवश्यक है कि जब तक सारा साक्ष्य न सुना जाय, न्यायालय द्वारा निर्णय को स्थगित रखा जाय। परन्तु दूसरी बात के बारे में, अर्थात् कि क्या कोई गवाह विश्वास के योग्य है या नहीं, क्या वह उन बातों के सम्बन्ध में सत्य कह रहा है या नहीं, न्यायाधीश को किसी भी समय तुरन्त निर्णय करने का अधिकार हो तथा यदि न्यायाधीश को विश्वास हो जाय कि गवाह झूठा बयान देता रहा है तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को अधिकार हो कि तुरन्त कोई कार्यवाही कर सके, वह गवाह से कारण पूछ सके कि उसे कूट साक्ष्य के लिए दंड क्यों न दिया जाय तथा मामले को उसी समय निपटा दे। इस धारा में उल्लिखित दण्ड कोई बहुत अधिक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह दण्ड केवल एक या दो मास का कारावास अथवा थोड़ा सा जुरमाना ही है। किन्तु मेरा मत है कि इससे भय उत्पन्न होगा तथा झूठे गवाह सम्बन्धित पक्षों के कहने पर न्यायालय में जाकर कूट साक्ष्य देने से रुक सकेंगे।

पंडित के० सी० शर्मा (ज़िला मेरठ—दक्षिण) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि अपील करने पर मामला पलट जाय तथा कूट-साक्ष्य के लिए सत्र-न्यायाधीश द्वारा दण्डित व्यक्ति उच्च न्यायालय द्वारा सत्यभाषी समझा जाय तो परिणाम क्या होगा ?

डा० काटजू : माननीय मित्र मेरी बात समझे नहीं हैं। मैंने दो प्रकार के साक्ष्यों में भेद किया है; एक साक्ष्य तो वास्तविक विषय के सम्बन्ध में होता है तथा दूसरा साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में। आप एक उदाहरण लें। कल्पना कीजिये कहीं एक हत्या हो जाती है। 'यह कैसे हुई' आदि सब संगत बातें हैं।

अब आप कल्पना करें कि एक गवाह आकर कहता है कि "मैंने हत्या होती देखी है" तथा प्रतिवादी यह कहे कि "तुम झूठ कह रहे हो। यह हत्या ५ मई को हुई थी। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि उस दिन तुम अपने गांव में ही थ ? क्या उस दिन तथा उस समय कलकत्ते में नहीं थे ?" गवाह इसे गलत बता सकता है। उस पर प्रतिवादी पक्ष कहता है "आप इस पत्र को देखें। क्या यह आपके हाथ का ही लिखा हुआ है ?" गवाह पत्र देख कर उसे अपने हाथ का लिखा स्वीकार कर लेता है जिस पर उससे सवाल होता है "क्या तुमने इसे कलकत्ता के ग्रांड ईस्टर्न होटल में बैठ कर नहीं लिखा था ?" उससे फिर पूछा जाता है "क्या तुमने इसे पांच मई को नहीं लिखा था ?" गवाह पत्र को फिर देखता है। प्रतिवादी इस के बाद पूछता है कि क्या "अब भी तुम यह कहने को तैयार हो कि उस दिन तुम गांव में ही थे ?" इस पर निश्चय ही गवाह घबरा जाता है। यह स्पष्ट रूप से कूट-साक्ष्य का मामला है जिसका वास्तविक विषयों से सम्बन्ध नहीं है। सत्र न्यायाधीश का इससे कोई सरोकार नहीं होगा। उस व्यक्ति को यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि वह कलकत्ते में था या गांव में घटना स्थल पर था। मैं एक बड़ा सीधा, सरल उदाहरण दे रहा हूं। आप गवाहों को इन बातों पर पकड़ सकते हैं तथा उन्हें अपने कथन की सत्यता प्रमाणित करने का अवसर दे सकते हैं। ऐसे ही मामलों से मेरा मतलब है। मैं समझता हूं कि हमने अपने प्रारूप में इसे बिल्कुल स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि इस गौण विषय के सम्बन्ध में ही, कूट साक्ष्य के बारे में कार्यवाही की जा सकती है। प्रवर समिति इसकी जांच कर सकती है तथा यदि भाषा में कोई त्रुटियां हों तो भाषा को ठीक किया जा सकता है। मेरा बिल्कुल भी विचार नहीं है कि वास्तविक मामले के सम्बन्ध में कूट साक्ष्य सम्बन्धी कोई कार्यवाही की जाय जब तक कि मामला चल रहा हो।

एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह विषय अभियुक्त द्वारा अपने पक्ष में साक्ष्य देने का है। सदन को विदित है कि पहले ऐसी धारणा थी कि अभियक्त, उसकी पत्नी तथा उसके अन्य निकट के सम्बन्धी इस योग्य नहीं समझे जाते थे कि वे सत्य बात कहेंगे। अतः उन्हें सक्षम गवाह नहीं समझा जाता था। केवल बाद में ही निश्चित विधान द्वारा इस असमर्थता को दूर किया गया था। जहां तक अभियक्त का अपना सम्बन्ध है, इंग्लैण्ड में इस असमर्थता को सन् १८९८ अथवा इसके लगभग दूर किया गया था। भारत में अधिनियम की धारा ३४२ है जिसके अनुसार न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के लिये यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के लिए कहे। अभियुक्त अपना यह बयान शपथ सहित नहीं देता है, परन्तु वह जो भी साक्ष्य देता है, उसका उसके विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं कि न्यायाधीशों का मस्तिष्क किस प्रकार से काम करता है। अभियुक्त अपने वक्तव्य में—जो शपथ सहित नहीं होता है—जो कुछ भी कहता है उसका प्रयोग उसके विरुद्ध तो किया जाता है किन्तु वह अपने पक्ष में जो कुछ भी कहता है, उसे सामान्यतः छोड़ दिया जाता है। ऐसा करना अभियुक्त के प्रति अन्याय करना है। मेरा निवेदन है कि यदि उसे साक्ष्य देने के लिये सक्षम बनाया जाय तो वह गवाहों के कटघरे में जा सकता है तथा स्वयं को जिरह के लिए पेश कर सकता है।

हमारे संविधान के अनसार किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए

[डा० काटजू]

विवश नहीं किया जा सकता । परन्तु यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्ष्य देना चाहे तो इसके लिए संविधान में इसके लिए कोई रोक नहीं है । किन्तु हमारी दण्ड प्रक्रिया संहिता में इसके लिए रोक है । अतः इस संशोधक विधेयक में हमने उसे स्वयं को यह अधिकार देने का प्रयत्न किया है कि यदि वह चाहे तो गवाह के कटघरे में जाकर साक्ष्य दे सकता है, परन्तु ऐसा करने की अनिच्छा से उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा न ही इससे उसके विपक्ष में ज़ान वाल कोई निष्कर्ष तर्क वितर्क के दौरान में अथवा निर्णय के समय निकाले जायेंगे । यह सारा मामला स्वयं अभियुक्त के विवेक पर ही छोड़ दिया गया है ।

मेरा निवेदन है कि हम इससे अभियुक्त को एक कीमती विशेषाधिकार दे रहे हैं ।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

यदि वह ईमानदार अथवा निर्दोष है तो वह इसे बहुत पसन्द करेगा । मैं कई बार यह दोहरा चुका हूं तथा एक बार फिर कहता हूं कि न्यायालय का काम है किसी व्यक्ति के दोषी होने पर उसे दण्ड देना तथा निर्दोष होने की अवस्था में मुक्त करना । किसी भी प्रकार की कोई पूर्वधारणा नहीं बना ली जानी चाहिये तथा मामले का निर्णय तथ्यों पर होना चाहिये । यह बात जन-हित में है कि निर्दोष व्यक्ति को साक्ष्य को प्रमाणित करने का प्रत्येक अवसर दिया जाय तथा यदि उसमें गवाहों के कटघरे में खड़े होने का साहस है तो वह अपनी सफ़ाई को बहुत सुदृढ़ बना सकेगा । यह इस सम्बन्ध में दूसरी बात है जिस पर मैं ज़ोर देना चाहता हूं ।

मैंने दण्डय परीक्षणो के विचाराधीन होने के समय विलम्ब होने के विषय में कहा था । विलम्ब का एक सफल तरीक़ा अभियुक्त की ओर से छोटी छोटी बातों के लिये स्थानान्तरण के हेतु प्रार्थनापत्र देने की प्रवत्ति है वर्तमान संहिता के अनुसार जिस क्षण भी अभियक्त मजिस्ट्रेट को यह सूचना देता है कि वह उच्च न्यायालय को स्थानान्तरण के लिये प्रार्थना पत्र देना चाहता है, वह मामला तत्काल स्वयमेव रोक दिया जाता है । मजिस्ट्रेट उसे दस दिन, पन्द्रह दिन या तीन सप्ताह का समय दे देता है । अभियुक्त उच्च न्यायालय में जाकर शपथ पत्र दर्ज करवाता है उसके बाद नोटिस दिया जाता है और कार्यवाही रोक दी जाती है । इस प्रकार वह मामला छः या सात मास तक रुका रह सकता है और कभी कभी इसमें और भी अधिक समय लग जाता है । इस तरह मामला लम्बा खिंच जाता है ।

हमने यहां यह उपबन्ध किया है कि यदि अभियुक्त को ज़िले के केवल किसी मजिस्ट्रेट से शिकायत हो और वह सत्र डिवीजन के अन्दर ही उसी ज़िले या डिवीज़न के अन्दर एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट के पास स्थानान्तरण करवाना चाहे, तो उस को उच्च न्यायालय में जाने से पूर्व सत्र न्यायाधीश के पास जाना चाहिये । सत्र न्यायाधीश उसके स्थानान्तरण के प्रार्थनापत्र को कुछ ही दिनों में निबटा सकता है । वह दो दिन के अन्दर इसे स्वीकार कर सकता है । या तो वह इसे संक्षिप्त रूप से अस्वीकार कर सकता है या नोटिस जारी करके सरकारी वकील का उत्तर सुन कर सात दिन के अन्दर उस विषय को निबटा सकता है । यदि उच्च न्यायालय को ज्ञात हो जायेगा कि सत्र न्यायाधीश ने प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिया है, तो मेरा विचार है कि उच्च न्यायालय पहले तो उस प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने में ही बहुत हिचकेगा और दूसरे उसके पक्ष में निर्णय देने में तो उसे और भी हिचकिचाहट होगी । इसका परिणाम यह होगा कि इन प्रार्थना पत्रों की संख्या घट

जायगी और कार्यवाही को लम्बी बढ़ाने की ये हरकतें भी कम हो जायेंगी। निस्संदेह, यदि कोई प्रार्थनापत्र ज़िले या सत्र डिवीज़न से ही स्थानान्तरण के लिये हो, तब तो उसे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। विलम्ब को कम करने के लिये हमने एक यह ढंग अपनाया है।

दूसरे, मजिस्ट्रेटों के स्थानान्तरण के कारण मामले स्थगित कर दिये जाते हैं और उनमें विलम्ब होता है। यदि किसी मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण हो जाता है, तो वर्तमान विधि के अनुसार सारे मामले को फिर आरम्भ से सुनना पड़ेगा। इस प्रकार का एक उपबन्ध है कि यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो अभियोग की सुनवाई आरम्भ से न की जाये। परन्तु सामान्य अनुभव यही है कि सारा मामला आरम्भ से फिर सुना जाता है जिस में अभियुक्त का बहुत सा धन व्यय होता है और सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को असुविधा होती है। अब यह संशोधन सुझाया गया है कि जब दूसरा मजिस्ट्रेट मामले को संभाले, तो अभियोग पुनः आरम्भ से नहीं सुना जाना चाहिये, किन्तु हमने उसे ऐसा करने का अवसर अवश्य दिया है। उसे यह अधिकार दे रहे हैं कि यदि वह चाहे अथवा यदि अभियुक्त प्रार्थनापत्र दे तो वह किसी ऐसे विशेष साक्षी को पुनः बुला सकता है जिस से पहले जिरह की जा चकी है और वह उसकी फिर से गवाही ले सकता है और उसके साक्ष्य को अभिलिखित करवा सकता है। मजिस्ट्रेट यह कह सकता है कि इस मामले में तीन महत्वपूर्ण साक्षी हैं और मैं इन साक्षियों के कटघरे में चेहरे देखना चाहता हूं और यह देखना चाहता हूं कि वे कैसे व्यक्ति हैं तथा उनकी मद्रा कैसी है; अभिलिखित वक्तव्य से मुझे यह अवसर नहीं मिल सकता है। इस प्रकार वह उन तीनों व्यक्तियों को चुन कर पुनः साक्षियों के कटघरे में आने के लिये कह सकता है और उन का बयान फिर से सुन सकता है। यह मजिस्ट्रेट पर छोड़ दिया गया है। मेरा यह निवेदन है कि इस उपबन्ध से भी दण्डय मामलों की सुनवाई में होने वाला विलम्ब कम हो जायेगा।

हमने इस विधेयक में एक और प्रक्रिया की ओर भी ध्यान दिया है। जैसा कि सदन को विदित है जब सत्र न्यायाधीश के समक्ष किसी मामले का अभियोग चलाया जाता है, तो सीधे उच्च न्यायालय से अपील की जा सकती है। उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। परन्तु यदि किसी मामले की सुनवाई किसी मजिस्ट्रेट या सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा की की जाये और वह सीमित दण्ड दे तो उसकी अपील सत्र न्यायाधीश से की जा सकती है। इस प्रकार पहले मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जाती है और उसकी अपील सत्र न्यायाधीश के पास की जाती है और अधिकांश मामलों में यह होता है कि यदि दोनों न्यायालय, अर्थात्, अभियोग के मजिस्ट्रेट का न्यायालय तथा अपीलीय सत्र न्यायालय परस्पर सहमत हो जायें तो उच्च न्यायालय ने यह अभिसमय या नियम बनाया हुआ है कि वह तथ्यों की जानकारी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दुर्भाग्य से धारा ४३५ की भाषा, जिसमें कि उच्च न्यायालय को यह पुनरीक्षण की शक्ति दी गई है, बहुत व्यापक है। उस धारा में यह लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय को अभिलेख मंगवाने और किसी परिणाम के ठीक होने, की जांच करने, औचित्य तथा वैधानिकता के सम्बन्ध में उस मामले की परीक्षा करने की स्वतन्त्रता होगी। उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश इस विषय में बहुत कठोर हैं किन्तु प्रत्येक न्यायाधीश का अपना अपना ढंग होता है। और होता क्या है ? यदि आपने १०० आपराधिक पुनरीक्षण के मामले दर्ज करवाये हों तो उनमें से लगभग ५० संक्षेप में ही निबटा दिये जाते हैं—अस्वीकृत कर दिये जाते हैं—और जो ५०, ३० या २० स्वीकार किये

[डा० काटजू]

जाते हैं, उनमें से केवल दो या तीन या चार ही सफल होते हैं, शेष सारे असफल हो जाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार से न केवल न्यायिक प्रक्रिया लम्बी होती है, बल्कि अभियक्त तो बिल्कुल बरबाद हो जाता है। इस विषय में अभियुक्त की स्वयं उससे ही रक्षा की जानी चाहिये और अब यह प्रस्ताव किया गया है कि इस पुनरीक्षण सम्बन्धी खण्ड की भाषा को केवल पारित किये गये आदेश की वैधानिकता के विषय में विचार करने तक ही सीमित कर दिया जाय और किसी परिणाम के औचित्य या ठीक होने की सामान्य बात को नहीं रहने देना चाहिये। इसकी वर्तमान भाषा इतनी व्यापक है कि यदि आप चाहें तो फिर सारे तथ्यों पर विचार कर सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि जहां तक मैं जानता हूं, ये आपराधिक पुनरीक्षण अधिकांशतया इसलिये दर्ज करवाये जाते हैं जिससे जमानत सम्बन्धी आदेश प्राप्त किया जा सके और छै मास तक जेल जाने से बचे रहें और उसके बाद फिर अवसर से लाभ उठायें। मैं विधि न्यायालय को—यदि संभव हो सके तो—एक जुए का अड्डा नहीं बनाना चाहता हूं। यह सत्य है कि किसी विधि न्यायालय की प्रत्येक कार्यवाही एक प्रकार का जुआ ही होता है, किन्तु मैं इसे अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहने देना चाहता हूं। धारा ४३५ की भाषा के सम्बन्ध में यह उपबन्ध किया गया है।

एक और भी विषय है। सत्र न्यायालयों में अभियोग चलाये जाने योग्य मामलों में, क्योंकि केवल असेसरों या जूरी की सहायता से ही अभियोग चलाया जा सकता है, अन्य न्यायालयों को न्यायिक शक्तियां नहीं दी जा सकती हैं। श्रीमान्, आप जानते हैं कि हमारे यहां तीन प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं—तृतीय श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और प्रथम श्रेणी के। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट दो वर्ष का दण्ड और कुछ अर्थ दंड दे सकते हैं, तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, मेरे विचार में, केवल एक मास या लगभग इतना ही दंड दे सकते हैं। हमारे यहां धारा ३० है जिसमें राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे दस वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों को सात वर्ष तक का दण्ड देने की विशेष शक्ति दे सकती हैं। यह बड़ी विचित्र बात है कि इस धारा द्वारा अधिनियम प्रान्तों की सरकारों को ये शक्तियां दी गई हैं। ऐसा पंजाब, उड़ीसा, आसाम तथा कुछ अन्य प्रांतों में किया जा सकता है, परन्तु बम्बई में ऐसा नहीं किया जा सकता है। पूछताछ करने पर मुझे ये ज्ञात हुआ है कि पंजाब में दस वर्ष से अधिक नौकरी वाले कुछ चुने हुए मजिस्ट्रेटों को धारा ३० के अन्तर्गत शक्तियां देने की यह प्रक्रिया बहुत प्रचलित है। इसका परिणाम यह है कि अभियोग अधिक शीघ्रता से निपटाये हैं और यदि अपील सत्र न्यायाधीश की सीमा के अन्दर हो तो वह उसके पास की जाती है; अन्यथा, अभियोजन की प्रक्रिया, सत्र द्वारा अभियोग की सुनवाई किये जाने और इसी प्रकार की किसी बात का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जब मैंने इस विषय पर विचार किया तो, मैं वस्तुतः यह समझ नहीं सका कि जो चीज़ पंजाब के लिये अच्छी है वह शेष भारत के लिये अच्छी क्यों नहीं है। या तो यह धारा खराब है और यह शक्ति खराब है और यदि ऐसी बात है तो इसे रद्द कर देना चाहिये अथवा यह शक्ति अच्छी है। यदि यह शक्ति अच्छी है और पंजाब में सन्तोषजनक रूप से कार्य करती रही है, तो अन्य प्रान्तों को भी इन विशेष शक्तियों का लाभ प्राप्त होना चाहिये। इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि धारा ३० के उपबन्ध सारे भारत पर लागू होने चाहियें और राज्य सरकारों को, यदि वे चाहें तो, यह अधिकार दिया जा

सकता है कि वे दस वर्ष से अधिक नौकरी वाले कुछ चुने हुए मजिस्ट्रेटों को ये शक्तियां दे सकती हैं। हमने यह भी कहा है कि सहायक सत्र न्यायाधीशों की, जो कि सामान्यतया व्यवहार (सिविल) न्यायाधीश होते हैं और जिन्होंने काफ़ी समय तक न्यायिक पदाधिकारियों के रूप में कार्य किया होता है और जिन्हें अब ज़िला और सत्र न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिये प्रशिक्षित किया जा रहा होता है, दण्ड देने की शक्ति सात वर्ष से बढ़ा कर दस वर्ष कर दी जाये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

इसका परिणाम यह हुआ है। यदि कोई मामला किसी सत्र न्यायाधीश के पास जाता है तो उसे दण्ड देने के असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं—वह न्यायालय की बैठक के उठने तक के समय के दण्ड से लेकर मृत्यु दण्ड तक कुछ भी दण्ड दे सकता है। सहायक सत्र न्यायाधीश दस वर्ष तक का दण्ड दे सकता है, धारा ३० के अधीन मजिस्ट्रेट सात वर्ष तक का दण्ड दे सकता है, साधारण प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट दो वर्ष तक का दण्ड दे सकता है इत्यादि।

इसके बाद एक और बात है जिसे मेरे विचार में सदन स्वयं बहुत पसन्द करेगा। यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक् करने की दिशा में एक पग है। इस समय द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी की सारी अपीलें ज़िला मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की जाती हैं और वह उन्हें निबटाता है। अब हमने इस प्रक्रिया को बदल दिया है और यह निदेश दिया है कि मजिस्ट्रेट की सब अपीलें सत्र न्यायाधीश के पास जायें। ज़िला मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई अपील नहीं जायेगी। तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट तथा द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अपील सत्र न्यायाधीश के पास जानी चाहिये। ये उसी के सामने दायर करवाई जायेंगी। इनकी सुनवाई या तो वह स्वयं करे या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इसकी सुनवाई करे अथवा सहायक सत्र न्यायाधीश इसकी सुनवाई करे; अन्यथा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का अपीलों के विषय में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है ?

डा० काटजू : प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को अपील सुनने का कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत केवल ज़िला मजिस्ट्रेट अपील सुन सकता है, किन्तु अब हम इसे मजिस्ट्रेटों से लेकर सत्र न्यायाधीश को दे देना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अलग अलग प्रान्तों में भिन्न भिन्न प्रथा है। मद्रास में तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट की प्रत्येक अपील स्वयमेव प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है और यदि वह वहां न हो, तो वे ज़िला मजिस्ट्रेट से अपील कर देते हैं।

डा० काटजू : हम इसे एक रूप बनाना चाहते हैं। सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सह सत्र न्यायाधीश कार्यपालिका के अंग नहीं होते हैं और हम चाहते हैं कि इन अधिकारियों के रूप में एक गैर-कार्यपालिका अधिकारी के सामने सुनवाई होनी चाहिये। मैं विश्वास करता हूं, कि यह प्रणाली उत्तर प्रदेश में प्रचलित हो गई है प्रत्येक राज्य में प्रणाली भिन्न भिन्न हो सकती है। हम इसे समस्त भारत में एक रूप बनाना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस—मध्य) : ठीक है, यू० पी० में यही सिस्टम है।

डा० काटजू : सबसे बाद अवैतनिक मैजिस्ट्रेट का नम्बर आता है। मैं समझता हूं कि बहुत से राज्यों में अवैतनिक मैजिस्ट्रेट का पद होता है। मैं जानता हूं कि इसके विरुद्ध आलोचना भी की जाती है। मैं सदैव इस मत

[डा० काटजू]

का रहा हूं कि यह प्रणाली अच्छी है। मैं समझता हूं कि हमें इसको प्रोत्साहन देना चाहिये और लोक सेवा करने की इच्छा का हमें लाभ उठाना चाहिये। यह पद्धति बुरी नहीं है। इस पद के लिये व्यक्तियों को चुनने का ढंग ऐसा है जिस से कि इस प्रणाली का बहुत विरोध किया जाता है। अब एक संशोधन द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि अवैतनिक मजिस्ट्रेट को कुछ शर्तें अवश्य पूरी करनी चाहियें। आप सेवा निवृत्त न्यायिक अधिकारियों को अवैतनिक मजिस्ट्रेट बना सकते हैं। मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में सेवा-निवृत्त जिला मजिस्ट्रेट और सत्र-न्यायाधीश अवैतनिक मजिस्ट्रेट के रूप में काम करके समाज की सेवा करने को अग्रसर होते हैं। यदि वह सेवा निवृत्त व्यक्ति अधिकारी न हों तब राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से उनकी योग्यता सम्बन्धी नियम निर्धारित करने चाहियें और और उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिये, और मैं समझता हूं कि इन सुरक्षाओं के साथ इस प्रणाली को ठीक काम करना चाहिये। मैं अन्य राज्यों के आंकड़ों से परिचित नहीं हूं, किन्तु उत्तर प्रदेश में. हमने देखा कि अवैतनिक मैजिस्ट्रेट बहुत भारी काम करते थे। मैं विश्वास करता हूं यदि मुझे ठीक स्मरण है, कि अवध में १९३८ में ६० प्रतिशत से अधिक छोटे मामलों की सुनवाई अवैतनिक मजिस्ट्रेटों द्वारा की गई थी। सम्भवतः यह संख्या ५० प्रतिशत से अधिक थी। परिणाम यह है कि यदि हम अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की प्रणाली को पूर्णतया समाप्त कर दें, तो हमें वैतनिक मजिस्ट्रेटों की संख्या दो गुनी बढ़ानी पड़ेगी। आज स्थिति यह है कि भारत भर में, अवैतनिक मजिस्ट्रेटों के होते हुए भी मजिस्ट्रेटों की कमी की शिकायत है। मेरा निवेदन है कि सरकार को आदरणीय और ईमानदार व्यक्तियों की जो इस प्रकार समाज की सेवा करना चाहते हैं। न्यायिक बुद्धि और योग्यता के उपयोग को अवश्य प्रोत्साहन देना चाहिये।

श्री टी० एन० सिंह (जिला बनारस—पूर्व) : क्या आप इन अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति न्यायपालिका द्वारा चाहते या न्यायिक अधिकारियों के द्वारा ?

डा० काटजू : इस बात पर विचार नहीं किया गया है। हमने संशोधन में यह सुझाव रखा है कि योग्यताओं के नियम निर्धारित किये जाने चाहियें। इस विषय पर प्रवर समिति में विचार किया जायेगा और जब संविधान के निदेशक तत्वों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जायेगा, और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका एक दूसरे से पूर्णतया पृथक् हो जायेंगे, तब नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा या उसकी सलाह के साथ की जानी चाहिये। किन्तु जहां तक मेरा अपना सम्बन्ध है, मैं इस बात का विरोध करता हूं कि हमें पूर्ण रूप से विचार किये बिना, केवल पक्षपात वश, यह नहीं कहना चाहिये कि समस्त प्रणाली बुरी है। आप ऐसा कह सकते हैं कि भर्ती या नियुक्ति की पद्धति बुरी है। अन्यथा, मैंने अपने न्यायाधिक विधि व्यवसाय के आधार पर स्वयं यह जाना है कि अधिकतर अवैतनिक मजिस्ट्रेट सक्षम, स्वतंत्र और किसी भी दूसरे सत्र न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे ईमानदार होते हैं।

मैं अब मानहानि के महत्वपूर्ण विषय को लूंगा। इस समय, मान हानि का अपराध हस्तक्षेप योग्य अपराध नहीं है। परिणाम यह है कि, यदि किसी व्यक्ति की मानहानि हो जाती है, तो यदि वह वैधानिक समाधान चाहता है, तो उसे अनिवार्य रूप से शिकायत दायर करनी पड़ती है।

अब, वर्तमान पद्धति यह है । यदि मैं समझता हूं कि मेरी मानहानि हुई है और मैं वैधानिक समाधान चाहता हूं, तो मुझे किसी मजिस्ट्रेट के सामने जाना होगा, व्यक्तिगत रूप में शिकायत दर्ज करानी होगी, वकील करना होगा, मेरी गवाही देनी होगी, और तब अगले दिन जा कर कहीं समन निकलवाने होंगे। तब मैं अपने गवाह पेश करूंगा, इसमें कई पेशियां होंगी और बहुत खर्च हो सकता है, यदि यह केवल व्यक्तिगत मामला है । यदि यह एक नागरिक का दूसरे के विरुद्ध है, तो यदि आप चाहते हैं तो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं या आप चुप रह सकते हैं किन्तु सरकारी कर्मचारियों के मामले में, सरकार का विशेष उत्तरदायित्व होता है । यह दो प्रकार से है । एक ओर तो सरकार अपने अधिकारियों को बचाने के लिये बाध्य होती है, तथा दूसरी ओर यदि वे अनुचित व्यवहार के अपराधी होते हैं, तो उन्हें अनावृत्त करने के लिये भी बाध्य होती है। इस सदन में और अन्य कहीं हमने जालसाजियें, काय और व्यवहार तथा भ्रष्टाचार और इसी प्रकार की अन्य बातों के विषय में शिकायतें सुनी हैं। सरकार को बताया जाता है कि वे ठीक काम नहीं कर रहे हैं। क्या होता है ? दोषारोपण किये जाते है । समाचार पत्रों में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध निन्दात्मक आरोप होते हैं। यहां हम दो या तीन या चार प्रतिष्ठित समाचार पत्रों को प्रतिदिन देख सकते हैं। किन्तु सदन को पता है कि वास्तव में, प्रत्येक ज़िला केन्द्र में "स्थानीय पत्र होते हैं, जो चार या आठ पृष्ठ की साप्ताहिक पत्रिकाएं कही जाती हैं, और जो निन्दापूर्ण लेखों से भरी हुई होती हैं। इनमें सत्यता होती है । भारत में, आज भी, छपी हुई बात का कुछ लोगों की दृष्टि में, बहुत प्रभाव होता है । जो कुछ छप जाता है, अवश्य ही सच होना चाहिये हम इन पत्रिकाओं को अपनी भाषा में "अनुत्तरदायी पत्र" कहते हैं।

साधारण व्यक्ति यह विवेक नहीं करता है जब किसी सरकारी कर्मचारी पर दोषारोपण किया जाता है कि "आपके चरित्र पर आक्रमण किया जाता है, आप क्यों जाकर मुकद्दमा नहीं चलाते ?" उत्तर है कि "मैं धन कहां से लाऊं ?" इसका मतलब है इतनी अधिक हैरानी । यह हैं अनुत्तरदायी पत्र । कोई भी इसकी परवा नहीं करता है और 'मैं अभियोग नहीं चलाऊंगा ।' यह बात वह दो कारणों से कह सकता है । हो सकता है कि दोषारोपण निरर्थक और गलत हो किन्तु वह उस मुसीबत से डरता है, जो उसे उठानी पड़ेगी और वह अभियोग चलाने नहीं जाता है । अथवा दूसरी ओर यह हो सकता है कि उसकी आत्मा अपराधी हो, आरोप अतिशयोक्ति हो सकता है किन्तु उस में कुछ सार भी होता है वह बहाना चाहता है । बहाना यह है कि यह अनुत्तरदायी पत्र हैं इत्यादि । "इन खबरों पर कौन गम्भीरता से ध्यान देता है और मुझे क्यों मुकद्दमा चलाना चाहिये ?" परिणाम यह होता है कि ये दोषारोपण किये जाते हैं और फैलाये जाते हैं। दोषारोपण, व्यक्तिगत चरित्र, व्यक्तिगत जीवन, अनैतिकता और चरित्र-हीनता, सरकारी अधिकार का दुरुपयोग इत्यादि के आधार पर अपमानजनक आक्रमण किये जा सकते हैं। और इनकी कोई जांच नहीं होती है । अब, हमने यह प्रस्ताव किया है कि दोष को अनिवार्य रूप से हस्तक्षेपनीय बताया जाना चाहिये। मैंने कहीं सुना है, "ओह, यह बहुत भयानक है, इससे तो प्रेस की स्वतन्त्रता का अपहरण होता है। क्या आप जानते हैं कि होगा क्या ? यह बात छापी जायेगी और दो दिन बाद थानेदार सम्पादक के कार्यालय में जायेगा और कहेगा, कि हमारे साथ आओ हमने आपको गिरफ्तार कर लिया है। मैंने इस पर विचार किया है और मैं आप को गिरफ्तार करता हूं।" यह बात हमारे मन में नहीं है। हमारे मन में तो यह है कि जब ऐसा दोषारोपण किया जाये तो जिला मजिस्ट्रेट, या किसी अन्य

[डा० काटजू]

वरिष्ठ अधिकारी की विशिष्ट हिदायतों या विशेष आदेशों के अधीन पुलिस मामले की जांच करेगी। सम्भवतः पुलिस सरकारी कर्मचारी के पास जायेगी और उससे पूछेगी 'आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं' और यदि पुलिस सरकारी कर्मचारी के उत्तर से संतुष्ट हो जाये कि सरकारी कर्मचारी ने पूर्णतया स्पष्ट उत्तर दिया है, तब वह सम्भवतः अग्रेतर जांच कर सकते हैं। वह प्रेस और सम्पादक से भी पूछताछ कर सकती है और उन के सूचना के संसाधनों आदि का पता लगा सकती है। जब पुलिस की जांच पूरी हो जाती है, तो पुलिस रिपोर्ट भेजती है, जो या तो सरकारी कर्मचारी को फंसाने वाली होती है और यह बताती है कि दोषारोपण में कुछ सार है अथवा यह हो सकता है कि जो दोष लगाये गये हैं, वे पूर्णतया झूठे और निराधार हैं। मेरे मन में यह है कि इस प्रकार का प्रत्येक प्रकाशन या तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की विभागीय जांच किये जाने का कारण होगा अथवा समाचार पत्र, इसके सम्पादक तथा प्रकाशक के विरुद्ध अभियोग चलाये जाने का कारण बनेगा। यदि वह मानहानि का अपराधी हो और मै व्यक्तिगत शिकायत करूं, तब मैं उसे हवालात में रखे जाने के लिये कह सकता हूं, क्योंकि यह जमानत योग्य अपराध है। प्रश्न यह है कि कार्यवाही कौन प्रारम्भ करता है। जमानत या गैर जमानत का प्रश्न बिल्कुल विभिन्न मामला है। कल्पना कीजिये कि पुलिस ने कार्यवाही प्रारम्भ की, तो केवल कहने मात्र से ही वह व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जा सकता है। प्रश्न यह है कि अभियोग चलाने की जुम्मेवारी कौन लेता है? यदि पुलिस ने अभियोग चलाया है, तब सम्बद्ध पुलिस कर्मचारी एक दिन या जितने दिन आवश्यक हो, न्यायालय में उपस्थित होता है अभियोग पक्ष के गवाह के रूप में, और अभियोग कार्यवाही के विषय में चिन्तित नहीं होता है। सरकारी वकील या अभियोक्ता इंसपैक्टर उसकी पैरवी करता है और सम्पादक अपनी सफ़ाई पेश करता है। मेरा निवेदन यह है कि यदि आप केवल सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी पर ही सारा बोझ डाल देते हैं, तब वह कह सकता है "मेरे पास बिल्कुल धन नहीं है यह कष्टदायक भी है।" मेरा अभिप्राय लोक सेवाओं को ईमानदार बनाने का है। या तो सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी, या सम्बद्ध सम्पादक पर अभियोग चलाया जायगा।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : सरकार कह सकती है कि "आप मानहानि का अभियोग चलाओ और हम धन से आपकी सहायता करेंगे।" जैसा कि हार्वे नारीमैन के मामले में किया गया था।

डा० काटजू : माननीय मित्र ने यह उदाहरण दिया है, किन्तु मैं समझता हूं कि मेरा प्रस्ताव अधिक ठोस है। सच्चाई कहां है इस को केवल जानने के लिये पुलिस प्रारंभिक जांच करती है। यदि पुलिस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध रिपोर्ट देती है, तब मैं तुरन्त विभागीय जांच किये जाने की आज्ञा देता हूं।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : क्या किसी बड़े अधिकारी के विरुद्ध मजिस्ट्रेट या मंत्री के विरुद्ध पुलिस को इस प्रकार की जांच करना संभव होगा?

डा० काटजू : कल्पना कीजिये कि एक ज़िला मजिस्ट्रेट के घर में, दो भाइयों में झगड़ा हो जाता है, और एक भाई पर दूसरे भाई को पीटने का अभियोग लगाया जाता है। मान लीजिये कि ज़िला मैजिस्ट्रेट पर अपने छोटे भाई को पीटने का अभियोग चलाया जाता है--सब प्रकार की बातें हो सकती हैं--और यदि ज़िला मजिस्ट्रेट दण्ड

विधान की परिधि में आ जाता है तो किसी न किसी व्यक्ति को उस के विरुद्ध जांच अवश्य करनी ही होगी। यह पुलिस अधिकारी के दर्जे पर निर्भर है। हमें पुलिस अधिकारियों को भी कुछ समझदार मानना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : मैं पुलिस अधिकारियों को समझदार मानने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं हूं।

डा० काटजू : मैं ने सोचा कि सदन इस उपबन्ध विशेष का स्वागत करेगा....

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं।

डा० काटजू : अभी आप सदन का मत नहीं ले रहे हैं। मैं केवल प्रस्ताव की व्याख्या कर रहा हूं और उसके बाद हमें उस पर वाद विवाद करना है, अर्थात् यह विचार करना है कि क्या उसे हस्तक्षेप योग्य बनाया जाये। यदि सदन इसका अनुमोदन नहीं करता है, तो मैं यह समझूंगा कि आप वस्तुतः सार्वजनिक सेवाओं में कोई वास्तविक सुधार नहीं चाहते हैं।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय मंत्री का यह कथन हमारे लिये अपमानजनक है, और हम इसके विरुद्ध आपत्ति करते हैं।

डा० काटजू : हम लोग श्री मोरे की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य दो चीजें जानना चाहते हैं : (१) क्या यह सरकारी नौकरों और सार्वजनिक व्यक्तियों तक ही सीमित है ? यदि किसी ग़ैर सरकारी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है, तो क्या वह एक हस्तक्षेप योग्य अपराध हो जाता है ? (२) मुक़दमा चलाये जाने से पूर्व, जिलाधीश या किसी उच्चतर अधिकारी के लिये उसकी मंजूरी देने का कोई बचाव है ?

डा० काटजू : जहां तक दूसरी बात का संबंध है, यह कार्यपालिका शक्ति का मामला है। इसे पुलिस के विवेक पर नहीं छोड़ा जायेगा। सदन चाहे तो एक ऐसा उपबंध प्रविष्ट कर सकता है, जिसमें यह व्यवस्था हो कि बिना संबंधित सरकार अथवा ऐसे अधिकारियों की, जिन्हें ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई हो, पूर्व अनुमति के मुकदमा नहीं चलाया जाये।

श्री एस० एस० मोरे : मान लीजिये किसी राज्य के गृह-मंत्री के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये जाते हैं, तो उस समय स्थिति क्या होगी ? पुलिस तो उसके अधीन होती है। ऐसे मामले में पुलिस दूसरे पक्ष को परेशान करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मामला अन्ततोगत्वा उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित होता है।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र की कल्पना का गृह-मंत्री एक इस्तग़ासा दायर कर के कोई मुकदमा आरंभ नहीं कर सकता है। यह ठीक है कि वह गृह-मंत्री है, फिर भी उसे एक मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) के सामने जाना होगा। उसके राज्य का कोई भी मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) उसके विरुद्ध कुछ भी करने का साहस नहीं करेगा, परन्तु .....

श्री एस० एस० मोरे : वह अपने राज्य से बाहर के किसी दण्डाधिकारी के पास जा सकता है।

डा० काटजू : अब सदन के सामने केवल कानूनी कार्यवाहियों के आरंभ करने का प्रश्न है। हमें यह सोचना है कि क्या कार्यवाही पुलिस द्वारा आरंभ की जा सकती है या वे केवल एक ग़ैर सरकारी इस्तग़ासे के द्वारा ही आरंभ की जा सकती है। कार्यवाही आरंभ हो जाने पर, यदि अभियुक्त

[डा० काटजू]

यह समझता है कि उस राज्य विशेष में वह न्याय प्राप्ति की आशा नहीं कर सकता है, तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से उस मुकदमे के स्थानांतरण की याचना कर सकता है । अब प्रश्न केवल यह है कि क्या हम इस उपबंध विशेष को बनाये रखें अर्थात् यह कि सरकारी कर्मचारियों की मानहानि के मामलों में केवल एक निजी इस्तगासे के द्वारा कार्यवाही आरंभ की जा सकती है । परिणाम यह है कि कोई भी समाचारपत्र, जिसकी यहां पर कोई भी रक्षा नहीं करना चाहता है, सरकारी कर्मचारियों की इस भार को लेने में हिचकिचाहट से लाभ उठाता है और उसी पर फलता फूलता है । मैं यह जानता हूं कि इस सदन का कोई भी सदस्य किसी भी बेईमान सरकारी कर्मचारी या बेईमान सम्पादक या मानहानि जनक-सामग्री के प्रकाशक को बचाना नहीं चाहता है । हम चाहते यह हैं कि सरकारी कर्मचारी या स्वयं समाचार पत्र के व्यवहार की जांच पड़ताल हो । खुली न्यायिक जांच होनी चाहिये । सारा प्रश्न यह है कि जांच किस प्रकार आरंभ की जाये । हत्या का मामला ले लीजिये । पुलिस अपने दोषारोप 'रिपोर्ट संख्या ३' में भेजती है । यदि वह कहती है कि कोई मुकदमा नहीं बनता है, तो मृतक का कोई संबंधी या मित्र चाहे तो किसी मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) के सामने एक निजी इस्तगासा दायर कर सकता है और कह सकता है कि एक हत्या हुई है और उसकी न्यायिक जांच पड़ताल होनी चाहिये । दण्डाधिकारी गवाहों का परीक्षण करता है और वह अभियुक्त को सेशन (सत्रन्यायालय) सुपुर्द कर देता है । केवल प्रारंभिक कार्यवाही का प्रश्न ही विचाराधीन है न्यायिक जांच की प्रक्रिया नहीं । सुझाव यह है कि गृह-मंत्री पुलिस को मुकदमा चलाने के लिये बाध्य कर सकते हैं ।

कम महत्व के बहुत से अन्य मामले हैं । एक का संबंध धारा १४५ से है जिस का संबध ऐसी अचल सम्पत्ति संबंधी विवादों से है जिनके कारण सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है । वर्तमान विधि के अनुसार पुलिस रिपोर्ट या अन्यथा के आधार पर सूचना पाने पर मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) दोनों पक्षों को नोटिस जारी करता है और या तो वह अचल सम्पत्तियों को कुर्क कर लेता है या नहीं करता है, और उसके बाद क़ब्जे के प्रश्न की जांच पड़ताल करता है । बहुत से लोगों की यह शिकायत है कि मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) को ऐसा नहीं करना चाहिये क्योंकि वस्तुतः यह एक दीवानी का मामला है । और कभी कभी तो इसमें बहुत अधिक समय लग जाता है । हमने यहां पर यह सुझाव रखा है कि यदि मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) यह समझता है कि सार्वजनिक शांति के भंग होने की संभावना है, तो वह सम्पत्ति को कुर्क कर सकता है और दोनों पक्षों को उस मामले के निबटारे के लिये न्यायालय जाने की अनुमति होती है । यह कुर्की एक सीमित समय के लिये होगी । इस मामले पर प्रवर समिति को विचार करना चाहिये । अन्य विकल्प हो सकते हैं । आप कह सकते हैं कि यदि मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) चाहे तो सम्पत्ति को क़ुर्क करके स्वयं ही उस वाद विषय को उपयुक्त न्यायालय के पास उसकी उपपत्ति ज्ञात करने के लिये भेज दे, जैसा कि उत्तर प्रदेश में होता है । उदाहरण के लिये राजस्व न्यायालयों के सामने जाने वाले मामले दीवानी के मामले होते हैं । राजस्व न्यायालय एक वाद विषय निर्धारित करता है, और उसको निकटतम मुन्सिफ या निकटतम अधीनस्थ न्यायाधीश के पास उसके संबंध में उसकी उपपत्तियां जानने के लिये भेज देता है । उपपत्तियां

दो महीने या छः सप्ताह में भेजी जाती हैं, और तदनुसार मजिस्टट (दण्डाधिकारी) अपना निर्णय देता है । इसी प्रकार अन्य किसी विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है, और अधिक उपयुक्त पाये जाने पर उसे अपनाया जा सकता है । हम चाहते हैं कि दीवानी मामलों के निर्णय करने का कार्य मजिस्ट्रेटों (दण्डाधिकारियों) को न सौंपा जाये । उनका निबटारा यथासंभव शीघ्र दीवानी न्यायालयों द्वारा किया जाये ।

इस संशोधक विधेयक से उत्पन्न होने वाले लगभग प्रत्येक प्रमुख प्रश्न के संबंध में मैं कह चुका हूं । अन्त में मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी दलीय आधार पर इस विधेयक के संबंध में वचनबद्ध नहीं है । इस मामले का संबंध सारे भारतीय नागरिकों के कल्याण और उनके सुख से है, और इसी आधार पर इसके ऊपर विचार होना चाहिये । हमारा उद्देश्य समाज की सेवा करना, विधि एवं व्यवस्था के प्रति विश्वास और आदर का भाव फिर से पैदा करना, लोगों को यह अनुभव कराना कि न्यायालयों में भय एवं पक्षपात रहित न्याय होता है, शीघ्र न्याय की व्यवस्था करना और अधिक विलम्बों की प्रणाली को समाप्त करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हम भरसक प्रयत्न करेंगे । न्याय बहुत महंगा नहीं होना चाहिये । जब कभी भी मैं यह सुनता हूं कि कोई धनी व्यक्ति क़ानूनी कार्यवाही को बहुत अधिक काल तक बढ़ाता है, तो व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत दुःख होता है । हम सभी यह कहते हैं कि न्यायालय के सामने सभी व्यक्ति बराबर होते हैं । विधि ऐसी होनी चाहिये ताकि यह कथन बिल्कुल सच्चा उतरे ।

श्रीमान्, मैं प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० वी० रामास्वामी (सलेम) : मेरे दो औचित्य प्रश्न हैं । पहली बात तो यह है कि १९५२ में मैंने दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने वाला एक विधेयक पुरःस्थापित किया था । इस विधेयक पर विचार किया गया और इसे १२ मार्च, १९५४ को अंतिम रूप से निबटा दिया गया । उस अवसर पर माननीय गृह-मंत्री ने यह कहा था कि वह मेरे इस विधेयक को सरकारी विधेयक के साथ बाद में किसी सरकारी दिन में जोड़ लेंगे और उन दोनों पर एक साथ विचार हो जायेगा ।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं । उनके विधेयक पर विचार किया जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है । उनका एक और विधेयक असेसर पद्धति को समाप्त करने के विषय में है । यह अभी कुछ समय और चलेगा ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : दूसरी बात यह है कि इन विधेयकों के प्रस्तावक समिति में नहीं रखे गये हैं ।

डा० काटजू : एक विधेयक असेसरों की सहायता से मुकदमों की सुनवाई करने की प्रणाली के समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है । यह बात इस विधेयक में स्वीकार कर ली गई है । हम अपने माननीय मित्र का प्रतिनिधित्व प्रवर समिति में करेंगे ।

एक अन्य विधेयक के द्वारा मेरे माननीय मित्र जूरी प्रणाली का उन्मूलन करना चाहते थे । उनका विधेयक सदन के सामने है । वह अपना प्रस्ताव रख सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार चाहे तो किसी भी माननीय सदस्य को अपना निजी विधेयक किसी सरकारी दिन प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है । अतः यदि सरकार माननीय सदस्य को कल

[उपाध्यक्ष महोदय]

समय देने के लिये तैयार हो, तो माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव की सूचना आज दे सकते हैं। उस पर विचार किया जायेगा। माननीय सदस्य के असेसर प्रणाली के उन्मूलन संबंधी दूसरे विधेयक के संबंध में यदि माननीय मंत्री चाहें तो वह माननीय सदस्य को समिति में रख सकते हैं।

नियमों के अनुसार इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य प्रवर समिति की बैठक में जा सकता है और विचार विमर्श के समय अपने विचार व्यक्त कर सकता है। परन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं प्राप्त होता है।

माननीय सदस्य यदि आज अपने प्रस्ताव की सूचना दे दें, तो कल उनको समय दिया जा सकता है। बिना इस सूचना के उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

अब मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखूंगा। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, १८९८, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सदनों के ४९ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सदन के ३३ सदस्य अर्थात् श्री नरहरि विष्णु गाडगील, श्री गणेश सदाशिव अल्तेकर, श्री जोकिम आल्वा, श्री लोकनाथ मिश्र, श्री राधाचरण शर्मा, श्री शंकरगौड वीरेनगौड पाटिल, श्री टेक चन्द, श्री नेमी चन्द कासलीवाल, श्री के० पेरियास्वामी गौंडर, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री झूलन सिन्हा, श्री अहमद मुहीउद्दीन, श्री कैलाशपति सिन्हा, श्री सी० पी० मात्तन, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, श्री रेशम लाल जांगड़े, श्री वसन्त कुमार दास, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, श्री रघुवीर सहाय, श्री रघुनाथ सिंह, श्री गणपति राम, श्री सैय्यद अहमद, श्री राधा रमण, श्री सी० माधव रेड्डी, श्री के० एम० वल्लाथरास, श्री साधन चन्द्र गुप्त, श्री शंकर शान्ताराम मोरे, सरदार हुक्म सिंह, श्री भवानी सिंह, डा० लंका सुन्दरम, श्री रायसम शेषगिरि राव, श्री एन० आर० एम० स्वामी तथा डा० कैलाश नाथ काटजू और राज्य परिषद के १६ सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक के गठन के लिये संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की एक तिहाई संख्या को गणपूर्ति समझा जायेगा;

कि समिति इस सदन को अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिनतक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी;

कि अन्य विषयों में इस सदन के संसदीय समितियों संबंधी प्रक्रिया नियम लागू होंगे, किन्तु उनमें अध्यक्ष की इच्छानुसार परिवर्तन तथा रूपभेद किया जा सकेगा;

और

कि यह सदन राज्य परिषद् से यह सिफारिश करता है कि वह उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य परिषद् द्वारा इस संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सदन के पास भेज दे।"

इस प्रस्ताव से संबंधित कुछ संशोधन हैं । श्री वल्लाथरास ।

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर ३१ जुलाई, १९५४ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर ३१ जुलाई, १९५४ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० श्रीकान्तन नायर ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर ३० सितम्बर, १९५४ तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : पंडित ठाकुर दास भार्गव के नाम से एक और संशोधन है । वह संयुक्त समिति के बजाय प्रवर समिति के लिये है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को श्री नरहरि विष्णु गाडगील, श्री गणेश सदाशिव आल्तेकर, श्री जोकीम आल्वा, श्री लोकनाथ मिश्र, श्री राधाचरण शर्मा, श्री शंकर-गौड वीरेनगौड़ पाटिल, श्री टेकचन्द, श्री नेमीचन्द्र कासली वाल, श्री के० पेरियास्वामी गौंडर, श्री सी० आर० वासप्पा, श्री झूलन सिन्हा, श्री अहमद मुही-उद्दीन, श्री कैलाशपति सिन्हा, श्री सी० पी० मात्तन, श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, श्री रेशम लाल जांगड़े, श्री वसन्त कुमार दास, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, श्री रघुवीर सहाय, श्री रघुनाथ सिंह, श्री गणपति राम, श्री सैय्यद अहमद, श्री राधा रमण, श्री सी० माधव रेड्डी, श्री के० एम० वल्लाथरास, श्री साधन चन्द्र गुप्त, श्री शंकर शान्ता राम मोरे, सरदार हुक्म सिंह, श्री भवानी सिंह, डा० लंका सुन्दरम्, श्री रायसम शेषगिरि राव, श्री एन० आर० एम० स्वामी तथा डा० कैलाश नाथ काटजू की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय ।"

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : मैं समझता हूं कि पंडित ठाकुरदास भार्गव का प्रस्ताव नियम विपरीत है क्योंकि प्रवर समिति के सदस्यों की सूची में उन्होंने अपना नाम नहीं सम्मिलित किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि ऐसा कोई नियम नहीं है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं उसमें अपने आप को ठूंसना नहीं चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री रघुवर दयाल मिश्र अपने संशोधन को प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्द-शहर) : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रवर समिति को वे कुछ निदेश देना चाहते हैं । उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसके बारे में कठिनाई है । अब यह देखना है कि उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है क्या उसी को मानना है अथवा उसमें कुछ संशोधन करना आवश्यक है । यदि हम उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि सदन ने ये बातें स्वीकार कर ली हैं एवं इसके लिये वह वचन वद्ध हो जाता है । अतः मैं यह कहूंगा कि "Make (बनाने)" के स्थान पर "to consider the inclusion of" [निविष्टि पर विचार करने] शब्द आदिष्ट किये जायें ।

श्री आर० डी० मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

प्रस्ताव में "and 16 members of the Council" ["परिषद के १६ सदस्यों"] के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये:—

"with instructions to consider the inclusion of the following provisions in the Bill and to consider and report on amendments which may be proposed to the original Act or to these suggestions :

(i) That summons cases will be tried in a summary way under Chapter XXII.

(ii) That the provision under Chapter XX be omitted and sections 248 and 249 be added at the end in Chapter XXIV.

(iii) That the words 'who cannot give a satisfactory account of himself' be added after 'any person' in clause (a) of section 109 and clause (b) of section 109 be omitted.

(iv) That the powers of the magistrates of first class, second class and third class under section 32 be raised to three years, one year and six months respectively.

(v) That the Short Title of the Code of Criminal Procedure, 1898 be changed to 'the Code of Criminal Procedure, 1954'.

(vi) That the sections of the Code be renumbered serially;"

["इस विधेयक में इन उपबन्धों के सम्मिलित किये जाने तथा मूल अधिनियम अथवा इन सुझावों में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में विचार करने तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अनुदेशों सहित :—

(१) कि परिच्छेद २२ के अधीन समन्स अभियोग सरसरी प्रणाली से सुने जायेंगे ।

(२) कि परिच्छेद २० के उपबन्ध हटा दिये जायें तथा परिच्छेद २४ के अन्त में धारायें २४८ तथा २४९ बढ़ा दी जायें ।

(३) कि धारा १०९ के खण्ड (क) में शब्द 'कोई व्यक्ति' के पश्चात् ये शब्द 'जो अपने सम्बन्ध में सन्तोषजनक विवरण न दे सके' बढ़ा दिये जायें तथा धारा १०९ का खण्ड (ख) हटा दिया जाये ।

(४) कि धारा ३२ के अन्तर्गत मजि-स्ट्रेट प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के अधिकार बढ़ा कर क्रमशः तीन वर्ष, एक वर्ष, तथा ६ मास कर दिये जायें ।

(५) कि दंड विधि संहिता, १८९२ का संक्षिप्त नाम बदल कर दंड विधि संहिता १९५४ कर दिया जाये ।

(६) कि संहिता की धाराओं की क्रम संख्या फिर से डाली जायें ।"]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १, २, ५ प्रस्तुत किये गये ।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

प्रस्ताव में "and 16 members of the Council" ["परिषद् के १६ सदस्यों"] के पश्चात यह जोड़ दिया जाये :—

> "with instructions to suggest and recommend amendments to any other sections of the said Code not covered by the Bill, if in the opinion of the said Committee such amendments are necessary"
>
> ["उक्त संहिता की किन्हीं अन्य धाराओं में जो इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आती हैं संशोधनों का सुझाव देने और उनकी सिफारिश करने के अनुदेशों सहित, यदि उक्त समिति की राय में ऐसे संशोधन आवश्यक हों"]

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० काटजू द्वारा प्रस्तावित मूल प्रस्ताव एवं सम्बन्धित संशोधन चर्चा के लिये सदन में प्रस्तुत हैं । अब मैं सदस्यों से बोलने के लिये कहूंगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि यह प्रश्न किसी दल विशेष का नहीं है । अतः विरोधी पक्ष के सदस्यों को हमारी अपेक्षा प्राथमिकता दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत हूं किन्तु फिर भी उन ३५ सदस्यों से जिनके नाम यहां सूची में दिये हैं निवेदन करूंगा कि जब मैं भाषण देने वालों का चयन करूं तो वे बीच में खड़े न हों । उनको काफी अवसर मिलेगा ।

श्री वल्लाथरास : दो दिवस पूर्व माननीय अध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया था कि विधेयक के प्रस्तुत कर्ता को यद्यपि वह प्रवर समिति का सदस्य है किन्तु फिर भी उसे बोलने का अधिकार है । इस प्रस्ताव के बारे में संशोधन प्रस्तुत करने का मुझे निश्चित अधिकार है अतः मैं बोलने का अधिकारी हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किन्तु संशोधन का प्रस्तुत कर्ता विधेयक का प्रस्तुत कर्ता तो नहीं होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विषय सदन के लिये विचारणीय विषय है । श्री वल्लाथरास ने जो प्रश्न उठाया है उस पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है ।

मेरा विचार तो यह है कि माननीय मंत्री का प्रस्ताव कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाय जब सदन में प्रस्तुत है और एक माननीय सदस्य अपने संशोधन य कहते हैं कि इस विधेयक को परिचालित किया जाय तो इसका अर्थ यह होता है कि प्रवर समिति को विधेयक सौंपने के प्रस्ताव से वह सहमत नहीं है । यदि उनका संशोधन सदन ने स्वीकार नहीं किया तो वे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे, अतः उन्हें सदन को यह बताना चाहिये कि वह विधेयक को क्यों परिचालित कराना चाहते हैं । विधेयक की विस्तृत बातों के बारे में बोलने का अधिकार मैं उन्हें नहीं दूंगा । यदि वह ऐसा करेंगे तो मैं उनको स्मरण कराऊंगा कि वह प्रवर समिति के सदस्य हैं । वह केवल इतनी बात ही कह सकते हैं जिससे कि सदन उनके प्रस्ताव—विधेयक को परिचालित किया जाये—के प्रति सहमत हो सकें । इतना बोलने की ही आज्ञा मैं दे सकता हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : प्रवर समिति में यदि किसी सदस्य की नियुक्ति होती है तो इसका अभिप्राय यह होता है कि उसने अपनी स्वीकृति दे दी है । क्या इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के लिये अप्रत्यक्ष रूप से तैयार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा, और बाद में यदि श्री वल्ला थरास से सहमत हो गया तो उन्हें बुलाकर उनसे बातचीत करूंगा ।

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : आपने जो कुछ कहा है यदि उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई संशोधन प्रस्तुत करता है तो क्या वह बोलने का अधिकारी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो उसी संशोधन तक अपने आपको सीमित रखूंगा जो कि प्रस्तुत किया जाने को है । अब श्री यू० एम० त्रिवेदी भाषण देंगे । भाषण के लिये प्रत्येक सदस्य को १५ से २० मिनट तक मिलेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सदन की परम्परा अब तक यह रही है कि विधेयकों के प्रश्न के सम्बन्ध में समय की अवधि नहीं होती है । यह विधेयक विशेष प्रकार का है और महत्वपूर्ण है । अतः मेरा निवेदन है कि या तो कार्य मंत्रणा समिति से इस के बारे में पुनर्विचार करने के लिये कहा जाये अथवा कोई ऐसा उपाय किया जाये जिससे कि इस विधेयक पर विचार करने के लिये अधिक समय मिल सके । अतः समय के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये, और इसके विचारार्थ अधिक समय मिलना चाहिये ।

श्री बंसल : यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है । इसके बारे में समय का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । यह एक ऐसा विधेयक है जिसके बारे में सामान्य व्यक्ति अपने वैधानिक प्रशासन के संबंध में क्या सोचता है—यह भी सुनना चाहये । अतः कार्य मंत्रणा समिति से कहा जाये कि वह हमें अधिक समय दे ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इस विधेयक की चर्चा में भाग ले सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि यदि कोई व्यक्ति विधेयक के प्रस्तावों के सम्बन्ध में ठोस विश्लेषण करता है तो उसे मैं अधिक समय दूंगा, इसके अतिरिक्त अन्य भाषण देने वालों को भी अधिक समय दूंगा । प्रत्येक सदस्य को चाहिये कि वह अपने आपको इतना सीमित करे ताकि दूसरे सदस्य भी भाषण कर सकें ।

जब १७ अप्रैल को माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि बारह घंटे इस के लिये होंगे तब सदस्यों को चाहिये था कि वे कहते कि बारह घंटे तो कम रहेंगे ।

श्री एस० एस० मोरे : कार्य मंत्रणा समिति निर्णय करती है और नियम ३६ के अधीन वह निर्णय सदन को बता दिया जाता है । मेरा यह निवेदन है कि समय निश्चित करने के लिये अथवा कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के आदेश के बारे में नियम ३७ के अधीन प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये । किन्तु ऐसा कभी होता नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : मान लीजिये कि कार्यमंत्रणा समिति ने इस पर विचार किया किन्तु यह ध्यान कभी नहीं हुआ कि हमें इतनी बातों का विचार करना होगा । यह कोई भी नहीं जानता था कि माननीय मंत्री ही प्रारम्भ में दो तीन घंटे ले लो । अंत में वादविवाद का उत्तर देते समय भी कम से कम दो घंटे और चाहियें । अतः ऐसी परिस्थिति में इस पर विचार करने के लिये निश्चय ही हमें अधिक समय चाहिये अतः कार्य

मंत्रणा समिति से इसके बारे में पुनर्विचार करने के लिये कहा जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की भावना से अध्यक्ष महोदय को मैं अवगत करा दूंगा, वह कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष हैं, ताकि वे इसके बारे में विचार करें ।

श्री वेंकटारमन् : यदि सदस्य अधिक समय चाहते हैं तो यह हो सकता है कि सदन की बैठक सायंकाल को ४ से ७ बजे तक हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । यह संदेश मैं अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा दूंगा और वह ही इसका निर्णय करेंगे । अब हम कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : विधेयक को प्रस्तुत करते हुए माननीय गृह-मंत्री ने एक बहुत ही प्रशंसनीय उद्देश्य बताया है । प्राथमिक उद्देश्य के दो पहलू हैं । (क) प्रत्येक अभियुक्त को उचित रूप से अपना बचाव करने के लिये उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ; (ख) सभी दांडिक न्यायिक कार्यवाहियों को शीघ्र ही निबटाने की व्यवस्था करना ताकि लम्बी कार्यवाही से निर्दोष व्यक्तियों को अधिक कठिनाइयां न उठानी पड़ें और उचित सुनवाई के बाद वास्तविक दोषी व्यक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र दंड मिल सके । मैं माननीय गृह मंत्री से एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या उन्होंने इस विधेयक में कोई ऐसी व्यवस्था की है कि यदि कोई निर्दोष व्यक्ति उचित सुनवाई के बाद छोड़ दिया जाता है तो क्या क्षति पूर्ति के रूप में उसे कुछ मिलेगा ? ब्रिटेन के विधान में ऐसी व्यवस्था है । वहां किसी निर्दोष अथवा सम्मानित व्यक्ति को बन्दी बनाने से पूर्व पुलिस कई बार विचार करती है । किन्तु यहां ऐसा नहीं होता है । यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति अपने किसी शत्रु से बदला लेना चाहता है तो वह किसी भी पुलिस उच्चाधिकारी से कह कर उस अभियुक्त को जेल में डलवा सकता है । और ऐसी घटनायें हुई हैं और बराबर होती रहती हैं । निर्वाचन काल में धारा १४४ के अधीन इस प्रकार की बहुत सी घटनायें कराई गई थीं । हमें इस प्रकार की व्यवस्था में सुधार करना है ।

धारा ४९७ के उपबन्धों में संशोधन करने का उल्लेख विधेयक में मिलता है । किन्तु खंड ९५ के अधीन केवल समय की अवधि का उपबन्ध किया गया है । यदि आप ईमानदारी से यह चाहते हैं कि अभियुक्त को कष्ट न दिया जाय, उस के साथ वही वर्ताव हो जो किसी ईमानदार व्यक्ति के साथ होता है, और उसको संविधान में प्रस्तावित सभी सुविधायें दी जायें तो फिर यह बेकार है कि हम कोई सुझाव दें और किन्हीं कारण विशेष के आधार पर उसकी लिखा-पढ़ी का कार्य मजिस्ट्रेट के हाथ में छोड़ें । कारण ऐसे होने चाहियें जिनका कि उल्लेख स्वतः संविधि पुस्तक में हो । जमानत की प्रार्थनाओं में प्रायः हमने देखा है कि पुलिस ऐसे शपथ पत्र सदैव ही देने को तैयार रहती है कि यदि इस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा गया तो यह गवाहों को तोड़ लेगा । एक व्यक्ति छोटे और बड़े दोनों ही अपराधों के लिये समान रूप से दोषी हो सकता है । गवाहों को तोड़ने का आरोप हमारे, तथा राष्ट्र के चरित्र पर एवं न्याय प्रशासन पर एक बुरा धब्बा है । इस प्रकार की बातें प्रायः हुआ करती हैं । यह हमें भूतकाल की देन है । इतनी सी छोटी बात जो अभियुक्त को सुविधा के रूप में आप देना चाहते हैं वह आपने मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देकर कि वह कुछ अभिलिखित कारणों के आधार पर जमानत स्वीकार न करे, छीन ली है । इसका तात्पर्य यह होगा कि वह कोई भी जमानत लेने के

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

लिये तैयार नहीं होगा। वास्तव में बात तो यह है कि संविधान को दृष्टिगत रखकर धारा ४९७ तथा ४९८ की प्रारूप सम्पूर्ण रूप से फिर से तैयार किया जाना चाहिये।

संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जिस पर कोई अभियोग लगाया जाता है बन्दी बनाकर हवालात में निरुद्ध किया गया है, शीघ्र से शीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाये। इस का अभिप्राय यह है कि जब वह मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) के समक्ष पेश किया जायेगा तो वह अपनी जमानत करा लेगा। परन्तु होता यह है कि जैसे ही किसी व्यक्ति पर किसी भारी अपराध (जैसे हत्या इत्यादि) का आरोप लगाया जाता है उसको जेल में बंद कर दिया जाता है जहां से दो तीन वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद जब वह निर्दोश घोषित किया जाता है तो उसे छोड़ा जाता है।

अपराध करने पर तुरन्त ही निरुद्ध करने का अभिप्राय यही जान पड़ता है कि या तो कोई अन्य व्यक्ति इस बात की प्रत्याभूति दे या वह स्वयं इस बात का आश्वासन दे कि भूति वह जवाबदेही के लिये न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

मैं मानता हूं कि हत्या के अभियोग में निरुद्ध किये जाने का अभिप्राय यह हो कि वह गवाहों को धमकाने न पावे। मैं यह नहीं कहता हूं कि हत्या के प्रत्येक अपराधी को जमानत पर छोड़ दिया जाये। मेरा सुझाव है कि धारा ४९७ से यह शब्द, "उसे इस प्रकार छोड़ा नहीं जायेगा यदि यह विश्वास करने के तर्क संगत कारण हों कि वह ऐसे अपराध का अपराधी रहा है. . ." निकाल दिये जायें। किसी के अपराधी होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई पूर्व निश्चय कर लेना उचित नहीं है।

होता यह है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो प्रमाण होते हैं वह न तो अभियुक्त को और न उसके वकील को दिखाये जाते हैं जिससे कि वह जान सके कि मजिस्ट्रेट ने जो मत निर्धारित किया है वह ठीक है या नहीं। धारा ४९७ के अनुसार मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) पुलिस की डायरी को देख सकता है। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा उपबन्ध बनाया जाये कि जिसके अनुसार यदि मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) को पुलिस डायरी देखने का अधिकार हो तो अभियुक्त को भी उसके देखने का अधिकार दिया जाये। जमानत पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में धारा ४९८ में उच्च न्यायालय को बहुत बड़े बड़े अधिकार दिये गये हैं। उन्हीं अधिकारों का प्रयोग मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) अथवा पुलिस के लिये क्यों वर्जित कर दिया गया है ?

हमारी पुलिस इतनी दक्ष नहीं है। पुलिस कहती है कि हमारे पास हमारे पुलिस सुपरिनटेन्डेन्ट का परिपत्र आया है कि चाहे जो कुछ भी हो हम किसी को जमानत पर न छोड़ें। इस कारण बहुत समय नष्ट हो जाता है। यदि मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) एक स्थान पर है तथा सत्र न्यायाधीश नगर के मुख्यालय में है तो फायलों को नगर के मुख्यालय में भेजा जायेगा। यदि वह जमानत नहीं लेता है तो उच्च न्यायालय जाना पड़ता है। इस प्रकार बहुत समय नष्ट होता है। धारा ४९७ के इस उपबन्ध से माननीय मंत्री का इस विधेयक में प्रस्तावित यह उपबन्ध कि यदि किसी को डेढ़ महीना निरोध में रखा गया हो तो उसे केवल इसी कारण जमानत पर छोड़ दिये जाने के योग्य समझा जायेगा, बिल्कुल बेकार हो जायेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि धारा ४९७ तथा ४९८ के सारे उपबन्धों पर अच्छी तरह से विचार किया जाये और कोई ऐसा उपबन्ध बनाया

जाये जिसके अनुसार यदि पुलिस किसी के जमानत पर छोड़े जाने का विरोध करें तो उस के लिये आवश्यक हो कि वह इस सम्बन्ध में सारे प्रमाण मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) के सामने उपस्थित करे और उनको देखने का अधिकार न केवल मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) को हो वरन आभयुक्त को भी हो ।

इस विधेयक का एक और उद्देश्य यह है कि प्रत्येक अभियुक्त को जवाब देही करने की पर्याप्त सुविधायें दी जायें । परन्तु इस विधेयक के द्वारा इसी उद्देश्य के लिये बनाये गये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १६२ को भी हटाया जा रहा है । धारा १६२ में जो उपबन्ध है उसके अनुसार यदि अभियुक्त के विरुद्ध कोई बात लेखबद्ध की गई है तो कम से कम जिरह करने के लिये उसे देखने का अधिकार अभियुक्त को या उसके वकील को दिया गया है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि पुलिस ने अपनी डायरी में एक कथन लिखा है और न्यायालय के सामने वह दूसरा कथन रखती है तो अभियुक्त यह जान सके कि न्यायालय में जो बात कही गई है वह सच्ची है या नहीं । उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में बताये गये उद्देश्य की पूर्ति के लिये ऐसा उपबन्ध बनाना आवश्यक है जिसके अनुसार अभियुक्त को पुलिस की डायरी देखने का अधिकार दिया जाये ।

जहां तक जूरी की प्रणाली का सम्बन्ध है इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अत्यंत वांछनीय है तथा इसको देश भर में लागू किया जाना चाहिये । इसमें कुछ दोष हो सकते हैं । मानव स्वभाव ही ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति से सच बोलने की आशा नहीं की जा सकती है । परन्तु इसका यह भी अर्थ नहीं है कि जूरी प्रणाली का मतलब ही यह है कि दोषी अभियुक्त मुक्त हो जायेगा । केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त के साथ न्याय किया जाये अपितु यह भी आवश्यक है कि अभियुक्त को जान पड़े कि उसके साथ न्याय किया जा रहा है । जूरी प्रणाली के द्वारा ही जनता में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है ।

माननीय मंत्री ने बड़े विस्तार के साथ विधेयक के उस उपबन्ध की व्याख्या की है जिसके अनुसार यदि किसी मुकदमें में साक्ष्य का परिमाण बहुत अधिक हो तथा बहस की फाइल बहुत भारी हो तो उसके लिये जूरी प्रणाली का उपयोग न किया जाय । इस के विपरीत मेरा कहना है कि ऐसे मुकदमें के लिये जूरी प्रणाली का उपयोग और भी आवश्यक है ।

प्रश्न तो यह है कि यदि आपने जूरी प्रणाली का उपबन्ध बनाया है तो आपने इसका निर्णय न्यायाधीश पर क्यों छोड़ दिया है कि किसी मुकदमे के लिये वह जूरी प्रणाली का उपयोग करे या न करे । मेरा सुझाव है कि न्यायाधीश को यह अधिकार देने के पूर्व विधि के इस पहलू पर भली भांति विचार कर लिया जाये ।

मेरे माननीय मित्र, माननीय गृह-कार्य मंत्री कह रहे थे कि पंचायतों ने अच्छा कार्य किया है । मेरा अनुभव है कि पंचायतें जनता के लिये सबसे बड़ा अभिशाप सिद्ध हुई हैं । एक ओर तो हम कहते हैं कि जूरी बेईमान होती है दूसरी ओर हम आशा करते हैं जो व्यक्ति पंचायतों का कार्य करते हैं वह बहुत ईमानदार होंगे । पंचायतों में ऐसी घटनायें हो रही हैं जैसे किसी नीची जाति वाले को केवल यह कह कर दण्ड दिया जाता है, "इतनी हिम्मत करली कि हमारे सामने चले आये", या कहीं एक सरपंच की एक राजपूत ने इस लिये नाक काट ली कि कायस्थ होते हुए उसने एक राजपूत को सजा दे दी थी ।

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

यदि आप भारत की विधि निर्मात्री संस्थाओं का अध्ययन करें तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि इससे अच्छा कार्य तो जातीय पंचायतें कर रही हैं। किसी प्रकार की सरकारी शक्ति न होते हुए भी वह अपने किसी भी जाति भाई से अपनी आज्ञा का पालन करा लेती थीं। परन्तु इन पंचायतों में जब एक जाति विशेष के ही व्यक्ति होते हैं तो वे जनता पर कहीं अधिक अत्याचार करती हैं, क्योंकि उनके पास सरकारी शक्ति तो है परन्तु उनकी मनोवृत्ति बहुत संकीर्ण है। यदि आप न्याय व्यवस्था में कोई सुधार करना चाहते हैं तो न्यायपालिका की भरती की व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाइये तथा मजिस्ट्रेटों (दण्डधिकारियों) को उचित रूप से प्रशिक्षण दीजिये जिससे कि वह विधि का निर्वचन कुशलता के साथ कर सकें। इस के लिये भी विधेयक में कोई उपबन्ध होना चाहिये।

आवश्यकता इस बात की है कि न्यायपालिका ईमानदार हो। इस के लिये आवश्यक है कि उन पुराने पुलिस अफसरों को हटाया जाये जो दमन की कला में प्रवीण हैं। हो सकता है कि उनके द्वारा अपने राजनीतिक विरोधियों का दमन कराने में सरकार को कुछ आनन्द प्राप्त होता हो परन्तु क्या ऐसा करना उचित है क्योंकि हो सकता है कि कुछ समय पश्चात् आप राजनीतिक विरोधी हों और उस समय भी उसी प्रकार का दमन हो? इस के लिये आवश्यक है कि पुलिस अफसरों की भर्ती बिल्कुल नये आधार पर की जाये उनको नये प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाये तथा पुराने पुलिस अफसरों को सावधान कर दिया जाये कि जब वे जनता के सेवक हैं उनका कार्य जनता का दमन करना नहीं बरन् जनता की सेवा करना है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो पुराने पुलिस अफसर ऐसे कार्य करते रहेंगे जैसा कि अभी एक मामले में हुआ है जिसमें मैंने जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया था। एक व्यक्ति को इस लिये निरुद्ध कर लिया गया कि उसने किसी को लाठी मारी थी जिससे उसके कुछ चोटें आ गई थीं। एक मास के पश्चात् पुलिस को पता लगा कि लाठी की चोट ऐसी है जिस से मृत्यु हो सकती थी। इस लिये पुलिस ने धारा ३२५ के स्थान पर धारा ३०७ कर दी और उसके सारे परिवार तथा मित्रों को, कुल १९ व्यक्तियों को, जेल में बन्द कर दिया। धारा ३०७ कर दिये जाने के कारण मजिस्ट्रेट (दण्डाधिकारी) तथा सत्र न्यायाधीश ने भी जमानत मंजूर करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करते ही उन सब की जमानतें ले ली गईं और दो मास जेल में रहने के बाद वह छोड़ दिये गये। और अब इसका परिणाम यह है कि इन पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा रहा है। इसका कारण पुराने पुलिस अफसर तथा उनकी दमन नीति है। इस लिये दंड प्रक्रिया संहिता में परिवर्तन करने से कोई सुधार नहीं होगा।

इस के लिये मैं दो सुझाव रखना चाहता हूं। वर्तमान पुलिस बल का सुधार किया जाये। दूसरी बात यह है कि एक ऐसा उपबन्ध बनाया जाये जिसके अनुसार यदि कोई पुलिस अफसर बेईमानी से किसी निर्दोष व्यक्ति को सताना चाहे तथा उसके परिणाम स्वरूप उसकी स्वतंत्रता में अनुचित बाधा पड़े तो सरकार की ओर से उसको निर्धारित धन राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाये जिसका एक भाग उस पुलिस अधिकारी से वसूल किया जाये जो उसकी अवैध गिरफ्तारी के लिये ज़िम्मेदार हो। इस प्रकार बहुत बड़ी सीमा तक अन्याय को रोका जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी० सी० शाह ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं एक औचित्य प्रश्न उठा सकता हूं ? उन लोगों को जिन्होंने जनमत जानने के लिये विधेयक को परिचालित करने के संशोधन प्रस्तुत किये हैं, सदन के सामने अपने विचार प्रकट करने हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बुलाऊंगा ।

श्री बंसल : क्या हमारे लिये अपने नाम पहले से भेजना आवश्यक है या आप से वैसे ही प्रार्थना करनी पड़ेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । प्रत्येक माननीय सदस्य को जो बोलना चाहें, अवश्य अवसर दिया जायेगा, चाहे वे अपने नाम पहले भेजें या न भेजें । मैं उन सब सदस्यों के नाम जो बोलना चाहते हैं, अपने पास नोट करता रहता हूं ।

[**सरदार हुक्म सिंह** पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : श्री शाह ।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड़-सौरठ) : आप की आज्ञा से मैं इस विधेयक के विशिष्ट उपबन्धों की चर्चा करने से पूर्व न्यायिक प्रणाली के सुधार के सामान्य विषय के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा ।

न्याय का प्रशासन राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और न्यायिक प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जो कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके । वर्तमान न्यायिक प्रणाली हमें अंग्रेजों से मिली है । इस में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं, किन्तु इसमें एक प्रक्रिया सम्बन्धी विधि भी है जिसे हमने अपनाया है और जो कि बहुत टेकनिकल और जटिल है । यह प्रक्रिया सम्बन्धी प्रणाली इतनी लम्बी और जटिल है कि इसके विरूद्ध अत्यधिक असंतोष फैला हुआ है । अतः यह अच्छी बात है कि सरकार ने न्यायिक प्रणाली के सुधार का कार्यक्रम शुरू कर दिया है । वर्तमान प्रणाली में दो बड़ी गम्भीर त्रुटियां हैं—एक यह कि इस के कारण अत्यधिक विलम्ब होता है और दूसरी इसका अत्यधिक व्यय । डा० काटजू ने स्वयं कहा है कि लोगों का न्यायालयों में विश्वास नहीं रहा । यह राष्ट्र के लिये बड़े संकट की बात है । इससे प्रकट होता कि हमारे न्याय प्रशासन की प्रणाली कितनी असंतोषजनक है और इसमें सुधार करना कितना आवश्यक है । मेरा निवेदन है कि वर्तमान प्रणाली देश की स्थितियों के बिल्कुल अनुकूल नहीं है और इसम मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है । इस देश के लोगों को निरक्षरता और गरीबी को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि ऐसी स्थिति पैदा की जाय जिसमें सब लोग न्याय प्राप्त कर सकें और यथासंभव शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर सकें । मैं बम्बई जैसे बड़े नगर से आया हूं जहां बहुत से व्यापारी रहते हैं । मैंने देखा है कि वे वर्तमान प्रणाली से बहुत निरुत्साहित हो चुके हैं । किसी दीवानी मुकदमें में डिग्री लेने में तीन से चार वर्ष तक लग जाते हैं । उस समय तक दावा करने वाले की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी होती है । फौजदारी मुकदमों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है । डा० काटजू ने कहा कि ७५ प्रतिशत अपराधी प्रविधिक आधारों पर बरी कर दिये जाते हैं । इस सम्बन्ध में न्यायालयों की उन लोगों के प्रति क्या भावना होगी जिनका अपराध तो माना गया है किन्तु जिन्हें प्रविधिक आधारों पर बरी कर दिया गया है ।

दीवानी न्यायालयों में २५ वर्ष के अनुभव के बाद भी मैं किसी मुकदमेंबाज को यह सलाह नहीं देता कि वह किसी न्यायालय में जाकर अपनी शिकायत दूर कराये या

[श्री सी० सी० शाह]

न्याय प्राप्त करे। मैं तो उन से कहता हूं कि यदि सम्भव हो तो वे अपना झगड़ा न्यायालय के बाहर निपटाने का प्रयत्न करें। मुकदमा-बाजी तो एक प्रकार का जुआ है। यदि आप के पास धन काफी है, तो या तो आप न्याय प्राप्त करने मे सफल हो सकते हैं या न्याय से बचने में। किन्तु मैं जनसाधारण को यह सलाह दूंगा कि वह न्याय या अन्याय को भूल जायें और न्यायालय में जाने के बजाय, कोई अन्य उपयोगी कार्य करें। आवश्यक बात यह है कि हम जनसाधारण के मन में पुनः यह विश्वास पैदा करें कि न्यायालय में जाने से उसे न्याय प्राप्त होगा। वर्तमान विधि के ढांचे में रहकर ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं यह समझता हूं कि इस प्रणाली के आधार अर्थात् प्रक्रिया सम्बन्धी विधान को ही बदल देना चाहिये। यह केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने या उसमें कुछ उपबन्ध बढ़ा देने का प्रश्न नहीं है आप को दीवानी प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम और अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों पर जिनके कारण बिलम्ब और व्यय होता है, पुनर्विचार करना होगा। इस के अतिरिक्त, न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और विधि व्यवसाय के पुनर्गठन पर भी विचार करना आवश्यक है, क्योंकि इन सब प्रश्नों का न्यायिक प्रणाली के प्रशासन से सम्बन्ध है।

मैं वर्तमान विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं इसका पहले पग के रूप में स्वागत करता हूं। मेरे विचार में इसके द्वारा फौजदारी न्याय के प्रशासन में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। किन्तु सरकार को यह नहीं समझना चाहिये कि केवल दंड प्रक्रिया संहिता या दीवानी प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर देने से यह समस्या हल हो जायेगी। व्यय के प्रश्न के सम्बन्ध में हमें क्या करना चाहिये? आप जानते हैं कि वकीलों की संख्या कितनी बढ़ गई है। निचले स्तर पर हम ऐसे वकील देखते हैं, जो अपनी रोजी तक नहीं कमा सकते किन्तु ऊंचे स्तर पर आपको ऐसे वकील मिलेंगे जो मेरी राय में लोगों से अत्यधिक फीस वसूल करते हैं। मैं समझता हूं कि एक समय ऐसा आयेगा जब कि हमें वकीलों के व्यवसाय को या उनकी सेवा को एक राष्ट्रीय सेवा बनाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि ऐसा करने में बहुत कठिनाइयां पेश आयेंगी किन्तु इस से जो लाभ होंगे वे असुविधाओं से कहीं अधिक होंगे।

व्यय के प्रश्न के बारे में डा० काटजू ने ठीक कहा है कि किसी राज्य को न्यायालय शुल्क को राज्यस्व का उद्गम नहीं समझना चाहिये। मैं इस बात पर उनसे पूर्णतया सहमत हूं। किन्तु हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य न्यायालय शुल्क को राजस्व का उद्गम समझता है। बम्बई में हाल में न्यायालय शुल्क पर २५ प्रतिशत अधिकर लगा दिया गया है। यदि न्याय का प्रशासन राज्य का कृत्य है तो यह आवश्यक नहीं है कि हम मुकदमेबाजों को न्याय प्राप्त करने के लिये उन से फीस लें। यदि न्याय के प्रशासन को सस्ता बनाना है, तो न्यायालय शुल्क और वकीलों की फीस के मामलों पर सरकार को सावधानी से विचार करना पड़ेगा।

प्रक्रिया सम्बन्धी विधि के साथ हमारे पास निर्णयोत्पन्न विधि भी बहत जमा हो गई है। न्याय के प्रशासन में शीघ्रता लाने के लिये सरकार को इस समस्या का भी हल निकालना होगा। ड प्रक्रिया संहिता को लीजिये। आप देखेंगे कि प्रत्येक धारा के अन्तर्गत सैंकड़ों मुकदमें उद्धृत किये गये ह

जिनमें से कई परस्पर विरोधी होते हैं और वकीलों को भी कठिनाई होती है। मैं नहीं जानता कि इसका हल क्या होगा किन्तु मैं ऐसी विधि चाहता हूं कि जो यदि जन-साधारण नहीं, कम से कम वकील तो समझ सकें।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं नहीं चहाता कि मुझे गलत समझा जाये। चूंकि इस प्रकार के सुधार करने वाली विधेयक की अब आवश्यकता है, इस लिये मैं इस का स्वागत करता हूं। किन्तु हमें यह समझ कर कि हम ने समस्या हल कर ली है, संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। जब तक हम अन्य विभिन्न देशों की न्यायिक प्रणालियों का, जिन्हों ने इस समस्या को बिल्कुल भिन्न तरीके से हल किया है, अध्ययन नहीं करेंगे, हमारी समस्या हल नहीं हो सकेगी। यह कोई छोटी समस्या नहीं है। इस के लिए ऐसे व्यक्ति चाहिएं जो नये तरीकों और नये दृष्टिकोणों को ध्यान में रख कर अध्ययन कर सकें। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करूंगा कि दंड प्रक्रिया संहिता और दीवानी प्रक्रिया संहिता के साथ, उसे साध्य अधिनियम में भी संशोधन करना पड़ेगा। कुछ लोगों की यह धारणा है कि न्यायिक व्यवस्था जितनी अधिक जटिल होगी उतना ही न्याय अधिक होगा। न्याय में शीघ्रता लाने के लिए इस प्रकार के सिद्धान्त से काम नहीं चलेगा। इसी लिये मैं कहता हूं कि यदि डा० काटजू चाहते हैं कि लोगों के मन में फिर न्यायालयों में विश्वास उत्पन्न हो, तो उन्हें उस कार्यवाही से आगे जाना पड़ेगा, जो कि इस विधेयक के द्वारा की गई है। मैं इस विधेयक के कई उपबन्धों का स्वागत करता हूं। समर्पण कार्य-वाही को हटा कर अच्छा ही किया गया है। असेसरों की प्रथा को हटाने से भी मैं सहमत हूं। मैं जूरी प्रथा को अच्छा नहीं समझता। मैं खंड ४२ को भी अच्छा समझता हूं, क्योंकि इस से लम्बे तथा जटिल मामलों में जूरी प्रथा को छोड़ा जा सकता है। इस में एक ऐसा उपबन्ध है जिस में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी केस की जांच छः सप्ताह में पूरी न हुई हो तो अभियुक्त को छै सप्ताहों के बाद छोड़ दिया जाय। यह बड़ा अच्छा उपबन्ध है। आपराधिक न्याय का पूरा प्रशासन पुलिस विभाग की ईमानदारी तथा कार्य-कुशलता पर निर्भर करता है। मैं पुलिस विभाग पर आक्षेप तो नहीं करना चाहता किन्तु जनता का पुलिस में विश्वास नहीं है और पुलिस ही न्याय प्रशासन में शीघ्रता कर सकती है। मैं जानता हूं कि इस मामले में प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैं जमीन के झगड़ों से सम्बन्धित धारा १४५, १४६ तथा १४७ के संशोधन का स्वागत करता हूं।

विधेयक के दो उपबन्धों से मैं सहमत नहीं हूं। एक तो यह कि सत्र न्यायालय को किसी भी स्थान पर मुकदमे की सुनवाई का विकल्प होगा। किन्तु कभी कभी यह एक कैम्प की तरह से मालूम देता है और वकीलों को भी वहां बुलाने में बड़ा खर्च पड़ता है। मेरा सुझाव यह है कि ऐसा तभी होना चाहिये जब अभियुक्त इस बात को मान ले और यदि वह ऐसा किये जाने पर आपत्ति करें तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिये। धारा १६२ को भी छोड़ना बहुत ही विवाद ग्रस्त बात है। हम सब जानते हैं कि पुलिस किस प्रकार बयान लेती है। पुलिस इंस्पैक्टर गवाह के बयान सुन कर जो कुछ वह चाहता है लिख लेता है और फिर धारा १४४ के अन्तर्गत उस से शपथ ली जाती है। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा कूट साक्ष्य होगा। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति इस पर विचार करे।

असरकारी अभियोक्ता को अभियुक्त के विमुक्ति आदेश के विरुद्ध न्यायालय की अनुमति से अपील करने का अधिकार दिया

[श्री सी० सी० शाह]

गया है । मेरा हमेशा यही विचार रहा है कि यदि न्यायालय ने किसी आदमी को विमुक्त कर दिया है और उसे निर्दोष समझा है तो यह मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिये । उच्चतम न्यायालय विमुक्ति आदेश के विरुद्ध अपील करने की बात को चाहे यह राज्य ही हो, प्रोत्साहन नहीं देता । यदि ऐसा मामला इतना खराब हो कि उस में उच्च न्यायालय की विशेष अनुमति से अपील करने की आवश्यकता हो तो राज्य स्वयं वह अपील करेगा और इस के लिये अभियोक्ता को उच्च-न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं ।

फिर एक धारा झूठी गवाही के लिये संक्षिप्त अभियोग निरीक्षण कर के दण्ड देने के बारे में है । कूट साक्ष्य देना एक सामाजिक बुराई है । और मजिस्ट्रेटों को संक्षिप्त अभियोग निरीक्षण का अधिकार देने से इस व्यवस्था में और गड़बड़ी हो सकती है । बहुत से न्याया-धीश इस प्रकार की बातें कहते हैं या पूछते हैं जिस से गवाह यह समझ लेता है कि न्याया-धीश क्या चाहता है और उसे रुष्ट न करने के भय से वह यथार्थ बात बताने में संकोच करेगा । इसलिये जब ऐसी बातें होंगी तो गवाह यथार्थ बात कहने के लिये प्रोत्साहित नहीं होते । मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि कूट साक्ष्य की बुराई को दूर करने के मामले में मजिस्ट्रेट को संक्षिप्त अभियोग-निरीक्षण करने के अधिकार को देने की अपेक्षा इसे जनता की राय पर छोड़ देना चाहिये ।

खण्ड ९८ में, मुख्य अधिनियम की संशोधक धारा ५१० में "विस्फोटकों के मुख्य निरीक्षक या अंगुलांक विभाग के निदेशक" शब्द दिये हुए हैं । विस्फोटकों के निदेशक या रसायन विश्लेषक की रिपोर्ट अधिक विवाद-ग्रस्त नहीं होती किन्तु अंगुलांक विभाग के विशेषज्ञ की रिपोर्ट को अभियोग निरीक्षण में सम्मिलित करना ठीक नहीं है । हस्तलेख के विज्ञान में इतनी उन्नति नहीं हुई है कि उस पर दी गई राय निर्विवाद रूप से मानी जा सके । इसलिये अंगुलांक विभाग के निदेशक की राय को विस्फोटकों के मुख्य निरीक्षक की राय के समान महत्व नहीं दिया जाना चाहिये ।

मानहानि के मामलों को इस के द्वारा हस्तक्षेप बताया जा रहा है और इस सम्बन्ध में न केवल राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज-प्रमुख ही अपितु मंत्रिगण या और किसी भी सरकारी कर्मचारी की मानहानि होने पर पुलिस सीधी कार्यवाही कर सकेगी । मैं जानता हूं कि कई समाचारपत्रों में मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों की अनुचित तथा अनुत्तरदायित्वपूर्ण आलोचना की जाती है । यदि कोई मंत्री यह समझता है कि उस की आलोचना निराधार रूप से की गई है, तो वह मानहानि के लिये न्यायालय में जा सकता है । यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पास अपनी प्रतिरक्षा के लिये पर्याप्त धन न हो और सरकार यह समझे कि उस की व्यर्थ में ही आलोचना की है गई है तो वह उसे वित्तीय सहायता दे सकती है । मैं समझता हूं कि इसे हस्तक्षेप्य अपराध नहीं बनाना चाहिये ।

डा० काटजू : माननीय सदस्य अपने अतिमौलिक विचार लिखकर मेरे पास भेज दें ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: हमारे दल का यह विचार है कि सब बुराइयों की जड़ सामाजिक असमानता है । इस के दूर किये बिना किसी भी संशोधन से लाभ नहीं हो सकेगा । यदि माननीय मंत्री इस संशोधन को दण्डात्मक भावना की अपेक्षा निदानात्मक भावना से प्रस्तुत करते तो मैं इस की प्रशंसा

करता । वर्तमान संशोधनों से इन उपबन्ध में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह बताया गया है कि इस विधेयक को तीन बातों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है । एक तो यह है कि वर्तमान दण्ड प्रक्रिया संहिता से मामले शीघ्र नहीं निबटाये जा सकते । दूसरी यह है कि अपराधी व्यक्तियों को इस की कमियों के कारण लाभ हो जाता है तथा तीसरी यह है कि इस की प्रक्रिया सरल हो जाय । मैं स्वयं यह चाहता हूं कि प्रक्रिया सरल हो जाय । किन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि अभियुक्त के हितों को हानि पहुंचाई जाय । संक्षिप्त अभियोग-निरीक्षण का उद्देश्य केवल दण्ड देना ही नहीं होना चाहिये । संक्षिप्त अभियो गनिरीक्षणों में अभियुक्त को प्रतिरक्षा के अवसर नहीं दिये जाते जिस का अर्थ यह होता है कि उसे दण्ड मिलेगा । दण्डित व्यक्ति को बहुत प्रकार की हानि उठानी पड़ती है । न्यायिक प्रशासन में परिवर्तन की आवश्यकता है । संक्षिप्त अभियोग-निरीक्षण में दण्डित व्यक्ति जेल जाने पर अभ्यस्त अपराधियों के सम्पर्क में आता है । अपराध और दण्ड के मामलों में हमें सुधार की भावना से विचार करना चाहिये ।

वध आरोपों को छोड़ कर मुझे समर्पण कार्यवाही की प्रक्रिया के हटा देने पर आपत्ति नहीं है । ऐसे मामलों को छोड़ कर मुझे इस उपबन्ध पर आपत्ति नहीं है । यह मामले का एक पहलू है । किन्तु समर्पण कार्यवाही हटा देने से विधि व्यवसाय में बेकारी बढ़ जायगी ।

अभियोग निरीक्षण का स्थान बदल देने से लोग उन्हें सामान्य व्यक्तियों के न्यायालय समझेंगे । जब तक न्यायाधीश अपनी नौकरशाही तथा सत्तावादी भावना को नहीं बदलते और अपने आप को सामान्य आदमियों से बड़ा समझते रहेंगे तब तक उन्हें लोगों का वास्तविक आदर नहीं प्राप्त हो सकता । पुलिस इन के कार्य में सहायता करती है । पुलिस को यह बताया जाता है कि सभी मामलों में अभियुक्तों को दण्ड मिलना चाहिये । इस लिये वह झूठा साक्ष्य तैयार करती है । पुलिस अभियुक्तों को जमानत पर छोड़े जाने का विरोध इस आधार पर करती है कि वे गवाही में गड़बड़ी पैदा कर देंगे । यदि वह ऐसा करता है तो उसे दण्ड दिया जा सकता है । भूतपूर्व भारतीय रियासतों में लोगों को महीनों तक हवालात में बन्द रखा जाता था ।

गृह मंत्री कूट साक्ष्य की बात करते हैं । किन्तु मैं उन्हें यह बता दूं कि अस्सी प्रतिशत मामले कूट साक्ष्य पर आधारित होते हैं । सरकार का कहना है कि मैजिस्ट्रेट संक्षिप्त अभियोग निरीक्षण में ऐसे गवाह को, जिस ने कि पहिले जो कहा था उस के स्थान पर दुबारा कुछ और कहता है, शीघ्र दण्ड दे सकता है । इस का क्या मतलब है ? पुलिस अधिकारी किसी मामूली आदमी को धमकाता है कि उसे किसी मामले में फंसा दिया जायेगा और इस प्रकार उसे अपनी इच्छानुकूल गवाही देने पर राज़ी कर लेता है । कुशल वकील के जिरह करने पर वह सच बात बता देता है । वह सब बातों से अनभिज्ञ होता है और जिरह के दौरान में सच बता देता है ।

इस विधेयक के द्वारा मजिस्ट्रेट को उसे अपराधी ठहराने तथा जेल भेज देने का अधिकार मिल जाता है । इस प्रकार हमारी यह सरकार हमें झूठ बोलने के लिये विवश कर देती है क्योंकि यह सारा अभियोग ही झूठ पर आधारित है । कूट साक्ष्य के संक्षिप्त अभियोग निरीक्षण का यही परिणाम है ।

दूसरा पहलू यह है कि अपराधी को, गवाहों की कई बार जिरह के द्वारा अपनी रक्षा करने का अधिकार मिलता है। आज

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

की विधि से तथा पुलिस की व्यवस्था से किसी भी अभियुक्त के साथ न्याय नहीं हो सकता किन्तु इस संशोधन से अभियोग सूची बन जाने के पश्चात् अभियुक्त को पुलिस के गवाह को फिर से बुलवाने का अधिकार नहीं रह जाता है ।

जब किसी के ऊपर अभियोग लागू किया जाता है तभी वह अपने को बचाने का प्रयत्न भी करता है और ऐसी दशा में अभियुक्त की हैसियत से उसे पुलिस के गवाहों को बुलाने तथा उन से जिरह करने का अधिकार भी मिलना चाहिये। इस से गरीब आदमी को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी, जब कि पुलिस किसी को भी फुसला कर तमाम गवाह उपस्थित कर सकती है । उस बेचारे को तो न्यायालय में उपस्थित होना ही पड़ेगा और अपना बयान देना होगा क्योंकि पुलिस के अफसर का आदेश है । तत्पश्चात् उस के रोटी कमाने तथा अन्य उत्तरदायित्वों की चिन्ता किये बिना ही उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा । उसे न्यायालय तथा पुलिस के कहने के अनुसार ही बयान देना पड़ेगा और अगर वह इस में कुछ भी परिवर्तन कर देता है तो उसे जेल भिजवा दिया जाता है।

यहां तो मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार है कि वे किसी भी व्यक्ति को सम्मन के पालन न करने पर कठोर दण्ड तक दे सकते हैं । चाहे वह अपनी पत्नी की बीमारी अथवा अन्य किसी आवश्यक कारणवश ही न आ सका हो । अतः मजिस्ट्रेट तथा गवाह दोनों के दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न-भिन्न रहते हैं और इसी में साधारण व्यक्ति का हित नष्ट हो जाता है ।

सारी विधि ऐसी है कि आज किसी भी सम्भ्रान्त नागरिक के विरुद्ध पुलिस किसी से कुछ भी कहलवा सकती है, या करवा सकती है । मेरे अपने मामले में मैं ऐसा ही हाल देख चुका हूं । भारत में कोई भी न्याय स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं किया जाता है । बहुत से व्यक्तिगत मामलों में मंत्री अन्तर्ग्रसित रहते हैं जिन में मजिस्ट्रेट रुचि रखते हैं, जिन में पुलिस रुचि रखती है । मैसूर राज्य की एक घटना यह है कि एक विधान सभा के सदस्य ने किसी पुलिस अधिकारी के बुरे कार्यों को बतला दिया जिस पर एक गली में उन को मार डालने का प्रयत्न किया गया था । यह हैं हमारी पुलिस और यह है शान्ति और व्यवस्था की दशा और यह है हमारा न्याय ।

इस सब के अतिरिक्त उन्हों ने एक नया उपबन्ध यह भी जोड़ दिया है कि मन्त्रियों, राजप्रमुखों तथा सरकारी कर्मचारियों से ईर्ष्या नहीं की जानी चाहिये । इस विभेद की क्या आवश्यकता थी ? जेलों में बन्द कर के पुलिस निरपराध व्यक्तियों के साथ बड़ा क्रूर व्यवहार करती है । सरकारी कर्मचारियों के लिये तो माननीय मंत्री ने कहा है कि अपराधों की विभागीय जांच की जायगी किन्तु क्या किसी मंत्री अथवा राजप्रमुख के विरुद्ध भी कुछ कार्यवाही करने का अधिकार पुलिस को दिया गया है ? इस बात की कोई भी चर्चा नहीं की गई है ।

संशोधक विधेयक में एक उपबन्ध यह है कि केवल विधि विषयों पर ही पुनर्विचार किया जायगा, तथ्य के विषयों पर नहीं । इस से हानि यह होगी कि न्याय निष्पक्ष नहीं हो सकेगा । यह भी हो सकता है कि मजिस्ट्रेट किन्हीं विशेष वकीलों को अधिक पसन्द करते हों । अतः यदि अपराधी के साथ उचित न्याय करना है, विशेषकर फौजदारी के अभियोगों में, तो उच्च न्यायालयों को अभियोग के तथ्यों तथा वास्तविक कारणों पर विचार करने का अधिकार दिया जाना चाहिये । चूंकि उच्चतम न्यायालय तथ्य के प्रश्न पर विचार नहीं करता है, अतः उच्च-न्यायालय को यह अधिकार मिलना चाहिये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय गृह मंत्री ने तथ्य सम्बन्धी सूचना नहीं दी है, जो उन्हें देनी चाहिये थी। जब हम लोगों ने विधेयक के परिचालन के लिये पूर्व सूचना दी तो भी उन्हों ने तथ्य सम्बन्धी सूचना न देकर केवल विवरण-पत्रिका दे दी है। जब तक हमें इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना सदन को नहीं दी जाती तब तक आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं है। इस विधेयक के सम्बन्ध में विस्तार से जानना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि भिन्न-भिन्न कार्य करने वाले लोग इस के सम्बन्ध में क्या विचार रखते हैं। इस विधेयक पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यही प्रश्न हमारे सम्मुख है। यही नहीं निवारक निरोध विधेयक के सम्बन्ध में भी प्रश्नों के उत्तर देने के अतिरिक्त प्रारम्भ में और कुछ नहीं बताया गया था। बार-बार इसी की पुनरावृत्ति की जा रही है। यह विधेयक मूल अधिकारों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। संविधान का अनुच्छेद २१ यह कहता है :

> "किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ कर अन्य प्रकार वंचित न किया जायेगा।"

यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? विधान सभा में उचित तरीके पर बड़ी लम्बी-चौड़ी वार्ता हुई थी, और यही उचित तरीका है। जापान तथा अन्य देशों के संविधानों में मूल अधिकारों के परिच्छेद में अभियुक्तों को जिरह करने तथा सफाई आदि पेश करने के अधिकार दिये गये हैं। हमारे संविधान में भी ऐसे कुछ अधिकार दिये गये हैं।

दण्ड विधान संहिता की धारा १६७ तथा ३४० का सार लगभग एक ही है। अतः मूल अधिकारों में दण्ड प्रक्रिया संहिता का कुछ मिला दिया गया है। मैं समझता हूं कि जिरह करने तथा सफाई पेश करने के अधिकार अभियुक्त के लिये मूल अधिकारों के समान हैं। चूंकि हम धारा १०७ तथा अन्य धाराओं की बात कर रहे हैं, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद २१ में दिये गये अधिकारों के समान हैं।

हम ने दण्ड प्रक्रिया संहिता में एक यह उपबन्ध जोड़ा है कि जिस व्यक्ति के कोई अपराध अथवा अवैध कार्य करने की सम्भावना है, उस से जमानत जमा करने के लिये कहा जाता है। यह बहुत कुछ निवारक निरोध ही है। यदि वह व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है, तो उसे एक वर्ष की सजा दी जा सकती है। इस से भी निवारक निरोध का विस्तार ही कहना चाहिये।

इन सब बातों पर विचार करना चाहिये। हम गणतन्त्र की बात करते हैं, किन्तु मेरा यह कहना है कि न्यायालय गणतन्त्र के प्रधान आधार हैं। यदि ये न्यायालय ही विधि तथा प्रक्रिया के अनुसार न्याय नहीं करते हैं तो फिर देश में किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता की गारंटी नहीं दी जा सकती है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का प्रश्न संविधान बनाने अथवा हिन्दू कोड से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और इस को जिस रूप में आज लागू किया जा रहा है वह उचित नहीं है।

देश की न्यायिक प्रणाली संविधान का एक सब से कोमल अंग है जिस में परिवर्तन करने के लिये केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता में सुधार करने से ही काम नहीं चल सकता। यदि हम अपने वर्तमान न्यायालयों में परिवर्तन करना चाहते हैं और लोगों को सच्चा बनाना चाहते हैं तो इसी विधेयक से कार्य नहीं चलेगा। इस के लिये आयोग नियुक्त किये गये जिन्हों ने सम्पूर्ण देश का भ्रमण कर अपनी सिफारिशें दीं किन्तु इस मामले में क्या किया गया है?

१९४७ में जब सरकार ने भारत सरकार से निवेदन किया था कि प्रारम्भिक अभियोग

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

निरीक्षण की कार्यवाही को समाप्त कर दिया जाये। १९४८ में शायद ऐसे कुछ अधिनियम थे भी कि प्रारम्भिक अभियोग निरीक्षण के बजाय अभियोग सीधे सेशन जज के पास भेज दिये जाते थे। यह कोई नई बात नहीं थी। गृह-कार्य मंत्रालय ने पंजाब सरकार के इस प्रस्ताव को अन्य राज्य सरकारों के पास भेजा, और कुछ सम्मतियां भी प्राप्त हुई थीं।

पंडित के० सी० शर्मा: दूसरा तरीका क्या था ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: ऐसे मामलों में प्रारम्भिक अभियोग निरीक्षण के बजाय केस सीधे सेशन अदालत को भेज दिया जाता था।

भारत सुरक्षा नियम तथा अन्य इसी प्रकार के नियम बनाये गये थे। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता में कुछ परिवर्तन किये, और इस के अनुसार एक अभियोग प्रारम्भिक अभियोग निरीक्षण के बजाय सीधे सेशन जज के पास भेज दिया गया था। यह कार्य व्यर्थ है तथा विलम्बकारी है यह डा० काटजू स्वयं जानते हैं। मैंने भी ४५ वर्ष से अधिक वकालत की है और मैं भली भांति जानता हूं कि सेशन के सुपुर्द करने की कार्यवाहियों का अर्थ क्या है। इस विधेयक में इस प्रकार के सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। असेसर की आवश्यकता पर हम लोग कई बार कह चुके हैं किन्तु गृह-कार्य मंत्रालय सदैव उस की सफाई पेश करता रहा है। देश में जागृति उत्पन्न हो गई है और प्रत्येक व्यक्ति इन कार्यवाहियों का स्वागत करेगा किन्तु मेरी शिकायत यह है कि इस विधेयक में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन को कोई भी व्यक्ति स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा, यदि वह यह जान लेगा कि इस में ये चीजें हैं और बहुत से लोग तो यही नहीं जान पायेंगे कि इस में है क्या-क्या।

एक साधारण मनुष्य ही क्या वरन् एक साधारण वकील तक यह नहीं जान सकता कि जहां तक न्याय के प्रशासन का सम्बन्ध है, इस में क्या शरारत की गई है।

यदि इस विधेयक को ज्यों का त्यों रहने दिया जाता है तो माननीय गृह-कार्य मंत्री का उद्देश्य पूरा नहीं होगा अर्थात् अधिक लोग छूट जाया करेंगे। न्याय प्रशासन में विलम्ब तो होता ही है, यह मैं भी भली भांति अनुभव करता हूं। प्रवर समिति सम्भवतः इस विलम्ब को दूर कर सकेगी, किन्तु उस से वह न्याय जो न्यायालयों में अभी है, वह भी समाप्त हो जायगा। यही परिणाम होगा।

डा० काटजू: नहीं, नहीं। वह मेरा सितम्बर का ज्ञापन था। यह विधेयक प्रकाशित किया गया और भारत के प्रत्येक राज्य के गजट में, और अन्य स्थानों में प्रकाशित एवं प्रसारित किया गया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: सितम्बर में इन ७५ व्यक्तियों के पास भेजा गया।

डा० काटजू: ज्ञापन।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: यह सारे देश के समक्ष रखा गया।

डा० काटजू: यह विधेयक प्रसारित किया गया।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: २०७ उत्तर मिले थे.....

डा० काटजू: २०७ ने उत्तर भेजे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: आज प्रातः ही मैं ने माननीय मंत्री का भाषण पढ़ा है, जिस के आधार पर मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि २०७ जगहों से सम्मतियां प्राप्त हुई हैं। उन के पास जो भी सम्मतियां रखी हैं, उन से मुझे लाभ होता यदि वे मुझे प्राप्त होतीं।

श्री वेलायुधन : वे मुहय्या की जायेंगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे अभी सारी सम्मतियां प्राप्त होनी चाहियें । विधेयक के पारित होने के बाद उन के प्राप्त होने का क्या लाभ है ?

डा० काटजू : मैं अपने विद्वान मित्र को यह बता दूं कि श्री बंसल के प्रश्न के उत्तर में मैं ने बताया था कि प्रवर समिति के सदस्यों को वे सब सम्मतियां इस विधेयक पर चर्चा होने से पहले दी जायेंगी, और सदन में विधेयक के लौटने से पहले ही वे सभी माननीय सदस्यों को प्राप्त होंगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या हम यह चाहते हैं कि श्री बंसल इस समय यह आपत्ति उठायें और माननीय मंत्री को यह सुझाव दें ? क्या प्रवर समिति के सदस्य ही इतने दूध के धुले हैं कि उन्हें ही सम्मतियों की प्रतियां दी जायें, और हमें न मिलें ?

डा० काटजू : मैं ने यही कहा था कि प्रत्येक सदस्य को उन की प्रतियां मिलेंगी । मैं ने यही बात पांच बार कही थी ।

श्री नम्बियार : हमें अभी मिलनी चाहियें ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अभी क्यों नहीं दी जातीं ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का यह कहना है कि यदि उन की प्रतियां बांटी गई होतीं तो सदन और प्रवर समिति के सदस्यों को बहुत लाभ होता क्योंकि उन का अध्ययन करने के बाद, चर्चा में भाग लेने वाले सदस्य इस समय अपने अपने सुझाव पेश करते ।

श्री वल्लाथरास : श्रीमान्, सदन की नियमावली में बताया गया है कि जनमत जानने या प्रवर समिति को सौंपने के लिए इन विधेयकों को परिचालित किया जाना चाहिये । सदन को इस बात का विशेष अधिकार है, किन्तु माननीय मंत्री अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार परिचालन करते हैं, संसद् की परवाह नहीं करते ।

सभापति महोदय : हर एक बात में जनमत जानने के लिए इस प्रकार का परिचालन आवश्यक नहीं है । सदन को इस बात का अधिकार है कि प्रस्ताव के प्रस्तुत होते समय उस पर जनमत जानने के लिए, उस का परिचालन करे, और सरकार का काम है कि उसे स्वीकार करे । मेरे विचार में माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि यदि वे सारी सम्मतियां सदन के समक्ष होतीं तो सम्बद्ध सदस्यों को प्रवर समिति में सुझाव देने में सुविधा हो जाती ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : माननीय मंत्री ने बताया कि उन पत्रों को मुहय्या किया जायेगा । क्या वे दो-तीन दिन में उन्हें मुहैय्या कर सकते हैं, और क्या तब तक इस विवाद को स्थगित नहीं किया जा सकता ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा यही निवेदन था कि उक्त पत्रों के मिलने तक इस चर्चा का स्थगित किया जाना अच्छा रहेगा । यही एक ठीक बात होती ।

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल ठीक ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : किन्तु चूंकि माननीय मंत्री ने हमें बताया है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और बहुत से प्रतिष्ठित और गणमान्य लोगों ने अपनी अपनी सम्मति भेजी है, जो कालान्तर में बताई जायेंगी, मैं इस विधेयक की प्रगति में बाधा नहीं बनना चाहता । मैं यही समझूंगा कि उक्त सम्मतियां मिली ही नहीं हैं । मैं इस बात से भी प्रभावित नहीं होता कि १२ न्यायाधीशों ने इस प्रकार कहा और १२ ने

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

और ढंग से सम्मति दी। जब तक मैं स्वयं इन सम्मतियों को नहीं देखूंगा तब तक मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। बात वास्तव में यह है कि उन के तर्कों से हमें विश्वास होना चाहिये, नामों में क्या रखा है।

माननीय मंत्री ने बताया कि २०७ उत्तर प्राप्त होने के बाद विधेयक के मूल रूप में कई उपबन्ध जोड़ दिये गये और किसी हद तक इस का संशोधन भी किया गया। मैं विनम्रता-पूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या केवल वे २०७ व्यक्ति, जिन्हों ने उत्तर भेजे हैं, और वे माननीय मंत्री जिन के पास उन की प्रतियां हैं, इस बात के अधिकारी हैं और अपनी सम्मति देने का अधिकार रखते हैं? क्या इस संसद् के सदस्यों को इस प्रकार का अधिकार नहीं है? अब आप संशोधक अधिनियमों के सम्बन्ध में जानते ही हैं। पहले से मौजूद उपबन्धों को छोड़ कर हम किसी अन्य उपबन्ध का संशोधन नहीं कर सकते। दण्ड प्रक्रिया संहिता के सम्बन्ध में आप जानते हैं कि उपबन्ध किस प्रकार परस्पराश्रित और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अधिक अच्छा यह होता कि माननीय मंत्री सारी संहिता को विचाराधीन रखते। यदि उन की यही इच्छा थी कि इस देश की न्यायपालिका पद्धति को उन की इच्छानुसार परिवर्तित किया जाता तो उन्हें कोई आयोग नियुक्त कर के उसे यह काम सौंपना चाहिये था या हमारे सामने सारी बात खोल कर रख देनी चाहिये थी ताकि हम सुझाव दे सकते। यह ठीक है कि कई संशोधन निगमित किये गये हैं किन्तु क्या इस सदन के ५०० सदस्यों को नये संशोधन रखने का अधिकार नहीं है? इसे एक सही क़दम नहीं कहा जा सकता। मेरे मित्र ने सही बात कह दी है कि विधि के अनुसार इस विधेयक को देश के समक्ष रखा जाना चाहिए। हमारा देश इतना विशाल है, और मैं यह नहीं चाहता कि केवल २०७ उत्तरों के आधार पर दण्ड-प्रक्रिया-संहिता का संशोधन हो। वास्तव में यह सारे देश की चीज़ है, और देश के प्रत्येक व्यक्ति पर इस का प्रभाव पड़ता है, अतः जो भी व्यक्ति इस में रुचि रखते हैं उन्हें अपना मत देने का अधिकार होना चाहिए था। ५५ विधिजीवी संघों से क्या अभिप्राय है? एक ही प्रान्त में आप को इतने संघ मिल सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के मामलों में जिन में देश के प्रत्येक व्यक्ति और नागरिक के अधिकारों की बातें सन्निहित हों, प्रत्येक व्यक्ति की राय जानी जाय और उस से परामर्श किया जाय। मुझे माननीय गृह मंत्री के प्रति सम्मान है कि उन्हों ने इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करने का साहस किया है, और मैं अब चाहता हूं कि वे इसे वापिस ले कर इस पर जनमत जान लें, ताकि यह एक ऐसा विधेयक बन सके जिस पर सारे देश को गर्व हो। उन्हों ने स्वयं ही आज प्रातः यह बताया कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब देश में परिवर्तित न्यायपालिका पद्धति का पदार्पण होगा।

श्री एम० डी० जोशी (रत्नागिरी—दक्षिण): क्या माननीय सदस्य का यह विचार है कि संसद् सदस्यों की सामूहिक योग्यता इस मामले में अपर्याप्त है?

सभापति महोदय: पंडित ठाकुर दास भार्गव ने यह कहा है कि २०७ उत्तर प्राप्त हुए हैं और इन सम्मतियों पर विचार करने का समय नहीं मिला है। माननीय सदस्य ने यह कहा कि हम केवल संशोधनों पर ही विचार कर रहे हैं और अन्य उपबन्धों पर विचार करने का हमें अवसर नहीं मिलेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: यदि संसद् के ५०० सदस्यों की सम्मति ही पर्याप्त समझी जाती तो जनमत जानने का नियम ही क्यों रखा जाता। मेरा निवेदन है कि कम से कम

श्री सिंहासन सिंह के उस संशोधन को मान लिया जाये जिस में उपबन्ध किया गया है कि प्रवर समिति के सदस्यों को इस विधेयक में संशोधन करने की पूरी छूट होनी चाहिये। खंड ४९७ को पूरी तरह से बदलना होगा। इस स्थिति में तो हम उसे छू भी नहीं सकते हैं। यदि खंड ४९६ और ४९७ को संशोधित कर दिया गया तो यह विधेयक और भी अधिक लाभदायक हो जायगा। सभी तरह के मुक़दमों में एक जैसी प्रक्रिया हो जायेगी और हम विधि को अपनी इच्छानुसार बदलने में सफल होंग। आज हम केवल उन्हीं धाराओं को बदल सकते हैं जिन का इस विधेयक में उल्लेख किया गया है। मेरे विचार से श्री सिंहासन सिंह का संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है और उसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। संयुक्त प्रवर समिति में कोई ४९ सदस्य होंगे और यह संख्या किसी भाग 'ग' में के राज्य के विधान मंडल की सदस्य संख्या के बराबर है। प्रवर समिति में प्रत्येक वाद विषय पर सभी पहलुओं से चर्चा की जाती है, परन्तु मेरा विचार है कि सदस्य संख्या अधिक होने के कारण हम प्रवर समिति में न इस विधेयक पर इतना ध्यान ही दे सकेंगे जितना कि दिया जाना चाहिये।

राज्य परिषद् के २५० सदस्यों में से १६ प्रतिनिधि लिये जायेंगे। अच्छा तो यह है कि वह अपनी एक पृथक प्रवर समिति बनायें। यदि राज्य परिषद् पुनरीक्षण परिषद् है तो हमें उस का पूरा लाभ उठाना चाहिये। संविधान ने दो सदनों की व्यवस्था की है अतः हमें उस का पूरा लाभ उठाना चाहिये। अतः इस प्रकार की संयुक्त प्रवर समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे महत्वपूर्ण मामले में हमें दूसरे सदन की स्वतंत्र सम्मति ज्ञात होनी चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि यह सदन अपनी ही प्रवर समिति बनाये, संयुक्त प्रवर समिति नहीं।

माननीय मंत्री ने जेलों में भीड़ होने, १६ वर्ष के कम आयु वाले बाल अपराधियों तथा विचाराधीन अभियुक्तों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उस का प्रस्तुत विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है। पंजाब में जेल समिति १९४८ या १९४९ में नियुक्त की गई थी। मैं उस का सभापति था। यह भीड़ भड़क्के की बात पंजाब सरकार के ध्यान में लाई गई थी। प्रत्येक राज्य में ऐसी समितियां स्थापित की गई थी और सभी ने अपनी अपनी रिपोर्टें दी थीं। परन्तु हुआ क्या? अंगरेज सरकार की बनाई हुई धारा १०९ में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का खाने कमाने का कोई नियमित ढंग न हो उसे जेल भेज दिया जाना चाहिये। यदि माननीय मंत्री इस धारा का पूर्णरूपेण पालन करना चाहते हैं तो देश की आधी जनसंख्या जेल के सीखचों के पीछे होगी। नौकरियां कहां हैं? देश की यही तो समस्या है। यह धारा १०९ दंड प्रक्रिया संहिता में एक काला धब्बा है। पंजाब जेल समिति के देखने में यह बात भी आई थी कि पुलिस प्रशासन अपनी कारगुज़ारी दिखाने के लिये किन्हीं सप्ताहों में बीसियों व्यक्तियों को इस धारा के अन्तर्गत जेल में बन्द कर दिया करती थी। जेल समिति ने इस का विरोध किया था और अपने प्रतिवेदन में इसका उल्लेख भी किया था।

बिना टिकट यात्रा करने वालों का क्या होता है? मैं ने स्वयं जेलों में देखा कि बच्चों को पैसे न होने के कारण टिकट न ख़रीद सकने के लिये १५ दिन तक जेल में रखा जाता था। वह एकदम नंगे और भूखे थे। उन को देखने से सिहरन होती थी। पन्दरह दिन जेल में रखने के बाद उन को न्यायालय में पेश किया जाता है और दो रुपये जुरमाना कर दिया जाता है। हमारी जेलें इसी तरह भरी जाती हैं। हमारी सरकार ने कभी यह प्रयत्न नहीं किया है कि जेलें इस तरह से न भरी जायें। यह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सुझाव दिया गया है कि ऐसे सभी व्यक्तियों को ज़मानत पर छोड़ दिया जाये। परन्तु मजिस्ट्रेट इसे कार्यान्वित करने में हिचकते हैं। यदि इस सम्बन्ध में कोई निश्चित तथा स्पष्ट न किया गया तो यह संकट कभी दूर नहीं होगा। माननीय मंत्री ने अपने दो घंटे के भाषण में पुलिस का एक बार भी निर्देश नहीं किया। जब तक पुलिस की भर्ती तथा पदोन्नति की वर्तमान प्रणाली चलती रहेगी हमारे न्यायालयों में न्याय नहीं हो सकता है। अब हाल ही में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। परन्तु हमारी देहाती जनता का विचार यही है कि कोई विशेष तथा उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी ऐसी बातें होती हैं जिन को यदि यहां बताया जाये तो माननीय मंत्री लज्जा से अपनी गरदन झुका लेंगे। हम सभी जानते हैं कि मुक़दमे कैसे बनाये जाते हैं और किस तरह लोगों का चालान किया जाता है। संसार का कोई देश ऐसा नहीं है जहां झूठे मुक़दमे न चलाये जाते हों और मुक़दमे न बनाये जाते हों। परन्तु क्योंकि हम जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री पुलिस की ओर विशेष रूप से ध्यान दें। माननीय मंत्री ने इस देश के वकीलों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उस में काफ़ी सत्यता है। मैं दोषारोपण के अपने भाग को स्वीकार करता हूं, परन्तु माननीय मंत्री का भाग कहीं अधिक है।

डा० काटजू: काहे का ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव: न्यायालयों में अविश्वास उत्पन्न कराने में। परन्तु मैं माननीय मंत्री पर कोई अनुचित आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। वह इस विधेयक को प्रस्तुत कर के पुराने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। इस विधेयक के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है मैं उस से सहमत नहीं हूं। वे कहते हैं कि किसी अपराधी का बच निकलना उतना ही बुरा है जितना कि किसी निरपराध का पकड़ा जाना। परन्तु मेरा विचार है कि किसी अपराधी के बच निकलने की अपेक्षा किसी निरपराध का फंस जाना कहीं अधिक बुरा है। यदि सभी दोषियों को दण्ड देना हो तो कौन है जो उस दण्ड से बच सकेगा। दैवी कानून तो यही है कि आप आग में उंगली डालेंगे तो वह जलेगी ही परंतु मनुष्य के बनाये हुए कानून अधूरे होते हैं यदि आप चाहें कि सभी अपराधियों को दण्ड दिया जाय तो यह असम्भव है। इसलिये हमें यह सोचना चाहिये कि कहीं इस विधेयक के पास होने से निरपराध व्यक्ति तो नहीं फंस जायेंगे।

माननीय गृह मंत्री धारा २०७ क के स्थान में नई धारा रखना चाहते हैं। यह दुःख की बात है कि हम इस विधेयक द्वारा समर्पण कार्यवाही को हटा नहीं रहे। गृह मंत्री केवल पुलिस के मुक़दमों के सम्बन्ध में समर्पण कार्यवाही हटाना चाहते हैं, अन्य मामलों में नहीं। धारा ५२८ द्वारा सत्र न्यायाधीश को नई शक्तियां देने का विचार है। यह कार्य-पालिका तथा न्यायपालिका के पृथकीकरण की ओर एक पग है और इसलिये सराहनीय है। परन्तु ज़िला मजिस्ट्रेट को पूरी शक्तियां क्यों दी जा रही हैं ?

मैं चाहता हूं कि जहां तक व्यक्तिगत मामलों का सम्बन्ध है, उन के लिए भी समर्पण कार्यवाही समाप्त होनी चाहिये। गृह मंत्री का इरादा है कि धारा १६२ को हटा दिया जाय। इस का अर्थ है कि इस धारा के अधीन दिया गया ब्यान, जो पहले इस्तगासे के गवाहों के ब्यानों का विरोध करने के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता था, अब उन के ब्यानों की पुष्टि के लिए भी प्रयुक्त हो सकेगा। मैं इस बात का उत्तर चाहता हूं कि इस विधेयक

के पारित होने के पश्चात् क्या पुलिस के समक्ष प्रत्यक्ष दर्शी द्वारा दिया गया वक्तव्य प्रतिपोषण के लिये काम में लाया जा सकेगा ?

डा० **काटजू** : इस का सीधा उत्तर तो यह है कि इस प्रयोजन के लिये उस का उपयोग न किया जा सकेगा । वह अभियुक्त को दिया जायेगा जिस से कि वह जान सके कि मामला क्या है और उसे किन बातों का जवाब देना पड़ेगा । जैसे ही गवाह कठघरे में जाता है, अभियुक्त को, यदि वह चाहे तो पुलिस की डायरी में दिये गये विवरण की एक प्रतिलिपि दी जाती है जिस से वह जान सके कि मामला कैसा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मुझे खुशी है कि इस का सीधा उत्तर दिया गया है । मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपा कर विधेयक में दर्शा दें कि वह ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयोग नहीं किया जायगा ।

डा० **काटजू** : जब यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जायेगा तब वह इस पर विचार करेगी ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का कहना क्या यह है कि जैसे ही यह बाधा हटा दी जायेगी, उस का प्रयोग ऐसे प्रयोजनों के लिये भी किया जाने लगेगा ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अभी भी कहता हूं कि अधिनियम बन जाने के बाद विधि के अनुसार यह प्रतिपोषण के लिये काम में लाया जा सकेगा ।

श्री **साधन गुप्त** : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि इस विधि के किस उपबन्ध से उस का प्रतिपोषण के लिये उपयोग न किया जा सकेगा ?

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रवर समिति उस पर विचार करेगी ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : स्पष्ट है कि माननीय मंत्री चाहते हैं कि उस का उपयोग प्रतिपोषण के लिये न हो और अभियुक्त के साथ न्याय हो । मेरा निवेदन केवल यह है कि यदि धारा १६२ अलग कर दी जाय तो उस वक्तव्य का उपयोग प्रतिपोषण के लिये भी किया जा सकता है । आप कृपया सुनिश्चित कर लें कि प्रवर समिति विधेयक में ऐसा उपबन्ध कर दे जिस से कि उस का उपयोग प्रतिपोषण के लिये न किया जा सके ।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं ।

सभापति महोदय : सभा समाप्त होने तक क्या माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर सकेंगे ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जी नहीं । विधेयक में कुल ११० उपबन्ध हैं और उन में से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं । अतएव मैं अपना भाषण आज समाप्त न कर सकूंगा ।

धारा १६४ के बारे में माननीय मंत्री ने बतलाया है कि पुलिस इस धारा का अनुचित प्रयोग करती है । जो वक्तव्य पुलिस ने लिखा है उस से साक्षी को डिगने नहीं देती । यह वक्तव्य यद्यपि न्यायाधीश के सामने दिया जाता है फिर भी एक पक्ष के हित ही में होता है । माननीय मंत्री ने अपने भाषण में स्वयं इस बात की पुष्टि की है । अब थानेदारों द्वारा लिये गये ये वक्तव्य यदि सत्र न्यायालयों में जायेंगे और यदि धारा १६४ के अधीन वक्तव्य न होगा तो साक्ष्य की ठीक जांच हो सकेगी । पुलिस के वक्तव्यों द्वारा प्रतिपोषण हो सकेगा। कठघरे में खड़े व्यक्ति की गवाही ही निश्चयात्मक होगी । उस का खंडन पुलिस के समक्ष दिये गये साक्ष्य से न हो सकेगा । परन्तु धारा १६४ के अन्तर्गत वक्तव्य का उपबन्ध नहीं है । इसलिये अब होगा यह कि थानेदार कुछ दिनों के पश्चात् व्यक्ति से वक्तव्य लिखवा लेगा तथा वह उस से बाधित

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

समझा जायगा । न्यायाधीशों ने इस की भर्त्सना की है । अब माननीय मंत्री चाहते हैं कि प्रत्येक साक्षी न्यायाधीश के समक्ष अपना वक्तव्य दे दे । ऐसा करना न्याय की खिल्ली उड़ाना है । किसी मनुष्य को न्यायाधीश के समक्ष ले जा कर उस से एक पक्ष के हित में साक्ष्य लेना ठीक नहीं वक्तव्य देते समय उसे पूरी बात का पता नहीं होता । यदि बाद में वह कुछ और कहना चाहे तो यह समझा जायगा कि वह विश्वसनीय नहीं है । अतएव यदि सब साक्ष्य न्यायाधीश के समक्ष लिये जायें तो ठीक न होगा । उस से न्याय न हो पायेगा । अनुभवी न्यायाधीश गवाहों पर विश्वास न करेंगे ।

दंड प्रक्रिया संहिता धारा १७१ में उपबन्ध है कि फरियादी या साक्षी को बाधित न किया जायगा कि वह न्यायालय जाते समय पुलिस पदाधिकारी के साथ जाये । उसे कोई असुविधा न दी जाये । हां यदि फरियादी या साक्षी न्यायालय में हाजिर न हो या बंध लिख कर न दे तो बात दूसरी है ।

अब यदि थानेदार को शंका हुई कि साक्षी बदल जायेगा तो वह स्वयं उसे न्यायाधीश के पास पकड़ कर ले जायगा तथा उस से वक्तव्य लिया जायगा ।

अभी धारा १६१, १६२ और १६३ के अन्तर्गत यह होता है कि जांच करते समय पुलिस पदाधिकारी लोगों से वक्तव्य ले सकता है तथा यह उस की मर्जी पर है कि वह उसे लिखे अथवा नहीं । यदि वह लिखता भी है तो उसे अलग कागज पर लिखना पड़ता है । इन उपबन्धों का परिणाम यह होता है कि उन लोगों के वक्तव्यों को बदला जाना संभव हो जाता है । कभी कभी थानों में की गई रिपोर्टें बहुत दिनों तक भी न्यायालय में नहीं पहुंच पातीं । कभी कभी ऐसा होता है कि जहां पहली रिपोर्ट लिखी जानी चाहिये वहां नहीं लिखी जाती । गवाहों का वक्तव्य शीघ्रातिशीघ्र लिया जाना चाहिये नहीं तो अभियुक्त के साथ न्याय न हो सकेगा । साथ में यह उपबन्ध भी किया जाना चाहिये कि वक्तव्यों को बदलने वाली कोई बात न हो सके । अतएव धारा १६२ बनी रहनी देनी चाहिये तथा उक्त उपबन्ध और किये जाने चाहियें ।

अब मैं धारा २०७ क लूंगा ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

इस के पश्चात सभा बुधवार, ५ मई, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।